खण्ड-156, अंक-5
शुक्रवार, 25 भाद्रपद, शक संवत् 1877
(16 सितम्बर, 1955 ई0)

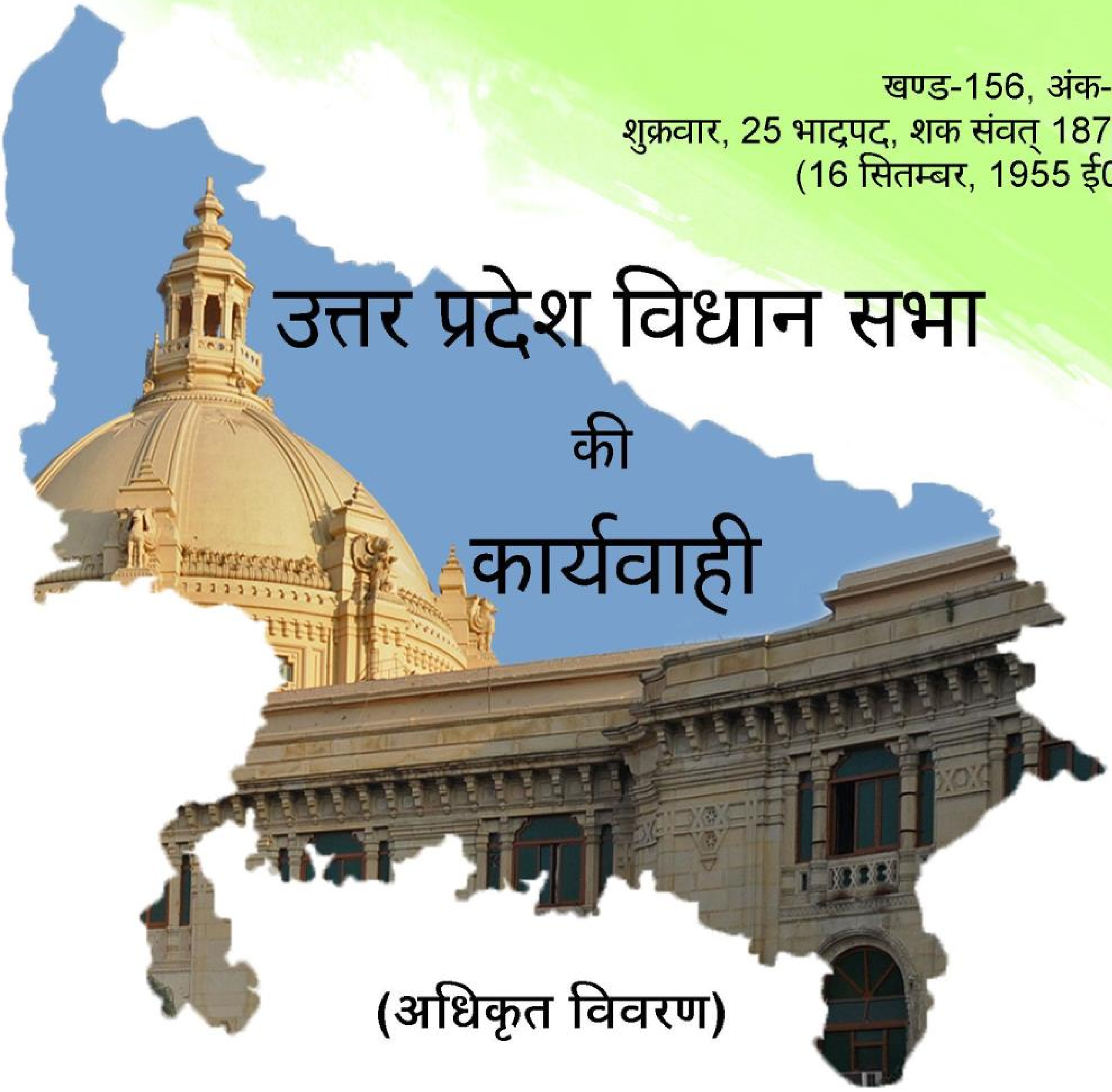

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 156 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहरहुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिसरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुन्नूराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री

बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रमानाथ खेरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअवार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री

रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह , राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री

सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

यू० पी० फैमिन रिलीफ फंड से बाढ़ सम्बन्धी कार्यों पर व्यय

**१—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैज़ाबाद, (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यू० पी० फैमिन रिलीफ फण्ड में १९५५-५६ के बजट वर्ष के प्रारम्भ में कितना धन था?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के प्रारम्भ में दुर्भिक्ष सहायता निधि (फेमिन रिलीफ फंड) में ३२,८४,१७५ रु० था।

**२—श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—इस फन्ड से इस वर्ष की बाढ़ के सम्बन्ध में कितना-कितना धन किन-किन मदों में व्यय किया गया?

श्री धर्मसिंह—वर्तमान वर्ष में बाढ़ संबंधी कार्यों पर इस निधि (फंड) से अब तक ४३,२५,००० रु० व्यय किया गया है, जिसके ब्योरे ये हैं:—

	रु०
१—जांच के काम और सहायता (टेस्ट वर्क्स और रिलीफ) के लिये ..	६,५०,०००
२—निर्मूल्य सहायता के लिये	३४,१०,०००
३—अन्य कामों के लिये	२,६५,०००
योग ..	४३,२५,०००

**३—श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—क्या इस वर्ष कन्सालिडेटेड फन्ड से कुछ रुपया निकाल कर इस फंड में रखा गया?

श्री धर्मसिंह—५५,००,००० रु० की निर्धारित न्यूनतम शेष धनराशि में हुई कमी के कुछ भाग को पूरा करने के लिये वर्तमान वर्ष में राज्य की संचित निधि (कन्सालिडेटेड फंड) से १६,००,००० रु० की धनराशि संक्रमित (ट्रांसफर) की जायगी और इस धनराशि के लिए बजट में व्यवस्था है।

लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण की व्यवस्था

**४—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सचिवालय कर्मचारी असोसियेशन के प्रतिनिधियों ने अभी हाल में वित्त मंत्री के समक्ष कुछ सुझाव उस योजना के बारे में रखे हैं, जो निम्नश्रेणी के लोगों को आर्थिक सहायता देकर मकान बनवाने के लिये हैं? यदि हां, तो वे क्या हैं?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—जी हां। यह सुझाव निम्नलिखित है :—

(१) लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत ऋण Cooperative Societies के द्वारा न दे कर उनको सरकार द्वारा ही दिया जाय।

(२) सूद की दर ४ १/२ परसेंट हो जो प्रदेशीय सरकार के House Building Advance के लिये निर्धारित है,

(३) ऋण भुगतान करने का समय ३० साल या अवसर ग्रहण (Retirement) का समय (जो भी कम हो) तक हो।

**५—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन सुझावों पर सरकार ने क्या किया ?

श्री कैलाशप्रकाश—अन्य नागरिकों की भांति, लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अधीन, उसके नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी भी सहकारी संघों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिये सूद की दर ५ फीसदी और अदायगी की मियाद ३० साल रखी गयी है। सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि इस योजना के नियमों के अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी सरकार से सीधा ऋण लेना चाहे तो ले सकता है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माननीय वित्त मंत्री ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को यह आश्वासन दिया है कि वह उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—विचार किया गया और दूसरे प्रश्न के उत्तर में उत्तर दे दिया गया।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी सरकार से सीधे कर्ज लेंगे उन्हें वह कर्ज साढ़े ४ प्रतिशत पर दिया जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को साढ़े ४ प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने में सरकार को क्या हानि है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह लो इनकम हाउसिंग ग्रुप का ऋण केन्द्रीय सरकार से आता है। केन्द्रीय सरकार साढ़े चार फीसदी सूद प्रदेशीय सरकार से लेती है और प्रदेशीय सरकार को भी उसमें चूंकि खर्च कुछ करना पड़ता है इसी कारण यह निश्चय किया गया है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा भी ऋण जो दिया जायगा वह ५ फीसदी पर दिया जायगा। सरकारी कर्मचारियों को भी यही चीज लागू होगी।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को ऋण देने के लिये दो जमानतों की आवश्यकता पड़ती है और उसके कारण वे ऋण लेने में हिचकिचाते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—उनके लिये भी वही व्यवस्था होगी जो अन्य लोगों के लिये है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरकारी कर्मचारियों को इन सहकारी संगठनों का सदस्य होना आवश्यक है ?

श्री कैलाशप्रकाश—प्रश्न ५ के दूसरे भाग के उत्तर में मैं कह चुका हूं कि सरकार से सीधे भी इनको ऋण मिल सकता है।

रामपुर तथा टेहरी जिलों में जिला बोर्डों की स्थापना की आवश्यकता

**६—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर तथा टेहरी जिलों में जिला बोर्डों की स्थापना करने के विषय में सरकार ने क्या निश्चय किया है?

श्री कैलाशप्रकाश—यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

**७—श्री कृष्णशरण आर्य—क्या यह सत्य है कि सरकार उक्त जिलों में जिला बोर्ड की स्थापना सदस्यों की नामजदगी स्वयं ही करके शीघ्र करने वाली है?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कब तक इस प्रश्न का निश्चय हो सकेगा?

श्री कैलाशप्रकाश—जब विचार पूरा हो जायगा, तब निश्चय हो जायगा।

विद्युत् विभाग में चौथा सर्किल

**८—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चौथा सर्किल विद्युत विभाग में कब खोला गया?

श्री धर्मसिंह—विद्युत विभाग में चौथा सर्किल फरवरी, १९५४ ई० में खोला गया।

श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि निकट भविष्य में और कितने इस प्रकार के सर्किल्स खोले जाने वाले हैं?

श्री धर्मसिंह—और नहीं खोले जाने वाले हैं, लेकिन पहले से और खुले हुये हैं।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कुल कितने सर्किल्स खुले हुये हैं?

श्री धर्मसिंह—इस समय सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स के ७ सर्किल्स हैं।

तारांकित प्रश्न

सेक्सरिया चीनी मिल, बभनान, जिला बस्ती में श्री फौजदारसिंह द्वारा भूख हड़ताल

*१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सेक्सरिया चीनी मिल, बभनान (जिला बस्ती) के मिल गेट पर गत् १४ मार्च, ५५ से मजदूर नेता श्री फौजदारसिंह भूख हड़ताल कर रहे हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, कर रहे थे परन्तु कथित भूख हड़ताल २० मार्च की रात को समाप्त हो गई।

*२—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कैलाशप्रकाश—मांगें संलग्न तालिका में दी हुई हैं। आपस में समझौता हो गया है और सरकार द्वारा किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३५०-३५१ पर)

नोट—तारांकित प्रश्न १ व २ श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पूछे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या संक्षेप में सरकार बताने की कृपा करेगी कि हड़ताल करने का क्या कारण था ?

श्री कैलाशप्रकाश—तीस मांगें थीं जिनकी तालिका रख दी गई है । आप चाहें तो पढ़ कर सुना दूं ।

श्री अध्यक्ष—नहीं, आप पूरी तालिका न पढ़ें । वह जानना चाहते हैं कि मुख्य-मुख्य मांगें क्या थीं, अगर आप मुख्य-मुख्य बातें सुना दें तो कोई बात नहीं है ।

श्री कैलाशप्रकाश—अगर आप कहें तो मैं सभी पढ़ कर सुना दूं ।

श्री अध्यक्ष—क्या आप का मतलब यह है कि उसमें सभी मुख्य हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां ।

श्री अध्यक्ष—तो आप लिख कर माननीय सदस्य को दे दीजिये । मैं पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा । बहुत लम्बी है ।

एक सदस्य—समय तो है ।

श्री अध्यक्ष—समय है, लेकिन यह थोड़े ही है कि सब लोग उसमें दिलचस्पी रखते हों ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो भूख हड़ताल टूटी है वह कौन-कौन सी समझौते की शर्तों पर टूटी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जिस समय उन्होंने हड़ताल की उस समय वहां के अधिकारी उनके पास गये । उन्होंने इस विश्वास पर हड़ताल तोड़ दी कि यह सब मांगें समझौते में पेश हो जायंगी । उसके बाद आर०सी०ओ० के यहां ये सब मांगें पेश की गयीं । लेकिन उसके पहले ही आपस में समझौता कर लिया और वहां सब मांगें वापस कर ली । इसमें क्या समझौता हुआ इसका कोई सम्बन्ध सरकार से रहता नहीं ।

अमेरिकनों के भारत विरोधी प्रचार को रोकने का सुझाव

३*श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फुलब्राइट फेलोशिप के अन्तर्गत कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट इस प्रदेश में आये थे और उन्होंने गांवों में जाकर बहुत से प्रश्नों के उत्तर एकत्रित किये ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी हां ।

*४—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया उस प्रश्नावली की एक तालिका सदन की मेज पर रक्खेगी ?

डाक्टर सीताराम—प्रश्नावली की कोई तालिका प्राप्त न हो सकी ।

*५—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार को मालूम है कि ऐसे सवालों के उत्तर एकत्रित करके अमरीका में प्रचार के लिये पुस्तकें छापी जाती हैं ? यदि हां, तो क्या कुछ ऐसी किताबों के नाम सरकार बतायेगी ?

डाक्टर सीताराम—पुस्तकें तो अमेरिका और भारत में भी अवश्य छापी गयीं, परन्तु प्रचार के लिये यह नहीं कहा जा सकता । केवल एक ऐसी किताब मिली है ।

"Some aspects of Urban Migration from a village in North Central India, by E. Eames of Cornell University."

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नावली तालिका के सम्बन्ध में अमरीकन राजदूतावास को लिखा गया था, यदि नहीं तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—राजदूतावास को तो नहीं लिखा गया था लेकिन स्टेट के २१ महकमों को लिखा गया था लेकिन कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार को ज्ञात है कि अमरीका के स्टेट इन्टेलीजेंस के स्पेशल असिस्टेंट श्री पार्क आर्म्सट्रोंग ने सिनेट कमेटी के सामने यह कहा था कि अमरीकन रिसर्च करने वाले दूसरे देशों में यूनिवर्सिटी तथा दूसरी रिसर्च संस्थाओं से मिलकर हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं ?

डाक्टर सीताराम—उनका तो यह काम ही होता है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह लोग प्रदेश के किन किन जिलों में ऐंथ्रोपोलोजी या इसी प्रकार की रिसर्च करते हैं ?

डाक्टर सीताराम—लखनऊ और जौनपुर में।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर में जो रिसर्च हुयी है उसका उन्होंने क्या परिणाम जनता के सामने रखा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)—मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है। जौनपुर के एक गांव में वह रिसर्च करते हैं लेकिन वह सरकार के पास कोई फल नहीं भेजते हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार को ज्ञात है कि जेम्स माईकनर अमरीकी ने अपनी पुस्तक 'वाइस आफ एशिया' में पृष्ठ ८ पर लिखा है कि एशिया में उन्होंने १२० लोगों से बातें करके पुस्तक लिखी है उसमें उन लोगों के उत्तर हैं ?

श्री हरगोविंद सिंह—हां, उन्होंने लिखा होगा, उन्होंने एक किताब लिखी है, क्या लिखा है मैंने उसे पढ़ा नहीं है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्ट्रैटिक इंटलीजेंस फार अमरीकन वर्ल्ड पालिसी नामक पुस्तक में भारत के विरुद्ध प्रचार किया गया है ?

श्री हरगोविंद सिंह—ऐसी सूचना कोई हमें तो है नहीं।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य लिख कर माननीय मंत्री जी से पूछ लें, सदन में इस समय प्रश्न पूछने से तो ज्यादा अच्छा वही होगा।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जौनपुर में रिसर्च हुआ है, उसके फलस्वरूप जौनपुर के ब्राह्मणों और अहीरों पर कालिख पोतने का प्रयत्न किया है ?

डाक्टर सीताराम—ऐसी बात तो नहीं है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह पुस्तक कब लिखी गयी थी और क्या माननीय मंत्री जी ने उसको पढ़ा है ?

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में तो वह जवाब दे चुके हैं। उन्होंने पुस्तक पढ़ी ही नहीं ?

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विदेशियों के इस प्रकार के कार्य पर कोई रोक लगाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री हरगोविंद सिंह—इस सिलसिले में गवर्नमेंट आफ इंडिया से पूछा गया था लेकिन मेरा ख्याल यह है कि यह विषय ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया ही कुछ कर सकती है और हमारी परिधि के बाहर है।

शाहगंज जौनपुर रत्ना शुगर मिल की मैनेजिंग कमेटी

*६—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहगंज जौनपुर रत्ना शुगर मिल की मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ आदर्श यूनियन मजदूर संघ ने कोई शिकायत सरकार के पास भेजी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है ।

*७—श्री बाबूनन्दन—यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संघ की कुछ मांगें सरकार के पास आयी थीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—कोई शिकायत नहीं आयी ।

श्री बाबूनन्दन—श्रीमन्, मैंने यह पूछा था कि क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि उस संघ की तरफ से कोई मांग सरकार के पास आयी थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसकी जानकारी तो इस वक्त मुझे नहीं है ।

प्रदेशीय हरिजन सहायक बोर्ड के सदस्यों की जातियां

*८—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय हरिजन सहायक बोर्ड में कुल कितने सदस्य हैं और उनमें से कितने सदस्य पिछड़ी जाति के हैं तथा कितने परिगणित जाति के ?

डाक्टर सीताराम—प्रदेशीय हरिजन सहायक बोर्ड में कुल २४ सदस्य हैं जिनमें एक पिछड़ी जाति का और १५ परिगणित जाति के सदस्य हैं ।

*९—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार बोर्ड के सदस्यों की एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—हरिजन सहायक बोर्ड के सदस्यों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३५२ पर)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि श्री निजामुद्दीन जो पिछड़ी जाति की सूची में लिखे गये हैं यह किस जाति के हैं और किस जिले के हैं ?

श्री हरगोविंद सिंह—यह इलाहाबाद के हैं और अन्सार हैं ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि हिन्दू पिछड़ी जाति का कोई सदस्य इस बोर्ड में नहीं है ?

श्री हरगोविंद सिंह—यह गलत है ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि हिन्दू पिछड़ी जाति का कौन सदस्य है, उसका नाम क्या है ?

श्री हरगोविंद सिंह—उनका नाम लालता प्रसाद सोन्कर है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि केवल निजामुद्दीन को ही पिछड़ी जाति का कहा गया है और लालता प्रसाद सोन्कार को पिछड़ी जाति का क्यों नहीं कहा गया ?

श्री हरगोविंद सिंह—एक हिन्दू जाति का और एक मुसलमान है दोनों पिछड़ी जाति के हैं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि माननीय सोन्कर जो इस बोर्ड में हैं क्या वह शिड्यूल कास्ट के हैं ?

श्री हरगोविंद सिंह—जी नहीं, यह उत्तर दे दिया गया है कि वह पिछड़ी जाति के हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या आनरेबिल मिनिस्टर साहब मेहरबानी करके फरमायेंगे कि और भी पिछड़ी जाति के कौन लोग हैं जिनको आप इस बोर्ड में लेने के लिये तैयार हैं ?

श्री हरगोविंद सिंह—यह तो बिलकुल असम्भव सा है कि पिछड़ी जाति की हरएक जाति का सदस्य उसमें रखा जाय इसलिये कि ६० पिछड़ी जातियां हैं और २४ का यह बोर्ड है। इसलिये यह असम्भव सा है कि इस बोर्ड में हरएक पिछड़ी जाति का सदस्य रहे।

श्री वीरेन्द पति यादव—गत ५ वर्ष में इस बोर्ड में से पिछड़ी जातियों की संख्या क्यों कम कर दी गयी है ?

डाक्टर सीताराम—यह बोर्ड घटता-बढ़ता रहता है और यह कोई जरूरी नहीं है कि बैकवर्ड क्लासेज के आदमी रखे ही जावें लेकिन उपयुक्त आदमी मिलने पर रख लिये जाते हैं।

*१०-११—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—[हटा दिये गये।]

मेहता पुस्तकालय, आजमगढ़ के लिये सहायता की मांग

*१२—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि आजमगढ़ शहर में कितने पुस्तकालय हैं जिनको सरकारी सहायता मिलती है।

डाक्टर सीताराम—केवल एक।

श्री रामसुन्दर पांडे—क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उस पुस्तकालय का नाम क्या है, और उसको कितनी वार्षिक सहायता दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम—उस पुस्तकालय का नाम मेहता पुस्तकालय है और २०० रु० पार साल सन् १९५४-५५ में दिये गये थे। इस साल का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री, मेहता पुस्तकालय में पुस्तकों तथा अन्य आर्थिक व्यय ज्यादा होने के कारण उसमें बढ़ोत्तरी करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—जब वह मैनेजर्स रिटर्न्स शिक्षा संचालक के पास आ जायंगी तो उन पर विचार किया जायगा।

*१३—श्री विश्राम राय (अनुपस्थित)—[७ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर की मिलों द्वारा बोनस वितरण में विलम्ब

*१४—श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या श्रम मंत्री को मालूम है कि कानपुर की अधिकांश मिलों ने सन् ५२,५३ और ५४ का बोनस नहीं बांटा है। सरकार इस सम्बन्ध में मजदूरों को बोनस दिलाने के बारे में क्या कदम उठाने जा रही है ?

नोट—तारांकित प्रश्न १२ श्री राम सुन्दर पांडेय ने पूछा।

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं। १९५२ और ५३ का बोनस कानपुर की अधिकांश मिलों ने बांट दिया है। सन् १९५३ के बोनस के सम्बन्ध में कुछ मिलों का मामला स्टेट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, इलाहाबाद के विचाराधीन है। कुछ मिलों ने १९५४ का बोनस भी बांटा है पर अधिकांश मिलों में बैलेंस शीट तैयार न होने के कारण बोनस बांटने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय नहीं हो सका है।

*१५—श्री राजनारायण—भविष्य में बोनस दिलाने के बारे में सरकार की क्या योजना है?

श्री कैलाशप्रकाश—बोनस का प्रश्न प्रत्येक मिल के वार्षिक लाभ-हानि के ब्योरे से संबंधित होता है, इसलिये इस विषय में कोई निश्चित योजना नहीं बनायी जा सकती।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन मिलों ने बोनस नहीं बांटा है?

श्री कैलाशप्रकाश—२२ मिलें बांट चुकी हैं। कुछ ने घाटा दिखलाया है। महेश्वरी देवी जूट मिल्स कानपुर, जे०के० जूट मिल्स कानपुर, लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, म्यूर मिल्स, न्यू विक्टोरिया मिल्स, स्वदेशी काटन मिल्स, एथर्टन वेस्ट कम्पनी, जे०के० काटन मिल्स मैनुफेक्चरर्स इन्होंने घाटा दिखलाया है। इनका विवाद स्टेट इंडस्ट्रियल को भेजा गया जिसने बोनस देने का निर्णय किया लेकिन अपील पर लेबर अपीलेट ट्रिब्युनल ने उसे रद्द कर दिया।

श्री राजनारायण—जो ११,१२ नाम माननीय मंत्री जी ने बताये हैं उनके बोनस का मामला कब तक तय होगा?

श्री अध्यक्ष—वह तो बतला दिया है कि अपील में रद्द कर दिया गया है।

श्री राजनारायण—क्या ५३-५४ के बारे में स्थिति माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे?

श्री कैलाशप्रकाश—५३ के विषय में, १७ मिलें बांट चुकी हैं। १० मिलों का मामला अभी ट्रिब्यूनल के सामने है या फैसले के लिये है। सन् ५४ की, १० मिलें बांट चुकी हैं। बाकी में से बहुतों की बैलेंस शीट नहीं बनी है, इसलिये उनके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री राजनारायण—जिन मिलों ने ५३ का बोनस नहीं बांटा है उनका फैसला कब तक होने की आशा है?

श्री कैलाशप्रकाश—यह मैं नहीं कह सकता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार को पता है कि मिलमालिक जानबूझ कर बैलेंस शीट बनाने में देर करते हैं ताकि उन्हें बोनस न देना पड़े?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता, मिलमालिकों के दिल की बात सरकार नहीं जान सकती।

श्री राजनारायण—सन् ५४ के सम्बन्ध में जो बैलेंस शीट नहीं बन पायी है तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि मिलमालिकों को निश्चित समय के अन्दर बैलेंस शीट बनानी पड़े?

श्री कैलाशप्रकाश—इस पर विचार किया जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार ने कोई ऐसा नियम बनाया है कि बैलेंस शीट एक निश्चित समय तक बन जानी चाहिये?

श्री कैलाशप्रकाश—ऐसा तो शायद कुछ नहीं है ।

श्री राजनारायण—क्या जो मिलें जानबूझ कर बैलेंस शीट बनाने मे देरी करती हैं या बैलेंस शीट समुचित रूप से नहीं बनाती हैं उनके लिये कोई व्यवस्था सरकार करने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—अभी ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया है ।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कोई ऐसा नियम बनावेगी कि जो कम्पनीज बैलेंस शीट बनाने में व्यर्थ की देर करें वे किसी खास समय तक बैलेंस शीट तैयार कर लें ?

श्री कैलाशप्रकाश—मैं उत्तर दे चुका हूं कि इस पर विचार किया जायगा ।

स्कूलों में कृषि की नयी योजना पर व्यय

*१६—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्कूलों में खेती की नयी स्कीम पर सरकार को कितना रुपया वार्षिक व्यय करना पड़ता है ?

डाक्टर सीताराम—कृषि की नयी योजना पर पिछले दो वर्षों में निम्नलिखित व्यय हुआ—

		रु०	आ०	पा०
१९५३–५४	..	१,७२,२१०	१	०
१९५४–५५	..	३७,३१,४६९	१०	०

इस वर्ष के आय-व्ययक में इस योजना के लिये ६१,९६,१०० रु० का प्रावधान है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या यह योजना सभी स्कूलों में चालू कर दी गई है ?

डाक्टर सीताराम—प्रांत के ३,२०० स्कूलों में ।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन स्कूलों में खेती से कुछ फायदा भी हुआ है ?

श्री हरगोविंद सिंह—खेती से इसपर फायदे का प्रश्न नहीं है । केवल शिक्षा के लिये यह सहायता दी जाती है । हां, इतना मैं कह सकता हूं कि इस साल प्रांत भर में लगभग ५० हजार रुपया टीचरों और लड़कों में इस खेती की आय का बांटा गया ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार का इरादा इस योजना को इस प्रदेश के सभी स्कूलों में चालू करने का है ?

श्री हरगोविंद सिंह—जूनियर हाई स्कूलों में और जहां ऐसे हायर सेकेंड्री स्कूल्स हैं जिनके पास भूमि है, वहां लागू करना चाहते हैं ?

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—खेती की शिक्षा देने के लिये किन-किन साधनों के लिये यह रुपया दिया जाता है और क्या उनमें बैल और हल भी है ?

श्री हरगोविंद सिंह—खेती के सभी साधन जरूरत के मुताबिक दिये जाते हैं और उनमें हल और बैल भी हैं ।

श्री बसन्तलाल शर्मा—क्या यह सही है कि बहुत से स्कूलों के पास हल और बैल नहीं हैं और उसकी वजह से कठिनाई होती है ?

श्री हरगोविंद सिंह—कुछ स्कूलों की जमीन को ऐसा समझा गया कि वहां हल-बैल की आवश्यकता नहीं है । ५००,७०० स्कूलों को हल बैल दिये गये हैं ।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—हल-बैल देने की स्कूलों को क्या शर्त है ?

श्री हरगोविंद सिंह—कोई शर्त नहीं है। जहां यह समझा जाता है कि जरूरत है वहां दिये जाते हैं।

श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)—क्या यह सही है कि बैलों के चारे का इन्तजाम मास्टरों को अपनी तनख्वाह से करना पड़ता है ?

श्री हरगोविंद सिंह—जी नहीं। मास्टरों को अपनी तनख्वाह से नहीं करना पड़ता है लेकिन उनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह अपने फार्म से बैलों के चारे का प्रबन्ध करें।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जहां जमीन खराब और कड़ी मिली है वहां उस को तोड़कर खेती योग्य बनाने के लिये कुछ रुपया सरकार उन की मदद के लिये मंजूर करती है ?

श्री हरगोविंद सिंह—जी हां।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ३,२०० स्कूलों में यह व्यवस्था है उन में से कितने स्कूलों में हल-बैल हैं ?

श्री हरगोविंद सिंह—जैसा कि मैंने बताया वह अब तक शायद ५ या ७ सौ स्कूलों में दिये जा चुके हैं।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार अगली मार्च तक सब स्कूलों में हल बैल का प्रबन्ध कर देगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिन स्कूलों को हल-बैल नहीं दिये गये हैं वहां कौन से काम अध्यापक और विद्यार्थी कृषि का करते हैं ?

श्री हरगोविंद सिंह—वहां हाथ से नर्सरी लगाना, बाग लगाना, मेंड बांधना, क्यारी बनाना और हार्टीकल्चर का काम सिखाया जाता है, और गड्ढे खोदना, खाद लगाना और जमीन को जरखेज बनाने आदि का काम सिखाया जाता है, वह सब काम सिखाये जाते हैं जो हल-बैल के अलावा हाथ से हो सकते हैं।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार के पास ऐसी रिपोर्टें आयी हैं कि इस सूबे में जो यह नया तजुरबा किया गया है वह कामयाब हुआ है और अगर हुआ है तो क्या सरकार का इसको और बढ़ाने का इरादा है ?

श्री हरगोविंद सिंह—हां, जहां तक कि अब तक की सूचना है उससे ऐसा मालूम होता है कि यह प्रयोग कामयाब हुआ है। मैंने बताया कि इस्साल ५० हजार रुपया टीचर्स और लड़कों में बांटा जा सका जो कि खर्च निकाल कर लाभ के तरीके से बचा था, मैं समझता हूं कि आइन्दा साल शायद यह भी संभव हो सके कि हम अधिक रुपया टीचर्स और बच्चों को दे सकें। यह काम ३,२०० स्कूलों में चल रहा है, जिनके पास जमीन है जो हायर सेकेंड्री या हाई स्कूल हैं उनको सहायता दी जाती है। अभी यूनिवर्सिटीज में यह काम नहीं चलाया जा सकता। प्राइमरी स्कूलों के भी बच्चे छोटे होते हैं उनको केवल बाग लगाने का ही काम सिखाया जा सकता है और खेती वगैरह के लिये उनकी उम्र कम होती है।

श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्कूलों को बैल नहीं दिये गये हैं वहां पर सिंचाई के लिये क्या प्रबन्ध सोचा गया है ?

श्री हरगोविंद सिंह—कहीं नहर का और कहीं कुयें इत्यादि का प्रबन्ध किया जाता है। जहां जैसी आवश्यकता होती है, उसके लिये एक विशेष अधिकारी है, टीचर्स हैं, सुपरवाइजर हैं वह सब देखते हैं और जो उचित प्रबन्ध होता है वह वे करते हैं। सब स्थानों के लिये कोई निश्चित तरीका नहीं है, जहां जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार की सिंचाई का प्रबन्ध किया जाता है।

पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को वजीफा देने का आधार

*१७—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को वजीफा किन-किन आधारों पर दिया जाता है?

डाक्टर सीताराम—योग्यता और निर्धनता के आधार पर वजीफे दिये जाते हैं।

*१८—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार यह बतलायेगी कि जिला कमेटियों में जहां वजीफे निश्चित किये जाते हैं पिछड़ी जातियों की तरफ से कोई नुमाइन्दा रहता है या नहीं?

डाक्टर सीताराम—जी हां, पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों को भी इन कमेटियों में रखने का नियम है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि यह नियम होने पर भी अधिकांश जिलों में इसका पालन नहीं हो रहा है?

डाक्टर सीताराम—ऐसी सूचना नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अधिकांश जिलों में जिलाधिकारियों ने इस चीज को कर दिया है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन समितियों का चुनाव किस प्रकार होता है?

डाक्टर सीताराम—जुलाई २९, १९५३ के जी० ओ० को देखने से मालूम हो जायगा कि यह सब अधिकार जिलाधीश को दिये गये हैं, और जो नियम हैं उनके अनुसार वह समिति बनाते हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिन जिलों में पिछड़ी जाति के विधान सभा के सदस्य हैं, उन्हें उस कमेटी में रखने के प्रश्न पर वह विचार करेगी?

श्री हरगोविंद सिंह—ऐसा तो कोई विचार नहीं है, वह कमेटी में रह भी सकते लेकिन सभी शायद न भी रह सकते हों।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार वजीफे के सिलसिले में मुसलमान कायस्थों को भी पिछड़ी जाति में रखती है?

श्री हरगोविंद सिंह—आज से पूर्व मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं था कि मुसलमान कायस्थ भी होते हैं। इसलिये जाहिर है कि उसका तो प्रश्न भी नहीं हो सकता था।

गन्ना फैक्टरी राजा का सहसपुर, जिला मुरादाबाद के गन्दे पानी से हानि

*१९—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गन्ना फैक्ट्री राजा का सहसपुर, जिला मुरादाबाद के गन्दे पानी से आरिल नदी का पानी अत्यन्त हानिप्रद हो गया है?

नोट—तारांकित प्रश्न १९ व २० श्री शिवनारायण ने पूछे।

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

*२०—श्री महीलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस संबंध में उचित व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उस गन्दे पानी को नदी में जाने से रोकने के लिये कोई प्रबन्ध कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह प्रश्न केवल एक मिल का नहीं है बल्कि सब मिलों का है। उसके विषय में सरकार के विचाराधीन ये बातें हैं। मिलों के गन्दे पानी से नदियों, तालाबों आदि के पानी के खराब होने की समस्या प्रदेश की अधिकांश मिलों के साथ है। इसका निराकरण करने के लिये सरकार ने यू० पी० फैक्ट्रीज रूल्स, १९५० के रूल १८ में आवश्यक संशोधन तैयार करने का निश्चय किया है। संशोधित रूल का आलेख्य तैयार हो गया है और उस पर जनता के सुझाव और आपत्तियां भी सरकार ने प्राप्त कर ली हैं जिन पर इस समय विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चीफ इन्सपेक्टर आफ फैक्ट्रीज, उत्तर प्रदेश, ने राज्य के तमाम मिलों को आदेश जारी किया है कि वे अपने गंदे पानी को प्रारम्भिक अवस्था में साफ करने के लिये उचित आकार के सेटिलमेंट और फिल्ट्रेशन टैंक तथा इस साफ किये गये पानी को बहा कर नदियों, तालाबों आदि तक ले जाने के लिये पक्की नालियां बनवायें। सरकार ने भी इस संबंध में एक प्रेस कम्युनिक प्रसारित किया है। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मुरादाबाद अपने बाई लाज में सुधार करके मिल के गन्दे पानी को नदी में जाने से रोकने की व्यवस्था के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस गन्दे पानी का उचित प्रबन्ध कितने अर्से के अन्दर हो जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—कोई समय निर्धारित करना तो दुश्वार है, किन्तु प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या सरकार की यह योजना केवल गन्ने की मिलों से निकले हुये गन्दे पानी के लिये है या चमड़े की मिलों या और इस तरह की मिलों से जो पानी निकलता है उसके लिये भी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जिन मिलों से भी गन्दा पानी निकलता है और स्वास्थ्य के लिये अलाभकर है उनके विषय में यह है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि सरकार के सामने यह प्रश्न सन् ४६ से ही विचाराधीन है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह निश्चित सन् तो मैं बता नहीं सकता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या यह सरकारी योजना जहां मिल का गन्दा पानी नदी में गिरता है, वहीं के लिये है या और जगहों के लिये भी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं इस बात की भी व्यवस्था की जा रही है कि वह फिल्ट्रेशन टैंक भी बनायें।

एजूकेशनल रिओरियन्टेशन स्कीम में पिछड़े व परिगणित जाति एक्सटेन्शन टीचर्स की नियुक्ति

*२१—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एजूकेशनल रिओरियन्टेशन स्कीम में इस वर्ष कितने एक्सटेन्शन टीचर्स की नियुक्ति की जाने वाली है और इसमें से कितने ग्रेजुएट और कितने अन्डर ग्रेजुयेट होंगे ?

डाक्टर सीताराम—

ग्रेजुएट	..	२०५
अन्डरग्रेजुएट	..	२००
योग	..	४०५

*२२—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—कुल कितने उम्मेदवारों को इन्टरव्यू में बुलाया गया और उनमें कितने परिगणित जाति के थे और कितने पिछड़ी जाति के ?

डाक्टर सीताराम—१०९७५।

उनमें २९५ परिगणित जाति के और १०९६ पिछड़ी जाति के थे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह चुनाव हो गया, यदि हां, तो कितने परिगणित जाति के लिये गये और कितने पिछड़ी जाति के ?

डाक्टर सीताराम—चुनाव हो गया। १२ परिगणित जाति के लिये गये और ३१ पिछड़ी जाति के लिये गये।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब ४०५ व्यक्तियों का चुनाव हुआ तो उसमें केवल १२ ही परिगणित जाति के लोग क्यों लिये गये जब दरख्वास्तें २९५ व्यक्तियों की थीं और वह इंटरव्यू में बुलाये भी गये थे ?

डाक्टर सीताराम—सूचना से विदित होता है कि उनमें से बहुत से आदमी क्वालिफाइड नहीं थे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो इन्टरव्यू में बुलाये जाते हैं वे क्वालिफाइड होते हैं या अनक्वालिफाइड ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सब क्वालिफाइड बुलाये जाते हैं। इसमें शायद माननीय सदस्य को मालूम हो कि एग्रीकल्चरल ग्रेजुयेट्स या जिन्होंने ऐग्रीकल्चरल इंटरमीडियेट पास किया था या जिन्होंने ऐग्रीकल्चर में डिप्लोमा प्राप्त किया है उनको प्रिफरेंस दिया गया और ये इस योग्यता के नहीं थे।

*२३—श्री रामचन्द्र विकल—[३० सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

कनइल, जिला गोरखपुर में मकतूली आदि की भूख से मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने भेजा है जो इस प्रकार है—"बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति में सरकारी लापरवाही के कारण ग्राम कनइल, तहसील बांस गांव, जिला गोरखपुर के श्री शिवदत्त हरिजन की स्त्री लड़का तथा लड़की जिनका नाम क्रमशः मकतूली, द्वारिका तथा बकी था, भूख से मृत्यु होने के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति पर वाद विवाद के लिये सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसके साथ माननीय सदस्य ने मेरे पास दो पत्र भेजे हैं। एक तो श्री शिवदत्त चमार का है जिसके यहां यह मृत्युयें हुईं और दूसरा है जिला मंत्री, सोशलिस्ट पार्टी, गोरखपुर का। मैंने दोनों को पढ़ा है। तो जिनके यहां मृत्यु हुई उनका कहना यह है कि "जब घनघोर वर्षा हुई तब हमारा परिवार जब भूख से तड़पने लगा तो लगभग दो तीन दिन भूखे रहने के कारण

पिछले १९ अगस्त को, शुक्रवार के दिन, बच्चों को खिलाने के लिये मेरी स्त्री और मकतूली ने आम की गुठली की रोटी बनाई और अपने तथा दो बच्चों को खिलाई। दुर्भाग्यवश गुठली जहरीली होने के कारण मेरी स्त्री और दो बच्चे जिनका नाम फलां फलां है, वे मर गये" और श्री अश्विनीकुमार जी लिखते हैं कि भूख से तड़पने और चिल्लाने के बाद आम की गुठली खा कर मर गये। इस तरह का उनका कथन है।

मैंने इसलिये यह सदन में बात रक्खी कि मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि ऐसे प्रश्नों के बारे में जैसा मैंने पहले भी कह दिया था शार्ट नोटिस क्वेश्चन्स कर देने चाहिये तो ज्यादा अच्छा हो और इस विषय के संबंध में ऐसे प्रश्न पूछे भी गये थे लेकिन सरकार की तरफ से वे नामंजूर कर दिये गये? तो मैं इतना जरूर सरकार से कहूंगा कि जब ऐसे प्रश्न आयें तो उनको अल्पसूचित प्रश्नों के रूप में स्वीकार कर लेना अच्छा होता है। तार या फोन से सरकार ऐसे-ऐसे महत्व के प्रश्नों के बारे में मालूमात कर ले तो अधिक अच्छा हो बनिस्बत इसके कि उन पर कामरोको प्रस्ताव आया करे और उसको मैं हर दम कहूं कि यह आ नहीं सकता। जहां तक इस काम रोको प्रस्ताव का सम्बन्ध है, यह वाकयात १९ अगस्त के हैं। काफी पुराना मामला हो चुका है और मैं समझता हू कि १७,१८, १९ को इस सदन में बाढ़ के संबंध में बहस भी हुई थी। इसी दर्मियान का यह सवाल है। तो मुझे तो यह दिखाई नहीं देता कि बहस के बाद कोई ऐसा प्रश्न विवाद के लिये उठाना उचित होगा। सब बातों पर विचार उस वक्त हो चुका था कि क्या-क्या कार्यवाही होनी चाहिये। कहीं व्यवस्था में अगर एक आध जगह गड़बड़ी हो, रोज के इन्तजाम में, तो उससे सरकार से कोई संबध नहीं आता। जब तक सरकार से कोई प्रत्यक्ष सबध न आ जाय और लापरवाही सिद्ध न हो तब तक वह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता। रोज के इन्तजाम में कहीं कोई गड़बड़ी हुई और उसमें अधिकारियों की भूल भी हो गई, या यह मान भी लिया जाय कि भूल हो गई तो वह विषय कामरोको प्रस्ताव का नहीं हो सकता बल्कि प्रश्न पूछ कर उस पर किसी कार्यवाही के लिये सरकार की तवज्जह दिलानी चाहिये। इसलिये मैं इस काम रोको प्रस्ताव को इस दृष्टि से अस्वीकार करता हूं।

दूसरे वाकयात में भी बड़ी है अनिश्चित सी बात है। जिसके घर में मृत्युएं हुई थीं स्वयं कह रहे हैं कि जहरीली गुठली की वजह से मरे। वे भूख से मरे और जहरीली गुठली खा कर मरे इनमें बड़ा अन्तर है, क्योंकि कई दिन तक भूखे रह कर मरना संभव है, लेकिन मरने में १०,१५ दिन तो लगेंगे ही। जहरीली गुठली से कुछ ही समय में आदमी मर सकता है। इसलिये यह अनिश्चित है कि वह भूख से मरे। मैं इसको कामरोको प्रस्ताव का विषय होना उचित नहीं समझता, लेकिन इस किस्म के वाकयातों में यह अवश्य होना चाहिये कि जब ऐसे जिम्मेदार माननीय सदस्य ऐसा प्रश्न उठायें तो अल्प सूचित तारांकित प्रश्न स्वीकार कर लिये जाया करें। यह हो सकता है कि अगर उनके उत्तर देने में तीन दिन से ज्यादा समय लगता हो तो कह दिया जाय कि ६ या ७ दिन के बाद उनका जवाब दे दिया जा सकता है अगर मेरे पास ऐसी सूचना आ जाय तो ऐसे प्रश्नों पर कामरोको प्रस्ताव यहां लाने की आवश्यकता न पड़ेगी।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—श्रीमान् जी कृपा कर क्या बतलायेंगे कि इस प्रकार की चिट्ठियां अक्सर उस मुहल्ले में क्यों आया करती हैं। इधर क्यों नहीं आया करतीं?

श्री अध्यक्ष—खैर, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, जो आपने सुन्दर व्यवस्था अल्पसूचित तारांकित प्रश्न की की उसके मातहत मैंने नहर रेट संबंधी आन्दोलन में जो जुरमाने हुये थे उस संबध में एक प्रश्न दिया है। उसको दिये हुये ८,९ दिन हो गये हैं। मैं उस पर एजर्नमेंट मोशन ला रहा था तो आपने कहा कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दे दो। उसमें भी बड़ा

विलम्ब हो रहा है। तो मैं बड़ी मुसीबत में हूं कि मुकदमा करूं या नहीं। तो मैं समझता हूं कि उसका जवाब भी मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—इसीलिये तो मैंने सुझाव दिया है। अगर उस पर अमल न हो तो आप ऐसे प्रस्ताव ला सकते हैं।

श्री राजनारायण—दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी थी कि आज भी उग्रसेन सिंह, देवरिया ने एक १७ पेज का पत्र मुझे दिया है जिसमें जिले के हर गांव का डिटेल ब्योरा है। लेकिन चूंकि माननीय रामनारायण जी का यह एजर्नमेंट मोशन आया था तो मैंने सोचा कि उसमें ही मेरी बात आ जायगी। मैं वह पत्र भी उनके पास पूरा भेज दूंगा। आप भी कहते हैं कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव न आये और काम चलता रहे। हमारी तो इच्छा है कि काम अपना सरकार देखती रहे। रामनरेश शुक्ल जी ने जैसा कहा, उसमें तो हम अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक हैं इसलिये लोग हमारे पास अपनी समस्यायें रखते हैं . . .

श्री अध्यक्ष—मैंने आपको इसकी इजाजत नहीं दी थी कि आप उसका जवाब दें।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—माध्यमिक शिक्षा परिषद् के लिये विधान सभा को एक सदस्य का चुनाव करना है। इसके लिये समय के अन्दर निम्नलिखित अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र प्राप्त हुये हैं :—

१—श्री महावीर प्रसाद शुक्ल;
२—श्री मलखान सिंह;
३—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ; और
४—श्री देवराम।

यह नामांकन पत्र ठीक हैं और इनको वापस लेने की तिथि २० सितम्बर, १९५५ को ४ बजे तक है। अब अगर यह वापस नहीं होंगे तो उस पर बाद में निर्णय होगा।

१९ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न ४–५ से सम्बद्ध एक पूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)—अध्यक्ष महोदय, १९ अगस्त, १९५५ को तारांकित प्रश्न संख्या ४,५ से संबंधित श्री शिवनारायण के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने यह उत्तर दिया था कि सरकार ने अब तक करीब ७,८ लाख रुपया दिया होगा। किन्तु मेरे विभाग में आपके कार्यालय से उत्तर की जो प्रतिलिपि प्राप्त हुई है उसमें ७,८ लाख के बजाय ७,८ हजार लिखा था। ठीक उत्तर ७,८ लाख है। कृपया कार्यवाही में उचित संशोधन कर दिया जाय।*

श्री रामनारायण त्रिपाठी के प्रश्नों को 'अल्पसूचित' न मानने के सम्बन्ध में माल मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—श्रीमन्, मुझे इस ऐजर्नमेंट मोशन के विषय में तो कुछ कहने का मौका नहीं, लेकिन आपने जो सुझाव दिया था उसके सिलसिले में कुछ सफाई देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्यों नामंजूर किया आपने ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—जी हां, यह शार्ट नोटिस क्वेश्चन रामनारायण त्रिपाठी जी ने १० सितम्बर को असेम्बली के आफिस में भेजा और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में १२ सितम्बर को आया और जिस विषय की बाबत था उसकी खबर २२ अगस्त के नेशनल हैराल्ड में प्रकाशित हो चुकी थी और उसकी कटिंग मेरे पास मेरी फाइल में मौजूद थी। गुठली खाने से ३ आदमी मर गये

*१९ अगस्त, १९५५ की कार्यवाही में यथावत् संशोधन कर दिया गया।

[श्री चरण सिंह]

यह खबर २२ अगस्त को निकल चुकी थी और १२ सितम्बर को शार्ट नोटिस क्वेश्चन की बाबत पूंछा जा रहा था। मैंने यह समझा था कि जो वाकया हो चुका और २० रोज पहले हो चुका, वह ऐसा मसला नहीं है कि जिस पर फौरन ही तार के जरिये मालूमात करायी जाय। जिन माननीय सदस्य ने पूछा है उनको भी इसकी अर्जेन्सी नहीं रही थी इसलिये मैंने यह मुनासिब समझा कि पूरी तफसील मंगा ली जाय ताकि सप्लीमेंट्री जवाब दिया जा सके। इसके अलावा और कोई बात नहीं थी।

श्री अध्यक्ष—ऐसी अवस्था में मेरे पास यह सूचना आ जानी चाहिये कि किन कारणों से आपने नामंजूर किया। क्योंकि जो कारण आपने अभी बताया, वह मुझे मालूम होता तो मैं माननीय सदस्य को बता देता कि किस वजह से यह हुआ? जिसमें सदन का काम खामख्वाह न बढ़ता। यदि उत्तर अगर ठीक मेरे पास आ जाय तो फिर ऐसे प्रस्ताव की कोई गुंजाइश भी न रहे। क्योंकि माननीय मंत्री जी को यह अधिकार है नियमों के अनुसार कि आप केवल इतना ही कह दें कि आप अल्पसूचित प्रश्न लेना नामंजूर करते हैं। यदि इसका फायदा उठाकर अगर आप कारण नहीं बतायेंगे तो कभी-कभी यह चीज पैदा हो सकती है कि नामंजूरी के बाद कामरोको प्रस्ताव के द्वारा उस विषय पर प्रश्न उठाया जाय। तो ऐसी अवस्था में जब किन्हीं व्यक्तियों का भूख से मरने का सवाल आवे तो समाज में बहुत गर्मा-गरमी इस वजह से हो जाती है, ऐसे प्रश्नों के अल्पसूचित उत्तर देने की असमर्थता के आप कारण बता दें। हर एक प्रश्न के नामंजूर करते समय कारण देने का सुझाव मैं नहीं दे रहा हूं।

श्री चरण सिंह—जैसा आपने बताया नियमों में पूरा डिस्क्रीशन मिनिस्टर को है, इसलिये उचित नहीं समझा। आगे से मैं इसका ख़याल रखूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैंने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५ तारीख को इसलिये किया था कि पत्र मेरे पास ३ तारीख को आया था और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि २२ तारीख के नेशनल हैराल्ड में यह खबर छपी थी और तब भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे तो और लापरवाही सिद्ध होती है सरकार की कि इतने दिनों तक इसकी जांच नहीं करायी। तो मैंने एक हफ्ता पहले अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूंछा था १२ को नहीं ५ तारीख को।

श्री अध्यक्ष—अब आगे का कार्यक्रम शुरू होगा।

अनिवार्य व निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति तीव्र करने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है उसमें मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया था और उसमें मैंने जो ओरिजिनल प्रस्ताव है उसको संशोधित रूप में रखा है, तो अगर आपकी आज्ञा हो और हाउस की आज्ञा हो तो ओरिजिनल प्रस्ताव लाने के बजाय जो संशोधित प्रस्ताव है उसको हाउस के सामने रख दूं।

श्री अध्यक्ष—आप जिस शक्ल में लाना चाहते हैं उस शक्ल में लायें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं इस संबंध एक निवेदन करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—क्या कोई वैधानिक आपत्ति है?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, वैधानिक ही समझ लीजिये या अर्ध वैधानिक समझ लीजिये।

श्री अध्यक्ष—तो आप कृपा करके अभी बैठ जाइये। उनको पहले संकल्प पेश करने दीजिये।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधित प्रस्ताव निम्नलिखित रूप में पेश कर रहा हूं—

श्री अध्यक्ष—आपने तो अभी कोई संकल्प पेश ही नहीं किया। संशोधन का सवाल कहां पैदा होता है?

***श्री वीरेन्द्रपति यादव**—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि :—

"इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है और न निकट भविष्य में उसमें विशेष उन्नति होने की संभावना ही प्रतीत होती है, अतः संविधान के अनुच्छेद ४५ को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यकीय है कि अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की गति को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र किया जावे ताकि संविधान में दिये हुये निर्धारित समय के अन्दर लक्ष्य की पूर्ति हो सके।"

श्री अध्यक्ष—यानी जो संशोधन आपने रखा था उस शक्ल में आप संकल्प रख रहे हैं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—जी हां।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मैं एक वैधानिक आपत्ति आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि चूंकि अब इस प्रस्ताव की दूसरी रूपरेखा हो गई तो जो पहले से संशोधन आये हुये हैं उनके अलावा इस वक्त आपकी स्वीकृति यह मिलनी चाहिये कि उसके अनुसार जो नया प्रस्ताव है, उसी के अनुसार संशोधन भी आ सकें।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। आ सकते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता था कि जैसे आज १६ सितम्बर गैरसरकारी दिवस है और यह चार प्रस्ताव हैं तो ऐसा होता है कि प्रमुख प्रस्ताव सब हैं, लेकिन एक ही प्रस्ताव पर पूरा दिन हो जाता है और उसके बाद आगे वह आ नहीं पाते। तो अगर सदन यह चाहे, श्रीमन्, हमारा कोई इनसिस्टेंस नहीं है, मगर यदि सदन चाहता हो, और आप उचित समझें तो जो बहुत ही प्रमुख हैं उनके लिये भी कुछ ऐसा समय निर्धारित कर दिया जाय जैसे कि एक माननीय द्वारिका प्रसाद जी मौर्य का भी प्रस्ताव है जो कि सारे उत्तर प्रदेश के किसानों के जीवन से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप उसके ऊपर बोलना शुरू कर दिये।

श्री राजनारायण—जी नहीं, बोल नहीं रहा हूं। वह आवश्यक इसलिये है श्रीमन्, कि एक ही परगने में चार-चार तरह के रेट्स .....

श्री अध्यक्ष—आप उसके ऊपर भाषण न दें। आपने एक सुझाव दिया। उस संबंध में और लोगों के भी विचार हैं। असरकारी संकल्पों में लाटरी डाली जाती है कि कौन-कौन से प्रस्ताव प्राथमिकता के अनुसार सामने आने चाहिये। अगर एक वक्त की लाटरी के सभी प्रस्ताव सदन में एक साथ पेश कर दिये गये तो उसका नतीजा यह होगा कि कितने ही असरकारी दिनों तक वह चलते रहेंगे। फिर दूसरों को अपने संकल्प लाने का मौका नहीं रहेगा। आजकल जो प्रथा चालू है उसमें बहुतों को मौका मिल जाता है कि जिनके प्रस्ताव पहिली लाटरी में पहले न आये और यदि वे उन्हें महत्व के समझते हैं, तो दुबारा लाटरी हो जाती है उसमें आ जाते हैं और जो बहुत अधिक महत्व के हैं वह बार-बार भी आ जाते हैं। ३०-३०,४०-४० सदस्य दस्तखत करके महत्व के संकल्पों को दे देते हैं और अलग-अलग भी वह भेज देते हैं तो नतीजा यह होता है कि वह फिर आ जाते हैं। इसलिये अगर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

एक साथ सब प्रस्ताव उपस्थित कर दिये जायं तो उनका नुकसान हो जाय और उनके प्रस्ताव दुबारा न आ पायें। ऐसे लोगों को फिर लाटरी डालने से फिर मौका मिल जाता है। तो इसमें अगर कोई सदस्य चाहे किसी प्रस्ताव को जल्दी खत्म करना जिसमें आगे के प्रस्ताव लिये जा सकें तो कोई भी सदस्य क्लोजर मूव करके उसे खत्म करा सकता है सदन की अनुमति प्राप्त होने पर।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—अध्यक्ष महोदय, आज दुर्भाग्य की बात है कि सरकार की और संविधान की नीति होते हुये भी कि प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया जावे, आज विशेष कर ग्रामीण जनता सरकार की इस नीति का लाभ नहीं उठा पा रही है। हम देखते हैं कि सरकार की जो नीति है और जो ब्रिटिश सरकार की नीति थी, कम से कम कागज पर तो दोनों में बहुत अन्तर नहीं मालूम पड़ता है, सिवाय इसके कि संविधान में प्रदेशीय सरकार को एक डाइरेक्टिव दे दिया गया है कि एक निर्धारित समय के अन्दर देश में शिक्षा को फ्री और कम्पलसरी कर दिया जाय। हम देखते हैं कि अंग्रेजी सरकार के प्रारम्भिक काल से ही शिक्षा के इतिहास के पन्नों पर करीब-करीब आज वही भाषा पाते हैं जो आज हमारी सरकार की आज की पुस्तकें हैं शिक्षा की उनमें हम भाषा पाते हैं। अध्यक्ष महोदय, सब से पहले सन् १८५४ ई० की शिक्षा की पुस्तकों में हमने देखा है कि सरकार का विचार था कि प्रदेश के गांव-गांव में स्कूलों का जाल बिछाया जाय।

श्री अध्यक्ष—किस सन् की बात आपने कही ?

श्री वीरेन्द्रपति यादव—१८५४ की बात कही, फर्स्ट एजूकेशनल डिस्पैच।

श्री अध्यक्ष—यानी सौ वर्ष पहले की ?

श्री वीरेन्द्रपति यादव—जी हां। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि १९०४ और १९१२ की सरकार की जो शिक्षा नीति रही है, उसके दो चार शब्द यह हैं :—

"प्रदेशीय सरकारों का यह परम कर्त्तव्य है कि प्रदेश में सर्वप्रथम प्रारम्भिक शिक्षा का प्रसार किया जावे।"

उसके बाद यह तो रही शिक्षा के प्रसार की बात, लेकिन आज ४०–४५ साल हो गये, जिस बात की मांग आज हम कर रहे हैं, या जिस बात की मांग हमारी विधान सभा में संविधान को बनाते वक्त देश के नेताओं ने की कि देश में शिक्षा को फ्री और कम्पलसरी कर दिया जाय यह कोई नयी मांग नहीं है।

सन् १९१० में भी माननीय गोखले ने एक प्रस्ताव केंद्रीय सभा में रखा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक साल बाद ही १९११ में उन्होंने इस अस्त्र का विधेयक भी प्रस्तुत किया। लेकिन यह अर्ध शताब्दी व्यतीत हो जाने के बाद भी आज इतिहास अपने को दोहरा रहा है और आज इस प्रदेश की विधान सभा में भी वही प्रस्ताव पेश हो रहा है जो कि अर्ध शताब्दी पहले हमारे देश के एक महान नेता ने किया था। वैसे तो मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के प्रस्तुत करने की कुछ अधिक आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारे संविधान में एक डाइरेक्टिव है जिसमें सरकार को आदेश दिया गया है कि इस संविधान के प्रारम्भ होने के १० साल के भीतर इस बात का प्रयत्न किया जाय कि प्रदेशों में शिक्षा को फ्री और कम्पलसरी कर दिया जाय। लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी हम देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा की गति में कोई विशेष, मैं शब्द "विशेष" का ही प्रयोग करूंगा, कोई विशेष उन्नति हम नहीं कर पाये हैं। इसके बाद, आज कल की जो शिक्षा प्रणाली है, सरकार इस बात को स्वयं ही मानती है कि आज कोई पौने चार करोड़ के रुपया हम प्रारम्भिक शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, उसमें से लगभग ४९ फीसदी रुपया फिजूल जा रहा है। यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि शिक्षा की जो पुस्तकें हैं उन्हीं के आंकड़ों से कह रहा हूं कि यह रुपया किस तरह से खर्च हो रहा है।

हम सभी जानते हैं कि जब तक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य नहीं किया जाता है तब तक जो हमारे बच्चे पाठशालाओं में पढ़ने के लिये जाते हैं वह किन्हीं कारणों से, वह कुछ भी हों, स्कूलों को, पाठशालाओं को छोड़ देते हैं और चार पांच साल निरन्तर अध्ययन न होने के कारण जो कुछ साक्षरता थोड़ी बहुत उनमें आती है उससे भी हाथ धो बैठते हैं। इसीलिये महात्मा गांधी ने सन् १९३७ में वार्धा एजूकेशनल कांफ्रेंस में कहा था :—

"This expenditure on primary education is a waste of money inasmuchas whatever little is taught is soon forgotten."

हम यह भी देखते हैं कि इस बीच में विशेषरूप से १९३७ से आजतक जो प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हुई है वह अधिक संतोषजनक नहीं है। अगर हम सेन्सस रिपोर्ट्स के आधार पर यह कहें कि जिस तरह से हमारी आबादी प्रदेश की बढ़ी है और जिस तरह से १९३१ में १४ फीसदी के करीब आबादी बढ़ी, उसके बाद १९५१ में यानी २० साल बाद १२–१४ फीसदी बढ़ी उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश में डेढ़ दो करोड़ के करीब आबादी बढ़ गयी। उस बढ़ती हुई आबादी को देखते हुये और पाठशालाओं के आंकड़े और बच्चों की संख्या को देखते हुये हम इस बात को कह सकते हैं कि शिक्षा की तरफ जो उन्नति आपने की है वह संतोषजनक नहीं है। हमने देखा कि १९११ में शिक्षा का प्रतिशत ३·४ था, यानी १६ लाख बच्चे पढ़ा करते थे। उसके बाद १९३१ में देखा कि वह संख्या २३ लाख के करीब हो गई। १९४१ में वह संख्या ४७ लाख के करीब हो गई। अब जो प्रतिशत १९५१ की सेंसस रिपोर्ट में दिया हुआ है उसको अगर माना जाय तो हमारे प्रदेश में जो साक्षरता है वह मैं समझता हूं १०·४ है। अगर इसमें से हम शहर की आबादी निकाल दें तो मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि हमारे ग्रामों में चार साढ़े चार प्रतिशत से अधिक साक्षरता नहीं होगी।

अब देखना यह है कि यह धीमी गति सरकार की तरफ से जो रही है उसका क्या कारण है इसकी जिम्मेदारी सरकार पर भी हो सकती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी दूसरी तरफ भी है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि आज इस बात की आवश्यकता नहीं है कि सरकार उच्च शिक्षा पर अधिक खर्च करे। आज सरकार का ध्यान उच्च शिक्षा की तरफ अधिक जा रहा है, लेकिन जहां प्रारम्भिक शिक्षा का प्रश्न है वहां सरकार उदासीन सी मालूम पड़ रही है। दूसरा कारण, जैसा मैंने बतलाया, प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य न होने के कारण बच्चे घटते रहते हैं। तीसरा कारण इसका मैं यह समझता हूं कि हमारे प्रदेश में एक डबल बोझा भी है। वह यह कि हमारे बच्चों की तादाद इस प्रदेश में दूसरे प्रदेशों को देखते हुये सब से अधिक है। चौथी चीज यह है कि हमारे प्रदेश की आमदनी एक इंडस्ट्रियल प्रदेश न होने के कारण, केवल खेतिहर प्रदेश होने के कारण पर केपिटा बहुत ही कम है। ये कारण किस तरह से हटाये जा रहे हैं इसको सरकार ही अच्छी तरह से समझ सकती है। लेकिन यह कह देना मैं उचित ही समझता हूं कि प्रदेशीय सरकारों का कर्त्तव्य मुख्य तौर से उच्च शिक्षा को बढ़ाना नहीं है बल्कि प्रारम्भिक शिक्षा के ऊपर उसे अधिक ध्यान देना चाहिये। मैं एक पुरानी पुस्तक से उद्धरण पढ़ रहा हूं। हालांकि आंकड़ों को देखते हुये यह कहा जायगा कि यह पुरानी चीज है, लेकिन यह जो पुस्तक है दिनकर देसाई की, इसमें यह लिखा हुआ है :—

"In this Connexion it is to be greatly regretted that when only about 10 per cent of the population is literate the need for increased Provision for primary education is not realised either by provincial Governments or other educationists. In this connexion we are Permitted to quote the words of His Execllenay the Governor of Bombay which he uttered only the other day. Government, he declared is chiefly concerned with primary education and to a less degree with secondary education."

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

जबकि एक विदेशी गवर्नर का यह कथन हो सकता था कि सरकार का मुख्य कर्त्तव्य प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार करना है न कि उच्च शिक्षा का, तो हम इसको बलपूर्वक कह सकते हैं कि जो इस गवर्नर ने बात कही थी वह आजकल के समय में जब कि हमारे यहां प्रजातंत्र स्थापित हो चुका है तो सरकार का मुख्य कर्त्तव्य है कि बजाय उच्च शिक्षा के वह प्रारम्भिक शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान दे।

आज हम देखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार ने १९४७ में एक योजना बनाई और हम लोग स्वप्न देख रहे थे कि संविधान में जो समय निर्धारित किया गया है उसके अन्दर हमारी शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क हो जायगी लेकिन जिस स्वप्न की हम पूर्ति करना चाहते थे, तीन साल के बाद, वह व्यर्थ गया। सन् १९४७ में सरकार ने योजना बनाई कि प्रदेश में २२,००० स्कूलों का निर्माण किया जाय और सरकार कुछ हद्द तक सफल भी रही। १९४७–४८–४९ और १९५० में ११,००० स्कूल खुले और इसके बाद सरकार की योजना समाप्त सी हो गई। हम मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जिस बात की वह घोषणा करते हैं कि प्रदेश में सरकार ने ११,०००स्कूलों की स्थापना की तो उन्होंने उनमें से एक-एक हजार रुपया कितने स्कूलों को दिया और कितनी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो पूर्णरूप से बन चुकी हैं? मैं कहने के लिये तैयार हूं कि इन स्कूलों में इमारत बनी हुई हैं, उनके संबंध में हम लोगों की तरफ से और सरकार का कहना है कि यह स्कूल पूरे हो चुके हैं, उनमें से सात हजार स्कूल ऐसे हैं जिनकी दशा अधूरी है, जिनकी इमारत अधूरी बनी है और बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनके लिये सरकार ने एक-एक हजार रुपये देने के लिये कहा था वह भी सरकार अभी तक नहीं दे सकी है।

इसके बाद हम देखते हैं कि जो केंद्रीय सरकार की ओर से रिपोर्ट निकलती है उसमें उत्तर प्रदेश का जिक्र भी किया गया है। उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में ५२–५३ में ५१ के बजाय जो विद्यार्थी पाठशालाओं में पढ़ते थे उनकी संख्या गिर गई अगर मैं यह कहूं कि इन सब का कारण सरकार की उदासीनता है और सरकार प्रारम्भिक शिक्षा पर अधिक रुपया खर्च करना नहीं चाहती है तो वह गलत बात न होगी।

अब प्रश्न यह होता है कि आज हमारे प्रदेश में इतना कम रुपया खर्च होने के कारण हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत से प्रदेशों से पीछे है। जहां हम इस बात का गर्व करते हैं कि हमारा प्रदेश बहुत सी बातों में अग्रगण्य रहा, चाहे जमींदारी अबालीशन का प्रश्न ले लीजिये, चाहे पंचायत स्थापना का सवाल लीजिये, चाहे प्रोहीबीशन का सवाल ले लीजिये, लेकिन हम इन बातों का गर्व करते हैं, वहां हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में जो साक्षरता का आंकड़ा है वह और सरकारों से पीछे है। बम्बई और मद्रास का तो कहना ही क्या है लेकिन हमारे देश में बहुत से राज्य ऐसे हैं जो बी और सी श्रेणी के हैं, अगर मैं यह कहूं कि हमारा प्रदेश इन बी और सी श्रेणी के राज्यों से भी पीछे है तो मैं समझता हूं कि यह सत्य ही होगा। देहली को ले लीजिये, कुर्ग को ले लीजिये, अजमेर को ले लीजिये, मैसूर को ले लीजिये, हम देखते हैं कि वहां साक्षरता कितनी अधिक है हमारे प्रदेश की अपेक्षा। वहां साक्षरता अधिक है। हमारे यहां विशेषरूप से जब हम लोग जनतंत्र में विश्वास करने लगे हैं तो सरकार को चाहिये कि वह प्रारंभिक शिक्षा के लिये रुपये का प्रबंध करे। इसमें मैं तो समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इतना रुपया ही खर्च हो सकता है कि जो हमारा बजट है उसका कम से कम ६० फीसदी शिक्षा पर व्यय होना चाहिये। यह रुपया कहां से आवे? इसके लिये मैं यह समझता हूं कि जैसा दूसरे देशों में किया गया है वही यहां पर भी करना चाहिये। जहां-जहां प्रारंभिक शिक्षा आरम्भ की गयी है वहां पर एजुकेशन टैक्सेज लगाये गये हैं। जहां तक इस टैक्स का सवाल है लोग इससे अब कुछ चिढ़ से गये हैं लेकिन जहां तक इस टैक्स का सवाल है लोग शिक्षा की खातिर एजुकेशन टैक्स लगाने पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे। दूसरे देशों में भी इस तरह से किया गया है। जैसा कि हमारे यहां केन्द्रीय सरकार ने डेथ ड्यूटी लगायी है उससे करोड़ों रुपया सरकार के रेवेन्यू में आयेगा। उसके लिये हमारी प्रदेशीय सरकार को केन्द्रीय सरकार

से यह अनुरोध करना होगा कि डेथ ड्यूटी के रुपये में से कुछ रुपया प्रदेश की सरकार को दिया जाय जिससे वह शिक्षा पर और अधिक व्यय कर सके। इसके अलावा मैं समझता हूं कि अगर प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाय तो इसके लिये एजूकेशन लोन की योजना बनायी जा सकती है। जिस प्रकार से नैशनल प्लान लोन और दूसरे लोन लेने की योजना बनायी गयी है इसी तरह से अगर एजूकेशनल लोन लेने की योजना बनायी जाय तो कोई कारण नहीं है कि लोग इसमें आगे न आ सकें जिस प्रकार से उन योजनाओं में करोड़ों रुपया आ सकता है तो इसमें भी रुपया आ सकता है। तो मैं नहीं समझता कि सरकार इस अच्छे काम के लिये घोषणा क्यों नहीं करती है और जनता से रुपये की क्यों नहीं मांग करती है ?

जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है सरकार की तरफ से गवर्नमेंट स्कूल और कालेज चल रहे हैं। मैं तो यह समझता हूं कि आज सरकार के जो स्कूल और कालेज हैं वह अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। अगर प्राइवेट एडेड स्कूल और कालेजों का सरकार के स्कूल और कालेजों के परिणाम का मुकाबला किया जाय तो यही मालूम होगा कि प्राइवेट संस्थाओं का परिणाम अच्छा रहता है। इससे यह मालूम होगा कि सरकारी संस्थाओं का काम अच्छा नहीं हो रहा है या जो स्तर वहां पर शिक्षा का है उससे वह ऊंचे नहीं उठना चाहते हैं। इसका इलाज तो यही हो सकता है कि जितने भी सरकारी स्कूल और कालेज हैं उनको तोड़ दिया जाय चाहे वह सेकेंडरी स्कूल हों या कालेज हों। उससे करीब डेढ़ दो करोड़ रुपये की बचत हो सकती है और उस डेढ़ दो करोड़ रुपये को इस योजना पर लगाया जा सकता है। इस तरह की चीज दूसरे देशों में की गयी है। जो इन्कम टैक्स सेंट्रल सबजेक्ट हुआ करता है कुछ उसमें से प्रदेश को हिस्सा मिला करता है, उसको एजूकेशन की तरफ लगाया जाता है। जो हमारे प्रदेश को इन्कम टैक्स का हिस्सा केन्द्रीय सरकार से आता है अगर उस रुपये को हमारी सरकार प्रारंभिक शिक्षा की तरफ लगा सके तो अच्छा होगा। इससे करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है और कुछ काम प्रारंभिक शिक्षा की तरफ बढ़ सकता है।

तीसरी चीज यह है कि यह भी एक सोर्स हो सकता है कि कुछ लेजिस्लेशन ऐसा बनाया जाय कि जो मालदार व्यक्ति हों, जिसको कोई आर्थिक कठिनाई नहीं है उनके लिये एक स्टैन्डर्ड रहने का फिक्स कर दिया जा सकता है और उनसे इस योजना के लिये शिक्षा प्रसार करने के लिये अनिवार्य रूप से कुछ रुपया लिया जा सकता है। मैं समझता हूं यहां भी इस प्रकार का कोई बिल लाया जा सकता है। दूसरे देशों में ऐसी योजना बनायी गयी है अगर औसत लिया जाय तो हमारे यहां १४ प्रतिशत कुल आबादी का ६ से १४ साल के बच्चों का आता है और इस तरह से यह संख्या प्रान्त में ८०–९० लाख के करीब आती है। अगर सरकार के आंकड़े ठीक हैं तो सरकार ने कहा है कि प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य करने में कम से कम १३ रुपया फी बच्चा खर्च हो सकता है और अगर इस तरह से हिसाब लगाया जाय तो १०–११ करोड़ रुपये का व्यय बढ़ जाता है और एक रिकरिंग या चालू खर्च बढ़ा जाता है। मैं अधिक नहीं कहना चाहता केवल इन्हीं शब्दों के साथ में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं कि वास्तव में अगर सरकार को इस प्रदेश को बढ़ाना है, इसे अन्धकार से और निरक्षरता से निकालना है और ग्रामीण जनता को ऊपर उठाना है और सरकार वास्तव में यदि ग्रामीण जनता की सच्ची प्रतिनिधि बनना चाहती है तो हमें उनकी मांगों को जिनसे हम वोट लेते हैं, अवश्य ध्यान में रखना होगा। अगर आप निरक्षरता को दूर करना चाहते हैं और यहां जनतंत्र प्रणाली को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको देश में शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा और देश की जनता के हित के लिये बनाये गये संविधान के ४५ वें अनुच्छेद के लक्ष्य की पूर्ति करनी होगी। जो खर्च हम कम्युनिटी प्रोजेक्ट आदि पर कर रहे हैं वह सब तो अस्थायी चीजें हैं, चाहे हम उद्योग धंधों की तरक्की करें चाहे खाद्यान्नों को बढ़ावें लेकिन जब तक हमारी ग्रामीण जनता साक्षर और शिक्षित नहीं होती है तब तक जो कुछ भी लाभ हमें कम्युनिटी प्रोजेक्ट आदि से हो रहा है वह अस्थायी है, २०–२५ साल में पूरा हो सकता है। मैं कहूंगा कि वास्तव में माननीय शिक्षा मंत्री जी ग्रामीण हैं और वह शिक्षा की ग्रामीण समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं, उनको यह न भूलना चाहिये और अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यहां की शिक्षा की समस्या को हल न किया तो मैं समझता हूं कि वह देश के हित में न होगा।

श्री अध्यक्ष—संशोधन चूंकि नई शक्ल में आये हैं इसलिये जिसके जो संशोधन जिस जगह आयेंगे, उसी क्रम से मैं पेश करने के लिये नाम पुकारूंगा।

***श्री राधामोहन सिंह** (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि प्रथम पंक्ति में "उत्तर प्रदेश" से लेकर तीसरी पंक्ति में "प्रतीत होती है अतः" तक सब निकाल दिया जाय। मेरा इस संशोधन को उपस्थित पंक्ति का उद्देश्य यह है कि मेरे ख्याल से यह शब्द इस में अनावश्यक हैं। जहां तक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने का प्रश्न है इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता है। इसके साथ-साथ यह कहना कि आज जो कुछ हो रहा है वह सन्तोषजनक नहीं है, अथवा ऐसी भावना है कि आगे भी उस में कोई उन्नति नहीं हो सकती। मैं इस प्रस्ताव में इसकी आवश्यकता नहीं समझता। संविधान के अनुसार अपने राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिये, यह कारण ही काफी है और उन शब्दों को अधिक जोड़ कर न तो प्रस्ताव को कोई अधिक बल मिलता है और न कोई तर्क ही उपस्थित होता है।

दूसरी बात यह है कि अगर इस प्रकार के शब्द प्रस्ताव में लाये जाते हैं तो सदन की भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वह इन शब्दों की जांच करे और इस सम्बन्ध में आंकड़े रखे जिससे साबित हो कि शिक्षा की यहां क्य प्रगति हुयी है जिसके आधार पर हम निर्णय कर सकें कि जो कुछ प्रगति हुयी है वह संतोषजनक नहीं है। लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि सदन में समय-समय पर जो आंकड़े प्रस्तुत किये जाते रहे हैं उनसे यह पता चलता है कि काफी प्रगति हुयी है और संतोषजनक हुयी है। "प्रगति" शब्द के प्रयोग से पहले हमें यह समझ लेना चाहिये कि प्रगति के माने क्या हैं। जब तक लक्ष्य सामने न हो तब तक उसकी तरफ हमारी प्रगति नहीं हो सकती। जहां तक साक्षरता का सम्बन्ध है हम उसकी तरफ काफी आगे बढ़े हैं। मैं नहीं कहता कि हम लोग अपने ध्येय तक पहुंच गये हैं लेकिन जिस अवस्था में हम थे इन चन्द सालों में हम जो कर पाये हैं उसमें हम बहुत काफी आगे बढ़े हैं।

श्री अध्यक्ष—आपका संशोधन "प्रतीत होती है" तक है या आप "अतः" तक निकाल देना चाहते हैं।

श्री राधामोहन सिंह—जी हां, "अतः" तक निकालना चाहता हूं। मेरे संशोधन के बाद प्रस्ताव का रूप यह होगा।

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि संविधान के अनुच्छेद ४५ को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यकीय है कि अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की गति को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र किया जावे ताकि संविधान में दिये हुये निर्धारित समय के अन्दर लक्ष्य की पूर्ति हो सके।"

मैं समझता हूं कि इतना प्रस्ताव यह ऐसा है जिसमें किसी को मतभेद नहीं हो सकता। यह अच्छा ही हुआ कि इस प्रस्ताव के अन्दर जो तिथि निश्चित की गयी थी वह हटा दी गयी है। इससे मैं समझता हूं कि हमारी सरकार को भी इस प्रस्ताव को मानने में कोई बाधा नहीं हो सकती। जहां तक साधन जुटाने की बात है हमें अवश्य विशेष ध्यान उस ओर देना है जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। इस विषय में कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा से क्या लाभ होंगे इस सम्बन्ध में हमारे सदन में काफी कहा जा चुका है और कई बार प्रश्न आ चुका है। हमारे संविधान के अन्दर भी जब इस तरह की व्यवस्था है तब इसकी महत्ता और उपयोगिता के बारे में कोई संदेह ही नहीं रह जाता लेकिन मैं दो शब्द इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आजकल इस देश में ही नहीं सभी स्थानों पर बेकारी की समस्या भयंकर रूप में खड़ी हो गयी है। अगर हम अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के सवाल को अपने हाथ में लें तो मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों की बेकारी की जो समस्या है वह बहुत हद तक हल हो जायगी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और साथ ही साथ एक बड़ी फौज प्राप्त हो जायगी पढ़े लिखे लोगों की, जो आज देहातों में ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से चिढ़ते हैं और शहरों की तरफ चले आ रहे हैं। जब छोटे-छोटे देहातों में स्कूल खोले जायेंगे तब हम ऐसे-पढ़े लिखे लोगों की एक फौज देहातों में पहुंचायेंगे और हमें आशा है कि हम अपने यहां साक्षरता के साथ-साथ अपने राज्य में एक ऐसी जागृति पैदा कर सकते हैं जो उस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो सकती है। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव से हम अपने समाज में, अपने राज्य में, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में भी सब लोगों को साक्षर बनाने का कार्य अपने हाथ में लेते हैं। साथ ही साथ एक तरह से हम बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास भी करते हैं और अपने यहां के लोगों को अच्छी तरह से दीक्षित करके, उनको अपनी समस्याओं से पूरी पूरी जानकारी करा कर अगर ऐसे बड़े समुदाय को देहातों में भेजते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि वैसे तो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना एक राष्ट्र का परम धर्म है लेकिन जिस नाजुक समय से राष्ट्र हमारा आगे बढ़ रहा है उसको देखते हुये जो समस्यायें हमारे सामने हैं यह एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया है और अविलम्ब हमारी सरकार इस तरफ कदम उठाये और संविधान के अन्दर जो समय नियत किया गया है उस समय के अन्दर इस लक्ष्य की पूर्ति का प्रयत्न करे।

एक बात की ओर और मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक बालकों की शिक्षा का प्रश्न है उसमें तो हमें संतोष है कि हम बहुत आगे बढ़ गये हैं लेकिन साथ ही हमको इस बात को खेद के साथ स्वीकार करना चाहिये कि जहां तक बालिकाओं की शिक्षा का प्रश्न है अभी हम बहुत पीछे पड़े हुये हैं। हमारे संघ के अन्दर ही बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर बालिकाओं की शिक्षा बहुत काफी बढ़ गयी है लेकिन हमारे यहां बहुत कम है। यह प्रस्ताव अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के कार्यक्रम को आगे ले जाता है और पूरा करने का प्रयत्न करता है। इससे बालिकाओं के अन्दर शिक्षा का प्रचार होगा और जो थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त करेंगी उनके अन्दर एक तरह की ऐसी प्रेरणा होगी कि वे शिक्षा को आगे बढ़ा सकेंगी। इस तरह से इस बालिका शिक्षा को अपने यहां हम प्रतिष्ठापित करके एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। अपने अन्दर सामाजिक उत्थान के लिये, अपनी महिलाओं के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये, बेकारी की समस्या को हल करने के लिये, ग्रामीण क्षेत्रों की जाग्रति के लिये और घरों की जो मौजूदा अवस्था है उसे शीघ्रातिशीघ्र बदलने के लिये यह कदम उठाना निहायत आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस ओर कदम उठायेगी। जहां हम सैकड़ों काम राष्ट्र की उन्नति के लिये कर रहे हैं वहां यह एक बहुत ही मौलिक प्रश्न है, एक बुनियादी काम है और इस अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को चालू करने के लिये अब विलम्ब नहीं किया जा सकता। यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि हमारे यहां फंड की कमी है। लेकिन यह जो प्रश्न है कि शुल्क को हम माफ कर दें, उसके व्यय के भार को उठा लें तो जो एक बहुत बड़ा प्रश्न बेकारी का है वह हल हो जायगा और इससे जो आर्थिक व्यवस्था की उन्नति हम करना चाहते हैं उस उद्देश्य की भी पूर्ति होती है। लिहाजा यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना तो भार सरकार को उठाने के लिये तैयार रहना ही चाहिये कि वह शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दे और इसका जो बहुत बड़ा महत्व है, मुझे संदेह नहीं इसको पूरा करने में हमें विलंब नहीं होगा।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—प्रध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं। आपकी आज्ञा हो तो मैं तीनों संशोधन एक साथ पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष—आप एक साथ अपने संशोधनों को पेश कर दें।

श्री जगदीश प्रसाद—संकल्प की पंक्ति २ और ३ के शब्द "और न" से लेकर शब्द "प्रतीत होती है" तक निकाल दिये जायं।

संकल्प की पंक्ति ५ के शब्द "१ जुलाई, १९५७ तक" के स्थान पर शब्द "१५ जुलाई १९५६ से १५ जुलाई, १९५९ तक चार वर्षों में" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—यह तो इसमें है ही नहीं। वह तिथि इसमें नहीं रहती है तो यह संशोधन नहीं रहता।

श्री जगदीश प्रसाद—ठीक है। मेरा तीसरा संशोधन यह है कि पंक्ति ६ के शब्द "कर दिया जाय" के स्थान पर "करने का प्रयत्न किया जाय" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—सिर्फ पहला ही संशोधन आपका रहेगा। यह तीसरा भी निकल गया। ये शब्द इसमें रहेंगे ही नहीं।

श्री जगदीश प्रसाद—मुझे प्रसन्नता है कि मेरे दो संशोधनों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और प्रस्तावक महोदय ने उन्हें स्वयं स्वीकार कर लिया और अपने प्रस्ताव का अंश बना लिया।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न हमारे समक्ष हमेशा से रहा है और इस बात के विचार करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता है या नहीं क्योंकि उसकी आवश्यकता को महसूस करते हुये संविधान में इसको रखा गया कि दस वर्ष के अन्दर इसको लागू करने का प्रयत्न किया जाय। परन्तु प्रस्तावकर्ता ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें एक वाक्य के ऊपर थोड़ा विरोध भी हुआ कि प्रगति संतोषजनक नहीं हो रही है। मैं प्रस्तावकर्ता से इस बात में पूर्णतया सहमत हूं कि प्रगति संतोषजनक नहीं है। प्रगति संतोषजनक उसी अवस्था में मानी जा सकती थी जब कि जो संविधान के अन्दर दिया हुआ है उसके अनुसार कोई दस वर्ष की योजना बनायी जाती और दस वर्ष में सम्पूर्ण प्रान्त के अन्दर अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को लागू करने के लिये स्कूल खोले जाते और प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ाया जाता। लेकिन जैसा कि अभी माननीय वीरेन्द्रपति यादव जी ने कहा कि हमारे प्रान्त में शिक्षा की प्रगति हुयी लेकिन प्रारंभिक शिक्षा तीन वर्षों में कम हुयी है। तीन वर्षों में प्रारंभिक संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जहां १९५१–५२ में २८,४०,२८३ थी, वहां १९५२–५३ में २७,४२,७६० हो गयी और १९५३–५४ में २६,९४,५४५ रह गयी। इसका अर्थ यह है कि कुल मिलाकर १ लाख ४५ हजार ७ सौ ३८ छात्रों की कमी १९५१–५२ की अपेक्षा १९५३–५४ में हो गयी। इसको किसी प्रकार शिक्षा की प्रगति नहीं कहा जा सकता और मैं तो यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी भी स्वयं इसको स्वीकार करेंगे कि यह प्रगति संतोषजनक नहीं है। यह दूसरी बात है कि वह उन कारणों से संतुष्ट हों जिनके कारण प्रगति आगे नहीं बढ़ायी जा सकी और कोई दूसरे सज्जन उनसे संतुष्ट न हों। दूसरा जो वाक्य था, राधामोहन सिंह जी ने उसकी पुष्टि की है कि आगे प्रगति होने की सम्भावना नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि यह कहना किसी प्रकार सुन्दर नहीं होगा। मेरा यह संशोधन माननीय वीरेन्द्रपति जी के संकल्प से सहमत होते हुये उसको और सुन्दर बनाता है। हमें यह कहने का अधिकार है कि प्रगति संतोषजनक नहीं है परन्तु यह कहना कि प्रगति की सम्भावना भी नहीं है यह कोई अच्छा शब्द नहीं है और मैं उनसे आशा करूंगा कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। आगे अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में सरकार से इस बात का अनुरोध किया गया है, इस बात का प्रस्ताव किया गया है कि हम उस अवधि के अन्दर इस शिक्षा को पूर्ण करने का प्रयत्न करें। मैं यह समझता हूं कि आज इसके करने में हमें उतनी कठिनाइयां नहीं होनी चाहिये। यों तो खर्चा बढ़ता है, लेकिन जहां तक जनता का सम्बन्ध है, जनता सहयोग देना चाहती है और उसकी इच्छा है कि हमारे यहां प्रारंभिक स्कूल खोले जायं। एक नियम बनाया गया था कि एक हजार रुपया जो देगा, एक हजार रुपया जो गांव वाली जनता देगी, उसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सहायता देगी और वहां स्कूल बन जायगा। मुझे इस बात का अनुभव है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह शिकायत नहीं है कि उसके पास प्रार्थना-पत्र नहीं आये जो एक हजार रुपया देना चाहते हैं। परन्तु बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि हम एक हजार रुपया दे चुके, या देने के लिये तैयार हैं, इमारत भी कुछ बना चुके हैं, लेकिन हमें सहायता नहीं मिली। अब अगर सरकार एक निश्चित योजना बना कर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू करेगी तो उसको यह कठिनाई नहीं होगी कि जनता सहयोग नहीं करती।

एक बात, अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ सका कि मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं और यह बताया है कि १९५१–५४ तक विद्यार्थियों की संख्या में कमी हुयी परन्तु प्रारंभिक स्कूलों के जो आंकड़े हैं उनसे मालूम होता है कि उनके व्यय में वृद्धि हुयी है यह मैं नहीं समझ सका कि इसका क्या कारण है । १९५१–५२ में प्रारंभिक स्कूलों पर व्यय ३,५४,०७,१०० रु० था, १९५२–५३ में ३,८२,८५,९०० हो गया और १९५३–५४ में बढ़ कर ३,९१,३९,००० हो गया । मैं यह समझता था कि सम्भव है कि यह योजना हो कि कक्षाओं में ज्यादा बच्चे जो जाते हैं तो उनकी पढ़ायी में कठिनाई होती है इसलिये ज्यादा स्कूल खोल कर उनमें कम बच्चे प्रत्येक कक्षा में रखने की व्यवस्था की गयी है । परन्तु सरकार ने अपनी इस विज्ञप्ति में दिया है, "अंतिम दो वर्षों में संस्थाओं में कमी दृष्टिगोचर होने का कारण यह है कि अब से दो वर्ष पूर्व शिक्षा विभाग का लक्ष्य प्रसार से हट कर संगठन की ओर आ गया और तदनुसार अनावश्यक तथा आर्थिक दृष्टि से हानिप्रद पाठशालाओं को या तो बन्द कर दिया गया या उन्हें समीपस्थ अन्य पाठशालाओं से मिला दिया गया" । इसका अर्थ यह स्पष्ट है कि किसी प्रकार भी वह संस्थायें बढ़ायी नहीं गयीं । वह संस्थायें कम की गयीं । तो फिर मैं नहीं समझ सका कि व्यय किस प्रकार बढ़ा है ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की कठिनाइयों का जहां तक सम्बन्ध है उसको हम सब महसूस करते हैं । सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार हमारे प्रान्त में ७ से ११ वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या ५८ लाख थी और हमारे प्रान्त में सन् १९५३–५४ में, जैसा कि मैंने अभी बताया कुल छात्रों की संख्या आज इन कक्षाओं में २८,४०,२८३ थी । मैं नहीं समझता कि किस नियोजन के अनुसार कहा गया था कि यह प्रगति संतोषजनक थी और किस नियोजन के अनुसार हम १० वर्षों में इसको पूरा करने का प्रयत्न करें । परन्तु मैं तो यह भी समझता हूं कि आज जब कि कुल संख्या २६ लाख है यह असंभव है कि हम अगले ४,५ वर्षों में ५८ लाख बच्चों की शिक्षा का पूरा-पूरा प्रबंध कर सकें । आज केवल ८६ नगरपालिकाओं में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध है । अतः हम सरकार से इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह भी एक अनुरोध करेंगे कि वह इस पर पुनः विचार करे और एक ऐसी योजना बनाये कि इन चार वर्षों में, सन् १९६० तक यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सारे प्रान्त में लागू हो जाय और अगर किन्हीं कारणवश ऐसा हो कि वह लागू न हो सके तो कम से कम इस सदन को और जनता को यह अवश्य भासित हो जाय कि इसके लिये हमारे यहां प्रयत्न पूरा-पूरा किया गया । इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इस संकल्प में यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि संकल्प की प्रथम पंक्ति के शब्द "प्रारंभिक शिक्षा" के स्थान पर शब्द "बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने" रख दिये जायं ।

अध्यक्ष महोदय, संकल्प में संविधान के अनुच्छेद ४५ की चर्चा की गयी है, जिसके आधार पर यह संकल्प लाया गया है उसको मैं आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं । उसमें लिखा है कि :

"45. The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

इस अनुच्छेद का आशय स्पष्ट है कि सन् १९६० में हमारे देश में कोई भी बालक जिसकी आयु १४ वर्ष या उससे कम की होगी ऐसा नहीं रहना चाहिये कि जिसके लिये सरकार ने अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध न कर दिया हो । इसी आशय के अन्तर्गत मैंने अपना यह संशोधन पेश किया है । शिक्षा की आवश्यकता के सम्बन्ध में मुझसे पहले श्री यादव जी, श्री जगदीश प्रसाद जी तथा श्री राधामोहन सिंह जी आदि ने पर्याप्त प्रकाश डाला है और यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें सदन का समय लिया जाय । सभी इसको मानते हैं और इसकी प्रतीति करते हैं कि इसकी अत्यन्त आवश्यकता है । एक पुरानी कहावत के अनुसार कि "विद्या विहीनाःपशुभिः

[श्री कृष्णशरण आर्य]

समानः।" अर्थात् विद्या के बिना जो मनुष्य होता है वह पशु के तुल्य होता है। आज सरकार जो नियोजन पर, स्वास्थ्य, पर अथवा सिंचाई या सड़कों पर जितना रुपया व्यय करती है उसका पूरा पूरा उपयोग और उसका पूरा-पूरा लाभ इसलिये नहीं हो पाता कि जिनके लिये वह किया जाता है वह उसकी प्रतीति नहीं कर पाते। वे अशिक्षित होने के कारण यह नहीं समझ पाते कि सरकार के साधन क्या हैं तथा सरकार किस प्रकार तमाम आवश्यकताओं को उनकी इच्छा के अनुसार समय-समय पर धीरे-धीरे कर सकती है। वह इसको समझ ही नहीं पाते हैं। जहां पर कुछ थोड़ा सा हो गया वे संतुष्ट नहीं होते और जहां नहीं हो पाया है वह तो असंतुष्ट रहते ही हैं। इसका कारण शिक्षा का कम होना है और जो ग्रामीण भाई हैं, वे जितना प्रचार सरकार की ओर से होता है उसका अनुभव नहीं कर पाते। इसी के साथ साथ जो और योजनायें श्रमदान की हों या अन्य जसे कि अपने पैरों पर आप खड़े होने की हों, उन पर भी पूरा पूरा सहयोग जनता से नहीं मिल पाता। कारण यह है कि जो उनकी महत्ता है उसको भी अशिक्षित होने के कारण ग्रामों की जनता नहीं समझ पाती है। इसलिये मैं तो ऐसा अनुभव करता हूं कि कितना भी धन हम और योजनाओं पर खर्च करें वह तब तक सार्थक नहीं हो पायेगा, जब तक कि उसका लाभ जिन लोगों के लिये वह खर्च किया जा रहा है वह अनुभव नहीं करें और वह तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक शिक्षा की गति तीव्र न हो।

अब एक बात माननीय राधा मोहन सिंह जी ने कही कि शिक्षा जो दी जाती है उससे परिणाम यह हो रहा है कि बेकारी बढ़ रही है। यह दोष शिक्षा का नहीं उसके प्रकार का है। यह सही है कि अंग्रेजों के जमाने में जो शिक्षा दी जाती थी उसका लक्ष्य होता था हमारे विद्यार्थियों को नौकरी की राह पर डालने का और वैसी ही उनमें मनोवृत्ति पैदा करने का। आज भी शिक्षा का यही लक्ष्य रहे यह वांछनीय नहीं। सरकार ने इसी बात को सोचते हुये जो शिक्षा के रीओरियन्टेशन की बात की है उससे लाभ हुआ है। ग्रामों के अन्दर जो शिक्षा अब चलती है उससे केवल नौकरी की भावना प्रोत्साहित न हो करके उनमें अपनी कृषि उन्नति या उद्योग की जो बात है वह आती है। परन्तु यह तो अभी बहुत अपूर्ण है जैसा कि आज ही माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया, केवल २,५०० स्कूल में अभी तक लागू हो पायी है और उनमें से भी केवल ५,७ सौ ऐसे हैं जहां योजना पूरी तरह चल सकी है। तो इसलिये जब तक हमारी शिक्षा की प्रगति और उसके प्रकार दोनों में सुधार न हो शिक्षा की वर्तमान दशा के लिये, उदाहरण के लिये मैं अभी की एक बात बताऊं। इसी १५ अगस्त को मैं एक जूनियर हाई स्कूल के फंक्शन के सिलसिले में गया तो वहां पर मिडिल स्कूल के बच्चे जो ८वें दर्जे के थे, उनके सामने जब अध्यापक महोदय ने माननीय शिक्षा मंत्री जी का भेजा हुआ संदेश पढ़कर सुनाया तथा बताया कि वह प्रदेश के शिक्षा मंत्री का संदेश था। उनके बाद जब मैंने उन लड़कों से पूंछा कि तुम्हारे शिक्षा मंत्री कौन हैं तो किसी ने मौलाना आजाद बताया, किसी ने डा० राजेन्द्र प्रसाद बताया इत्यादि-इत्यादि, तो आज जो ८वें दर्जेके बच्चे हैं वे यह नहीं बता पाते कि हमारे प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है, मुख्य मंत्री कौन हैं या देश का शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा का जो प्रकार उनको दिया जा रहा है वह किस प्रकार उनमें देश के लिये भक्ति पैदा कर सकता है या देश की रचना और निर्माण की ओर उन्हें अग्रसर कर सकता है। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे,शिक्षा के प्रकार और प्रगति दोनों में वांछनीय उन्नति हो सके, जिसकी ओर कि संविधान में संकेत किया है कि सन् १९६० में कोई भी बालक हमारे देश का ऐसा नहीं जिसकी आयु १४ वर्ष की उस समय हो चुकी हो या कम हो निःशुल्क अथवा अनिवार्य शिक्षा न पा रहा हो, इसके लिये विशेष प्रयत्न करें। इसमें जो प्रयत्न विभाग की ओर से हो रहा है शिक्षा की पुस्तकें बदलने के सम्बन्ध में या उसका बोझ विद्यार्थियों पर हल्का करने के सम्बन्ध में, वह अभी तक लाभदायक हो पाया हो, यह सिद्ध नहीं हुआ। अभी जैसा कल विधान परिषद् में जो गैरसरकारी प्रस्ताव था उसके देखने से मालूम यह हुआ कि वहां पर भी विभाग का जो ध्यान है वह इस ओर नहीं प्रतीत होता कि शिक्षा जो सही है, जो हमारे देश के लिये लाभकर हो सकती है वह हो। जैसे अनेक उद्धरण आये जिसमें

इतिहास की चर्चा है कि जो बातें आज भी लिखी जा रही हैं वह बिल्कुल अशुद्ध लिखी जा रही हैं। इससे हमारे यहां के बच्चे जो स्वतंत्र वायु में शिक्षा पा रहे हैं .....।

श्री अध्यक्ष—जरा आप असंगत हो रहे हैं, आप निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर ही रहिये।

श्री कृष्णशरण आर्य—मैं वहीं पर आना चाहता हूं। शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो। अनिवार्य के लिये यह है कि देहात के अन्दर हजारों और लाखों-करोड़ों बच्चे ऐसे हैं कि जिनको शिक्षा दिलाने के लिये उनके मां-बाप कभी नहीं भेजते। वह इसकी महत्ता को अनुभव नहीं करते। जब तक कि यह अनिवार्य न हो तब तक जो स्कूल सरकार खोल रही है वह भी बेकार से रहते हैं क्योंकि गांव के लोग अपने बच्चों को भेजते नहीं और निःशुल्क की बात तो यह है कि गांव वालों से कहा जाता है कि यह फीस, वह फीस तो वह घबड़ाते हैं और इसलिये वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिये नहीं भेजते। इसलिये उसका निःशुल्क होना परम आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने संशोधन के साथ इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संशोधन श्रीमान् वीरेन्द्रपति यादव के संकल्प में पेश करता हूं। इसमें उन्होंने जो संशोधित रूप रखा है उससे भाषा में थोड़ा-सा फर्क हो जायगा।

संकल्प की द्वितीय पंक्ति में "नहीं है" जो अब संशोधित रूप में "नहीं रही है" हो गया है, उसके बाद जो वाक्यांश दिया हुआ है "और न निकट भविष्य में उसमें विशेष उन्नति होने की सम्भावना ही प्रतीत होती है" के स्थान पर "उसमें विशेष प्रगति लाना आवश्यक है" रख दिया जाय तथा तीसरी पंक्ति के बजाय अब चौथी पंक्ति में शब्द "यह" और शब्द "आवश्यकीय" के बीच में शब्द "भी" रख दिया जाय।

मैं समझता हूं कि मैंने अपने आशय को स्पष्ट कर दिया है। अब इसका संशोधित रूप ऐसा हो जायगा —

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है, उसमें विशेष प्रगति लाना आवश्यक है और संविधान के अनुच्छेद ४५ को ध्यान में रखते हुये यह भी आवश्यकीय है" और उसके बाद का वह होजायगा।

श्री अध्यक्ष—आप जरा पढ़िये किस तरह से होगा ?

श्री व्रजभूषण मिश्र—यह इस प्रकार हो जायगा—"इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही है, उसमें विशेष प्रगति लाना आवश्यक है—

श्री अध्यक्ष—"अतः संविधान के अनुच्छेद ४५" अतः से फिर आप शुरू करिये।

श्री व्रजभूषण मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन अतः को भी निकालने का है इस प्रकार वह होगा। "और संविधान के अनुच्छेद ४५ को ध्यान में रखते हुये यह भी आवश्यकीय है और यहां "यह" तथा "आवश्यकीय" के बीच में "भी" और बढ़ा है—"यह भी आवश्यकीय है कि अनिवार्य शिक्षा व निःशुल्क शिक्षा" वगैरह-वगैरह आगे जैसा है। अध्यक्ष महोदय, मानव जीवन में विद्या का बड़ा ऊंचा स्थान है। दो आंख मनुष्य लेकर पैदा होता है और विद्या माता दो आंख उसको अपनी तरफ से देती हैं, तब वह अन्धे से देखने वाला कहा जा सकता है। बिना इस विद्या रूपी आंख के आदमी अंधा ही होता है। कवियों ने विद्या बिहीन को "पशु" कहा है, लेकिन मैं तो और आगे बढ़ करके यह कहना चाहता हूं कि बिना विद्या के मनुष्य अगर पशु है तो अन्धा पशु है। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में आधा भ्रष्टाचार केवल अविद्या के कारण होता है। गांव में अमीन लोग रसीदें देते हैं और ग्रामीण को पता नहीं चलता कि इस पर कितना रुपया लिखा हुआ है। अगर पढ़ा-लिखा हो तो वह जान सकता है और उसको धोखा नहीं दिया जा सकता।

[श्री व्रज भूषण मिश्र]

इसी प्रकार फर्जी कागजों पर लोग हस्ताक्षर कराते हैं। बेचारे को पता नहीं चलता। उससे कहा जाता है कि यह नहर निकालने के लिये तुम्हें हस्ताक्षर करना है, लेकिन उसमें उसका हैन्डनोट बना रहता है या अपने विपक्षियों के प्रति गंदी बात रहती है, इत्यादि। इस तरह हम देखते हैं कि समाज में यदि शिक्षा का प्रसार हो और कम से कम मनुष्य साक्षर बना दिया जाय तो बहुत सी तकलीफें और भ्रष्टाचार और दिक्कतें अनायास ही दूर हो जायं।

प्रस्तुत संकल्प केवल प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। इसमें ऊंची शिक्षा की कोई बात नहीं है, इस वास्ते हम भी यहीं तक सीमित रहेंगे। कागजों पर चाहे शिक्षा की उन्नति दिखायी जाय किन्तु इस संकल्प का जो पहला अंश है कि प्रगति संतोषजनक नहीं रही है, इसमें दो मत नहीं हैं। कागजों पर स्कूलों की संख्या बढ़ी ही दिखायी जाय, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मंत्री जी को या इस सदन को अंधेरे में नहीं रखना चाहता, जहां तक प्रकार का सम्बन्ध है और जहां तक उसके असली व्यवहार का रूप है वहां कागजों पर चाहे संख्या बढ़ी हो, छात्रों की संख्या बढ़ी हो, लेकिन उसकी व्यवस्था बहुत ही शोचनीय है और खराब है। मैं थोड़े में आपके समक्ष दृष्टांत के रूप में अपने जिले की बात बताना चाहता हूं। हमारे जिले में कुल ५२६ प्रायमरी स्कूल हैं, उनमें से १८३ स्कूलों के पास उनके निज के मकान हैं, वह भी बहुत बुरी हालत में हैं। ९३ बन रहे हैं और २१ स्कूल किराये के मकानों में हैं, ७९ मंगनी के मकानों में और १५२ स्कूल पेड़ों के नीचे या खुले में लगते हैं। यह स्वराज्य हो जाने के बाद शिक्षा का स्वरूप है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर हम गर्व कर सकें। इन बातों को जब हम देखते हैं तो कहना पड़ता है कि शिक्षा की प्रगति संतोषजनक नहीं है।

इसके सिवाय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्कूल चल रहे हैं उनमें अध्यापक प्रायः गैरहाजिर रहते हैं। सौ-सौ मील दूर अध्यापकों को रख दिया गया है। मैंने स्वयं ८०-८० मील दौरा करके देखा तो स्कूल में अध्यापकों को अनुपस्थित पाया। वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के क्लार्क से मिले रहते हैं। घर बैठे तनख्वाहें ले लेते हैं और स्कूलों से अनुपस्थित रहते हैं। पोस्टमैनों से मिले रहते हैं? उनको दिन मालूम हो जाता है, आकर तनख्वाह ले जाते हैं, मनिआर्डर का कुछ रुपया उस पोस्टमैन को दे देते हैं और स्कूलों से महीनों-महीनों गैरहाजिर रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। डिप्टी इंस्पेक्टर या और अधिकारी उन स्कूलों पर नहीं पहुंचते, क्योंकि वे सड़कों से ५०-५०, ६०-६० मील दूर होते हैं जहां पहुंचना किसी का बहुत कठिन और दुष्कर है। तो इस आरामतलबी के युग में पैदल चल कर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, जबकि वहां भालू और शेर भी लगा करते हैं। वहां कोई सामग्री पढ़ाई की नहीं दी गयी है। "बेसिक" सब स्कूलों के पट पर लिख दिया गया है, लेकिन बेसिक नाम के सिवाय कोई सामग्री वहां नहीं है। न तकली है, न चरखा है, न रुई है, न खिलौने का सामान है, न नक्शे हैं, न फर्नीचर हैं, कोई चीज नहीं है। इन सब बातों को जब मैं ध्यानसे देखता हूं तो मैं कहता हूं कि प्रगति संतोषजनक नहीं है, इसी के समर्थन में इतनी बातें कहनी पड़ीं। अभी कल हमको यह मालूम हुआ कि हमारी प्रदेशीय सरकार ने १३४ करोड़ आगामी पचवर्षीय योजना के लिये शिक्षा के निमित्त केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी थी। किन्तु वहां से काट-पीट कर केवल २३ करोड़ रुपया स्वीकार किया गया। जब मुझे यह बात मालूम हुयी और उसका हिसाब मैंने लगाया तो यह केवल २० प्रतिशत रह गया। इससे सिद्ध होता है कि शिक्षा की प्रगति में हम कोई विशेष परिवर्तन नहीं ला सकते। इस वास्ते मेरा मत है कि शिक्षा का जो रूप है, जहां तक उसकी व्यवस्था का सम्बन्ध है वह बहुत दूषित है। अभी बताया गया कि सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था की गयी है कि विद्यार्थी को एक मील से अधिक स्कूल पहुंचने के लिये न चलना पड़े। लेकिन मैं अपने जिले के अनुभव के आधार पर बतला सकता हूं कि हमारे यहां बालक को चार-चार छः-छः मील जाना पड़ता है, नदी नालों को पार करना पड़ता है, अभी वहां स्कूलों की संख्या बहुत ही कम है। जिले भर में केवल दो मिडिल स्कूल कन्याओं के हैं और हमारी तहसील राबर्ट्सगंज दूधी में जो १०० मील लम्बी और ९० मील चौड़ी है, उसमें केवल ११ मिडिल स्कूल हैं। अभी यह बताया गया कि प्रदेश में गत तीन साल में विद्यार्थियों की संख्या १-१ लाख हर साल घटी है। तो इस क्रम से तो हम देखते

हैं कि शिक्षा बढ़ने की ओर हम नहीं जा रहे हैं। इस हिसाब से तो ५८ लाख जो हमारे १४ साल से नीचे के छात्र माने जाते हैं वे सभी ५८ साल में निरक्षर हो जायेंगे, साक्षर बनाने की बात तो दूर रही। इस वास्ते यह कहना कि शिक्षा की प्रगति संतोषजनक है यह गलत है। हमारे यहां हजार रुपये की मदद से स्कूल खोले गये। उसमें बहुत से स्कूल बने लेकिन हमारा निज का अनुभव है कि करीब-करीब चौथाई स्कूल तीन ही वर्षों के अन्दर धराशायी हो गये, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। इन सब बातों से सिद्ध हुआ कि शिक्षा की प्रगति असंतोषजनक है, लेकिन उसके साथ ही मैं इतना हताश नहीं हूं कि हम यह मान लें कि हम प्रगति कर ही नहीं सकते। मैं यादव जी को बधाई तो देता हूं कि उन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत कर के सदन को एक अवसर दिया कि शिक्षा का नग्न रूप हमारे सामने आये और हम लोग देखें कि हम किधर जा रहे हैं और हमारी क्या आवश्यकतायें हैं? किन्तु भावी प्रगति के बारे में जो कहा जाता है कि भविष्य में उन्नति की कोई आशा नहीं है मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। मैं तो आशावादी हूं और यह विश्वास करता हूं कि हमारी प्रगति होगी यदि हम लोग जोर लगायें। जो यह कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय इसमें दो मत हैं ही नहीं। इसलिये जो संकल्प है उसका इस संशोधित रूप में मैं समर्थन करता हूं और पुनः यादव जी को बधाई देता हूं।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि संकल्प की पंक्ति ४ के शब्द "आवश्यकीय" के स्थान पर शब्द "आवश्यक" रख दिया जाय और संकल्प की पंक्ति ४ के शब्द "अनिवार्य व निःशुल्क" के स्थान पर शब्द "निःशुल्क तथा अनिवार्य" रख दिये जायं।

श्रीमन्, आवश्यकीय शब्द के लिये बहुत वादविवाद करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। "आवश्यक" से ही काम चल जाता है इसलिये मैंने यह शब्द रखा है। इसके अतिरिक्त "अनिवार्य व निःशुल्क" के लिये जो मैंने "निःशुल्क तथा अनिवार्य" शब्द रखने के लिये संशोधन दिया है उसका अभिप्राय यह है कि संविधान में शब्द पहले निःशुल्क तथा अनिवार्य आता है। बीच में जो "व" है वह यद्यपि और के लिये है लेकिन हमारे यहां संस्कृत में यह जो "व" है वह "या" के लिये आता है। इसलिये मैंने इस प्रकार से "अनिवार्य व निःशुल्क" के स्थान पर शब्द "निःशुल्क तथा अनिवार्य" रखे जाने के लिये संशोधन दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे कोई भाव में परिवर्तन नहीं होता है किन्तु निःशुल्क तथा अनिवार्य में मैं समझता हूं कि अधिक स्पष्ट हो जाता है। यहां पर सेशन में मेरा एक संकल्प पारित हुआ है जिसमें जूनियर हाई स्कूल तक शिक्षा को निःशुल्क दिये जाने के लिये स्वीकार किया गया है। इसलिये निःशुल्क को पहले रखा जाना आवश्यक है इसके बाद अनिवार्य शिक्षा दी जाय।

इसमें जैसा कि माननीय श्री कृष्णशरण आर्य का संशोधन है १४ वर्ष के बालक और बालिकाओं के लिये, इसमें संदेह नहीं है कि १४ वर्ष तक के बालक-बालिकाओं के लिये किया गया है। लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से बालक कुशाग्र वृद्धि होते हैं वह शीघ्र पढ़ कर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। बहुत से बालक ऐसे हैं जो उस उम्र में १२ वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। इसलिये १४ वर्ष तक के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। संविधान में अंग्रेजी में "फ्री ऐंड कम्पलसरी एजूकेशन" लिखा है। इसमें संदेह नहीं है कि हमारे यहां निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बड़ी भारी आवश्यकता है।"

मैं समझता हूं कि हमारी इस शिक्षा के लिये दशाब्दी की अवधि निश्चित की गयी है और अर्द्धदशाब्दी व्यतीत हो चुकी है और अभी तक पूरा संतोष हमें प्रतीत नहीं होता है। किन्तु आगे के लिये अभी समय है। मेरे संशोधन में यह नहीं आ सकता है, लेकिन सरकार विचार कर रही है और निकट भविष्य में सरकार प्रयत्न करेगी जिससे दशाब्दी पूर्ण होने से पहले ही यह पूरी हो जाय। शिक्षा की दशा को देखते हुये और जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा और मैं भी समझता हूं कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिये जो कि वास्तविक शिक्षा हो और उसके लिये विशेष प्रयास होना चाहिये। अशिक्षा के कारण जो गड़बड़ी है वह प्रत्यक्ष है। इसके सम्बन्ध में

[श्री रणंजय सिंह]

कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है तो फिर ऐसा प्रबंध हो जिससे जो मेरा प्रस्ताव गत वर्ष पारित हुआ है उसके अनुसार और इस संकल्प के अनुसार निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा शीघ्र से शीघ्र हो सके । अभी मैंने यह कहा कि ····· ।

श्री अध्यक्ष—इसमें एक गल्ती हुयी है कि इसकी पंक्ति ३ में "आवश्यकीय" के स्थान पर "आवश्यक" रखे जाने का प्रस्ताव आपने किया है । लेकिन यह पंक्ति ३ में न होकर पंक्ति ४ में है ।

श्री रणंजय सिंह—जी हां,पंक्ति ४ के लिये मैं ठीक किये दे रहा हूं कि संकल्प की पंक्ति ४ में "अनिवार्य व निःशुल्क"के स्थान पर "निशुल्क तथा अनिवार्य"रख दिया जाय । दशा ऐसी हो रही है कि हमें अभी सचेत हो जाना चाहिये । अर्द्धदशाब्दी तो व्यतीत हो चुकी है । हमें इस बात का सिंहावलोकन करना है कि हम कितने आगे बढ़े हैं तथा हमने १९५० में संविधान बनाया है और अब कितने आगे बढ़ सके हैं और यहां पर जैसा कि गत वर्ष निःशुल्क शिक्षा के लिये मेरा संकल्प पारित हुआ उसके अनुसार कितनी कार्यवाही हुयी है और सरकार कितना आगे बढ़ी है यह सब बातें विचारणीय हैं । इसलिये सरकार से इसके सम्बन्ध में बारम्बार अनुरोध करना है कि जब तक कि यह संविधान के ४५ वें अनुच्छेद में जो कहा गया है उसकी पूर्णरूप से पूर्ति नहीं होती । इसलिये देहातों की दशा को देखते हुये जैसा कि हमारे मित्र माननीय मित्र यादव जी ने संकल्प रखा है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । यदि वहां पर हमारे १४ वर्ष के बालकों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के लिये साधन हो सके तो इसमें संदेह नहीं है कि हमारे बालक आगे चलकर हमारे प्रदेश का मुख उज्जवल कर सकेंगे और आगे चलकर ऐसा नहीं होगा कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम हो, बहुत लोग अच्छे पढ़े लिखे हो जायेंगे । उनके लिये यदि अच्छी शिक्षा का प्रबंध हो सके तो यह हमारे देश के भविष्य पर अच्छा प्रभाव डालने वाली बात होगी । इसलिये देहातों पर विशेष ध्यान देकर इस संकल्प को इस सशोधन के साथ पारित किया जाय । इससे लाभ ही लाभ है । जो संशोधन रखा गया है यदि उस पर विचार करके देखा जाय तब यह ज्ञात होगा कि उसमें कोई मतभेद की गुंजाइश नहीं है । बालकों की शिक्षा के सम्बन्ध में जो शब्द रखे गये हैं उन पर विचार करने के उपरान्त उनको ठीक ही समझा जायगा । म उसका भी समर्थन कर सकता हूं कि वह अनिवार्य शिक्षा हो चाहे वह १४ साल के बालक हों या १२ साल के या ११ साल के, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है । वह तो इसलिये रखा है कि संविधान के अन्दर ११ वर्ष तक के लिये रखा गया है । वहीं हम यहां पर प्रबंध करने की बात कह रहे हैं, जिससे कि हम सभी बालकों को शिक्षित कर सकें । कम से कम इस प्रकार के अशिक्षित नहीं रहने चाहिये जैसा कि आजकल देखने में आते हैं कि बहुत बूढ़े हो गये हैं लेकिन नाम भी नहीं लिख सकते हैं । यह देश की समुन्नति के लिये आवश्यक है कि शिक्षा हमारे यहां निःशुल्क और अनिवार्य की जाय जैसा कि संशोधन में कहा गया है । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को यहां पर प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—मेरा संशोधन इस प्रकार है कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही है और न भविष्य में उसमें विशेष उन्नति होने की सम्भावना प्रतीत होती है अतः" इन शब्दों को निकाल दिया जाय और इस प्रस्ताव के अन्त में यह शब्द जोड़ दिये जायं कि "साथ ही यह भी आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में ऐसे सुधार किये जायं कि जिनसे धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा सामाजिक गलतफहमियां दूर हों तथा एकता और प्रेम के प्रसार से प्रदेश सुखी और शक्तिशाली बन सके ।"

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री सीताराम शुक्ल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन तो प्रातः पेश हो चुका है, इसे क्यों ले आया हूं ? इस पर मुझे अर्ज करना है । प्रस्ताव तो तरमीम करने

क बाद भी माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्रपति यादव ने इस प्रकार इसको उपस्थित किया है कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति संतोष-जनक नहीं है और न निकट भविष्य में उसमें विशेष उन्नति होने की संभावना ही प्रतीत होती है।"

श्री वीरेंद्रपति यादव—मुझे इस संशोधन की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं है। मालूम नहीं कि आप का क्या संशोधन है?

श्री उपाध्यक्ष—वह पेश भी हो चुका है और मैं समझता हूं इस सदन में पढ़ा भी गया होगा।

श्री सीताराम शुक्ल—यह वोट आफ सेन्सर है सरकार पर, कांग्रेस की सरकार पर। मैं कानपुर जाने वाला था लेकिन जब मैंने इस प्रस्ताव को पढ़ा तो मैंने जरूरी समझा कि मैं आज असेम्बली में जरूर रहूं और अपने विचार जरूर रखूं। मुझे बड़ा दुःख होता है कि जब आज शिक्षा मंत्री जी के लिये ऐसी बात कही जाती है। इस सरकार के वे माननीय शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने अपने आराम को ठोकर मार दी थी और गोलियों की परवाह छोड़ कर कांग्रेस में शामिल हुये। कांग्रेस में शरीक हुये, जेल गए और आज भी बीमार रहने के बाद भी यहां बैठे और काम कर रहे हैं। वह उपमंत्री जिनको ३,००० रुपया मासिक अमरीका से मंजूर हुआ और जिन्होंने अपनी देश भक्ति की वजह से सिर्फ यह पसन्द किया कि हम कम पैसा लेकर भी अपने प्रदेश की सेवा करेंगे और जिनकी योग्यता, लगन और कार्यकुशलता व त्याग के सम्बन्ध में किसी को शक नहीं है और सुबह से लेकर शाम तक इस विभाग के कर्मचारियों ने जितनी जांफिशानी के साथ, परिश्रम के साथ काम किया है, इसकी सभी प्रशंसा करेंगे। कई हजार स्कूल खुलवाये गये, मास्टरों का वेतन करीब-करीब दुगना कर दिया गया।

श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। हमारे मित्र पंडित सीताराम शुक्ल के लिये कह रहे हैं या उपमंत्री सीताराम जी के लिये?

श्री सीताराम शुक्ल—सीताराम शुक्ल शायद उपमंत्री हों या न हों लेकिन पं० बद्री नारायण जी आज या कल जरूर हो ही जायंगे। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इतनी तरक्की होने के बाद भी कई हजार स्कूल खुलने के बाद और मास्टरों की वेतन दुगुनी हो जाने के बाद भी यदि कोई लर्नेड मेम्बर इस तरह की बात कहे तो बड़े दुख का विषय है। आश्चर्य की बात है यदि आपको इस ओर ध्यान आकर्षित करना था तो उसे आपने किया होता। लेकिन जनाब वाला, सुस्त चलने वाले को समझा बुझाकर धमकी देकर तेज चलाया जा सकता है। तेज चलने वाले को कोशिश करने पर बहुत तेज चलाया जा सकता है लेकिन बहुत तेज चलने वाले को और तेज नहीं चलाया जा सकता। अगर उनको चलाया जायगा तो वह मुंह के बल गिर पड़ेगा। आज यही बात है। इतना तो काम किया गया लेकिन अपने ही मेम्बर यह शिकायत करें, यह कार्यवाही अच्छी नहीं है। मैं सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि सदन इस पूरे जुमले को इसमें से जरूर निकाल दे। अव्वल तो इस प्रस्ताव को ही निकाल दे और यदि न हो सके तो मेरे संशोधन के साथ इसको पास किया जाय। हमारी सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है कि हर बच्चे को पढ़ाये, स्कूल खोले, सब को योग्य बनाये। जब यह कोशिश हम कर रहे हैं तब इसको लाने की जरूरत नहीं थी। कोई घड़ी को कहे, साहब यह घड़ी है तो उसे सुना नहीं जायगा क्योंकि हम जानते ही हैं कि यह घड़ी है अतः सुनने में समय नहीं लगाया जायगा। इस काम के लिये सरकार कोशिश करे इसे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। वह तो खुद ही कोशिश कर रही है। बजट आपके सामने है। यह फर-माइये कि बैंक में रुपया रक्खा हुआ है और इस मद में लगा दीजिये, फलां मद का रुपया घटा दीजिये और फलां मद में लगा दीजिये। रुपया हो और खर्च न किया जाय तब तो शिकायत जायज हो सकती है लेकिन आप को मालूम है कि रुपया है नहीं। हर साल बजट पास होता है। फिर यह प्रस्ताव लाना मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव यदि वापस न हो तो कम से कम मेरे संशोधन के साथ पास किया जाय।

एक सदस्य—प्रस्ताव आपका क्या है?

श्री सीताराम शुक्ल---प्रस्ताव तो मैंने पढ़ दिया था लेकिन आप ने सुना नहीं होगा। प्रस्ताव इस प्रकार है कि "संकल्प की पहली पंक्ति के शब्द "अतः तक" निकाल दिया जाय और संकल्प के अन्त में यह वाक्य जोड़ दिया जाय :

"साथ ही यह भी आवश्यक है कि पाठ्क्रम में ऐसा सुधार किया जाय कि जिससे धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा सामाजिक गलतफहमियां दूर हों तथा एकता तथा प्रेम के प्रसार से प्रदेश सुखी और शक्तिशाली बन सके।"

तो उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव आया। जहां तक इसके संशोधन का ताल्लुक है कौन ऐसा मेम्बर है जो नहीं पसन्द करेगा कि हमारे यहां शिक्षा का प्रसार न हो। लेकिन हुजूर वाला यह जरा सोचने की बात है "सक्षरा विपरीताश्च राक्षसाइव केवलम्" मूर्ख बुरा आदमी उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि पढ़ा लिखा बुरा आदमी खतरनाक होता है। पढ़ा जाइये पढ़ा जाइये परन्तु क्या पढ़ाइये आज इस पर गौर करने की जरूरत है। कुछ दिन पहले मैंने चीफ मिनिस्टर साहब जो उस समय शिक्षा मंत्री थे उनसे कहा था कि लोग सिफारिश से पास होते हैं। वे तेज आदमी हैं और जल्दी फैसला कर देते हैं मगर मेरी बात नहीं सुनी। कई साल से मैं अर्ज कर रहा हूं। किन्तु आज खुली हुई बात है कि लोग सिफारिश कर के पास होते हैं। एक लड़का, एक एम० पी० साहब का मेरे जिले में है। उसने कहा कि पिता जी बार बार कहते हैं कि "पढ़ो बेटा! पढ़ो बेटा" किन्तु हम नकल कर के पास हो जायंगे और सिफारिश से नौकरी पा जायंगे। तब पढ़ने की क्या आवश्यकता २० साल से ज्यादा-तर लोग सिर्फ नकल कर के पास होते हैं और सिफारिश से नौकरी पा जाते हैं। तो पहले तो इन मास्टरों को ठीक करना होगा जो पढ़ा रहे हैं। मैंने मुआइना किया कई स्कूलों का और मैं आप से अर्ज करता हूं कि जिनको विश्वास न हो मेरे साथ अभी चलें सदन समाप्ति होने के बाद किसी स्कूल का मुआइना करें तो आप को दिखला सकता हूं। मैंने मुआइना किया, कापी देखी। लड़कों की कापियों में गलतियां थीं। मैंने कहा मास्टर साहब इसमें कौन सी गलती है जो दुरुस्त नहीं की गयी है। मैंने देखा कि मास्टर साहब के दस्तखत थे लेकिन गलती नहीं काटी गयी थी। मास्टर ने गौर से कापी देखी, लेकिन कहा कुछ नहीं, गलती है किन्तु जब मैंने बतलाया तब यह कहा कि गल्ती हो गई। तात्पर्य यह कि लड़के सिफारिश से पास हो जाते हैं। इस पढ़ने से न पढ़ना अच्छा। पहले मास्टरों का पढ़ाना होगा।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता था कि माननीय सदस्य किस शिक्षा पर बोल रहे हैं, प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा या यूनिवर्सिटी शिक्षा पर ?

श्री उपाध्यक्ष---वे अपने संशोधन पर बोल रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---आप जरा सुनें आज जो विद्यार्थी हिन्दी में पास होकर यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, उनसे कहा जाय कि अपना पता लिख दीजिये तो वे अंग्रेजी में लिखने लगते हैं। इसकी वजह है। हिन्दी लिखते ही कांपने लगते हैं। मैंने कहा कि हिन्दी में लिखिये तो घबड़ा जाते हैं। ज्यादा जोर देते हैं अंग्रेजी पढ़ने पर कि अंग्रेजी पढ़ने से नौकरी मिल जायगी और पहले नौकरी मिल भी जाती थी और यह भी समझते हैं कि हिन्दी तो अपनी जबान है, आप से आप आ जायगी। लेकिन आज जरूरत है कि अंग्रेजी अच्छी हो या न हो परन्तु हिन्दी अच्छी हो। हिन्दी कैसे अच्छी हो जब कि शुरू में ही मास्टर साहब ने गलत पढ़ाया है। प्रारम्भ में जब पढ़ाई हो तो ठीक तरह से पढ़ाई हो। मैं सब को नहीं कहता, आज मास्टर बहुत होशियार हैं, तेज हैं, अच्छे हैं, मगर उनकी तादाद बहुत कम है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी पढ़ाई शुरू हो, शिक्षा का प्रसार हो, उत्तम अध्या-पक रखना होगा, क्योंकि अगर मास्टर गलत जानता है तो वह सैकड़ों लड़कों को गलत पढ़ा देगा। तब उसे बड़ी मेहनत के बाद ठीक करना होगा। इसलिये आप को चाहिये कि पहले हम उन मास्टरों का सुधार करें। आज कहा जाता है शुक्ला, मिश्रा, तो शुक्ल को शक्ला

लिखते हैं, मिश्र को मिश्रा लिखते हैं। ऐसी छोटी मोटी गलती भी लोगों को मालूम नहीं। इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं कि पहले मास्टरों को पढ़ाइये। कोई बात नहीं, अगर १ साल बच्चों का पढ़ना रोक देना पड़े। वह उतना नुक्सानदेह नहीं होगा जितना कि उनको गलत पढ़ाना। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि मास्टरों का एक साल भी गलत पढ़ाना बहुत खतरनाक होगा। जो तेज मास्टर हैं उनसे पहले उन कमजोर मास्टरों को पहले पढ़वा दें जो कि गलत पढ़ाते हैं और फिर उनसे पढ़वाने का काम लें।

इसके अलावा मेरा सुझाव है कि जहां तक संभव हो प्रारम्भिक स्कूलों में स्त्रियां पढ़ायें। इसी फ्लोर पर मेरा एक प्रस्ताव पास हुआ था १९३९ में और वह सर्वसम्मति से पास हुआ था कि प्रारम्भिक स्कूलों में अध्यापिकायें रखी जायें। वह प्रेम से बच्चों के साथ अच्छी तरह से बर्ताव कर सकती हैं। उनमें बुद्धि होती है, सहनशीलता होती है, जब्त होता है, छोटे बच्चों को वह अच्छी तरह से पढ़ा सकती हैं। नर्सरी स्कूलों में अध्यापक के स्थान पर स्त्रियां ही हैं। अगर यहां वह काम कर सकती हैं तो देहातों में भी वह काम कर सकती हैं। अच्छा हो कि पुरुष साहबान फावड़ा उठायें और देवी जी बच्चों को पढ़ायें। बच्चों को शिक्षा भी अच्छी मिलेगी और पढ़ाने का काम भी हो जायगा। तो मैं अर्ज करता हूं कि अब आप जो भरती करें नये अध्यापकों की वह इस शर्त के साथ करें कि जहां हमको स्त्री अध्यापिका मिल जायंगी तो फौरन् तुमको छुट्टी मिल जायगी और वह आप की जगह रख ली लायगी। तो प्रारम्भिक शिक्षा में आवश्यक है कि अध्यापिकायें पढ़ायें और उसमें अक्षर के साथ-साथ चरित्र भी पढ़ाया जाय। लाल रोशनी हो गई है। क्या कहूं ?

अब मैं अर्ज कर रहा हूं कि वहां पढ़ाया जाय यह कि सब धर्म एक है। आज बच्चा पैदा नहीं हुआ कि वह समझता है कि हम ऊंचे हैं। हम ब्राह्मण के यहां पैदा हुये हैं लिहाजा ऊंचे हो गये। दूसरा समझता है कि हम ऊंचे इसलिये हैं कि हिन्दू हैं और वह ईसाई और मुसलमान है इसलिये हम से नीचे हैं। मुसलमान समझता है कि हम ऊंचे इसलिये हैं कि हम मुसलमान हैं और वह हिन्दू और ईसाई हमसे नीचे हैं, ईसाई अपने को ऊंचा समझता है। कुछ लोग समझते हैं कि हम धनी हैं इसलिये ऊंचे हैं और वह गरीब है इसलिये हमसे नीचा है। हुजूरवाला, बात तो और कहनी थी परन्तु लाल रोशनी हो गई। इसलिये समय के अन्दर ही अर्ज करूंगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, शुक्ल जी को कुछ समय और दिया जाय।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं शुक्रिया अदा करता हूं मल्ल जी का। आशा है उनकी बात आप भी पसन्द करेंगे। मैं कहने वाला था ही कि मुझे पांच मिनट और दीजिये। मैं अर्ज कर रहा था कि सिर्फ धनी के घर पैदा होना ही बड़प्पन नहीं है। ब्लैकमार्केटिंग से, धोखाधड़ी दे कर, जिस तरह से हो सके, पैसा इकट्ठा करना, बंगला, बागीचा हो जाना, मोटर पर चढ़ना, बड़ी चीज नहीं है। बड़ा वह है जो कि ईमानदार है, सच्चरित्र है चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। या हिन्दू के घर पैदा होने से ही कोई बड़ा नहीं होगा या मुलमान के घर पैदा होने से बुरा नहीं होगा। हर बिरादरी, हर जाति में अच्छे होते हैं। प्रत्येक धर्म में....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि धर्म का विषय आप के संशोधन से सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं बिलकुल अपने विषय पर और रेलेवेंट बोल रहा हूं। मेरे संशोधन में यह चीज है कि वहां धार्मिक शिक्षा हो, साम्प्रदायिकता मिटायी जाय, सामाजिक असमानता मिटायी जाय। बिलकुल रेलेवेंट अर्ज कर रहा हूं। पांच मिनट के अन्दर ही खत्म होता है। अगर ऐसी शिक्षा दी जाय तो हमारा भला होगा।

[श्री सीताराम शुक्ल]

मैं अर्ज करूं आप से कि हर मजहब वालों का मतलब यह था, "इह लोके सुखं भुक्त्वा चांते सत्यपुरं ययौ।" इस लोक में आराम से रहिये और आखिर में ईश्वर को पाइये। लेकिन लोग मजहब का मतलब नहीं जानते हैं। इसलिये लड़ते हैं, अगर मजहब को सही तौर से जान जायं तो झगड़ा न हो। एक बीमार आदमी को बुखार का मर्ज था। वह डाक्टर के पास गया। तो डाक्टर ने उससे कहा कि फलां मिक्सचर पीना और दूध पीना। वैद्य के पास गया तो उसने कहा कि यह गोली खाना और खटाई, मिठाई छोड़ देना, हकीम के पास गया तो हकीम ने कहा कि फलां काढ़ा पीना और मुनक्का खाना। बीमारी तो एक है और दवायें तीन। किसको बुरा कहा जाय ? हर एक की दवा से बीमार अच्छा होता है, जिससे चाहिये दवा करा लीजिये, उसी तरह हर मजहब अच्छा होता है। किसी भी मजहब में रह कर ईमानदारी के साथ ईश्वर को पायेगा और सब को आराम दे सकेगा।

एक जगह तीन मेहमान आये उनमें से एक ने कहा कि मैं वाटर चाहता हूं, दूसरे साहब ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे जल चाहिये और तीसरे साहब ने कहा कि मेरे लिये आब ले आओ। एक ने जल मांगा, एक ने वाटर मांगा और एक ने आब मांगा। उन्होंने कहा कि पहले वाटर आयेगा, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले जल आयेगा और उन्होंने कहा कि नहीं पहले आब आयेगा। इसी पर मारा-मारी, पटका-पटकी हो गयी जल, वाटर और आब के झगड़े में। उसी वक्त एक समझदार आदमी आ गये। उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों लड़ रहे हैं। एक साहब ने कहा कि हमने वाटर मांगा था मैंने क्या गलती की ? दूसरे साहब ने कहा कि हमने जल मांगा था ठीक ही किया था और तीसरे साहब ने कहा कि हमने आब मांगा था। यह भी पीते। उसने समझाया कि नालायको तुम सब एक ही चीज मांग रहे हो, लेकिन अफसोस यह है कि एक दूसरे की बात नहीं समझते हो, इसलिये झगड़ते हो। इसी तरह हर मजहब का मतलब यही है कि सब लोग सुखी, स्वस्थ और प्रसन्न रहें, खूब आराम से रहें और औरों को भी खूब आराम से रखें। चूंकि दूसरे मजहब को नहीं जानते, इसलिये झगड़ते हैं। आप ने रोशनी बुझा दी इसलिये मैं बैठता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)---उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं संकल्प में एक संशोधन पेश करना चाहता हूं। मेरा यह प्रस्ताव है कि संकल्प की चौथी पंक्ति में शब्द "की गति को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र किया जावे, ताकि संविधान में दिये हुये निर्धारित समय के अन्दर लक्ष्य की पूर्ति हो सके" निकाले जायं और उनके स्थान पर शब्द "समस्त प्रदेश में १ जुलाई, १९५७ तक अनिवार्य कर दी जाय" रख दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब आज के एजेन्डा में माननीय वीरेन्द्रपति यादव का यह प्रस्ताव आया तो हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं माननीय वीरेन्द्र पति जी यादव को धन्यवाद देता हूं कि वह इस प्रस्ताव को ओरिजिनल रूप में लाये थे, लेकिन उन्होंने उनका जो ओरिजनल रूप में प्रस्ताव था वह पेश न करके एक दूसरा प्रस्ताव जो कि अमेंडमेंट के रूप में रखा हुआ था उस को यहां पर पेश किया। जो असली प्रस्ताव था उस में एक वास्ताविक स्थिति रखी गयी थी कि शिक्षा १ जुलाई, १९५७ तक अनिवार्य और निःशुल्क कर दी जाय। इसीलिये जो अमेंडमेंट रखा है सिर्फ कुछ शब्दों में इतना जोड़ देना चाहते हैं कि "की गति को विशेष रूप से" ले कर "पूर्ति हो सके" तक के शब्दों को हटा दिया जाय और उस के स्थान पर सिर्फ इतना जोड़ना चाहते हैं कि समस्त प्रदेश में १ जुलाई, १९५७ तक अनिवार्य कर दी जाय। मैं समझता हूं कि इससे मेरा संशोधन स्पष्ट हो जायगा। हम यह चाहते हैं और जो आपने ओरिजनल प्रस्ताव रखा था वह बिलकुल स्पष्ट था। जैसा कि इस प्रस्ताव में कहा गया है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद ४५ में यह लिखा गया है कि १० वर्ष के अन्दर यानी १९६१ तक अनिवार्य शिक्षा समस्त देश में होनी चाहिये। हमारे उत्तर प्रदेश की ६ करोड़ ३६ लाख की आबादी है और यह भारतवर्ष में सब से बड़ा

राज्य है। हमारे प्रदेश में छोटे छोटे प्रदेशों से भी साक्षरता बहुत कम है। इसमें १३·६ प्रति सैकड़ा साक्षरता है और हमारे संविधान में १९६१ की अवधि रखी गयी है। मैं समझता हूं कि इस गति से १९४६ से आज तक जितनी शिक्षा बढ़ी है, बल्कि हमें आपकी आज्ञा से कहना चाहिये कि प्रारम्भिक शिक्षा वास्तव में शिक्षा तो नहीं है और न इसको शिक्षा कहा जाना चाहिये। बहुत से माननीय सदस्यों ने धार्मिक शिक्षा पर सदन का ध्यान आकर्षित कराया। मैं तो कहूंगा कि प्रारम्भिक शिक्षा वास्तविक शिक्षा नहीं है वह तो एक साक्षरता है। शिक्षा की मांग नहीं, साक्षरता की मांग है कि प्रत्येक नागरिक को कम से कम पढ़ना-लिखना आ जाय और अपने दस्तखत कर सके। प्रारम्भिक शिक्षा कोई शिक्षा नहीं, साक्षरता है। और संविधान में प्रोवीजन होने पर भी आज तक जो सरकार ने इसमें प्रगति की है वास्तव में किसी सरकार के लिये, क्या शब्द कहूं, उतना शोभाजनक नहीं है। क्योंकि सन् १९६१ तक किस आधार पर, किस प्रगति से प्रतिवर्ष कितना परसेंटेज के हिसाब से इस सरकार ने साक्षरता बढ़ायी है जरा इसके आंकड़े देख लिये जायं।

जहां तक यह प्रश्न उठता है कि यहां पर इतना पैसा कहां से आयेगा। हम समझते हैं कि सन् १९४६ से आज तक जो कि बजट के आंकड़े इतने अधिक बढ़ गये हैं और ९१ करोड़ का बजट हो गया उस परसेंटेज के हिसाब से सन् १९४६ से आज तक १३.६ परसेंट साक्षरता बढ़ा सके, जो नगण्य है। और इस पर सरकार का ध्यान यथाशीघ्र जाने की आवश्यकता है। इसलिये मैंने प्रारम्भ में कहा था कि वीरेन्द्रपति यादव जी ने जो प्रारम्भिक प्रस्ताव दिया था, उसमें सरकार को समय दे दिया गया था कि इस समय के अन्दर सरकार समस्त प्रदेश में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा कर दे, जिससे सन् १९६१ तक, अगर १९५७ तक समस्त प्रदेश में प्रारम्भ कर दी जाय शिक्षा संविधान की धारा के अनुसार, हम उसका पालन कर सकेंगे। इसी आधार पर जो प्रारम्भिक प्रस्ताव था उसी को मैंने रखा और हम आज यह देखते हैं कि शिक्षा पर जो खर्च किया जा रहा है आसाम में, बिहार में, मद्रास में तथा और प्रान्तों में जिस परसेंटेज से खर्च किया जाता है उतना उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा रहा है। हम देखते हैं कि आसाम में जहां ९० लाख की आबादी है, लेकिन वहां १ करोड़ से भी अधिक रुपया शिक्षा पर खर्च किया जाता है, बिहार में ४ करोड़ की आबादी है वहां पर और अधिक खर्च किया जाता है, मद्रास की आबादी ५ करोड़ है और वहां पर १७ करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाता है। यहां पर ६ करोड़ ३६ लाख की आबादी होने पर भी केवल १० करोड़ रुपया ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है। इसलिये इस सरकार से सदन की मांग नहीं बल्कि संविधान की मांग है और उस मांग के मुताबिक सन १९६१ तक हम देश में साक्षरता ला सकते हैं। शिक्षा की बात को छोड़ दीजिये, मैं समझता हूं कि समाजवादी ढांचे में केवल प्रारम्भिक ही नहीं, प्रारम्भिक शिक्षा तो छोटी सी मांग है उसमें कोई विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता, कोई आर्ट्स और क्राफ्ट्स नहीं सिखाया जाता है, प्राइमरी स्कूल्स का जहां तक सम्बन्ध है वहां तो सिर्फ लिखना-पढ़ना, चिट्ठी लिख सकें और पोलिंग के वक्त जब वोट देने जायं तो अपने कन्डीडेट का नाम पढ़ सकें, इतनी ही हम मांग करते हैं। उतना ही संविधान के अन्दर कहा गया है। जितने प्रगतिशील राज्य हैं होना तो यह चाहिये कि शिक्षा जो है, ऊंची शिक्षा भी चाहे एम० ए० हो या पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज की हो, तो वहां तक निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिये। लेकिन आज इस देश में जहां पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और जनता जो टैक्स से लदी जा रही है प्रारम्भिक शिक्षा भी अगर न देंगे तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार कोई उन्नति नहीं कर पायेगी और संविधान का जो अनुच्छेद है उसका पालन भी यह सरकार ५० फीसदी भी नहीं कर पायेगी सन् १९६१ तक।

जहां तक यादव जी के प्रस्ताव में कहा गया और यहां पर बहुत से लोगों ने कन्ट्रेडिक्ट किया है यह कहा है कि शिक्षा की प्रगति असंतोषजनक नहीं रही है। मैं तो कहूंगा कि शिक्षा की जो हालत है बार बार कहा है और माननीय मिश्र जी ने कहा कि प्राइमरी स्कूल्स की हालत क्या है? न तो अध्यापक अच्छे हैं, हम देखते हैं कि जहां २ प्राइमरी स्कूल्स हैं वहां न फ़र्नीचर

[श्री गंगाधर मैठाणी]

हैं, न ब्लैकबोर्ड है और यह तो हालत है कि जो पढ़ाने के लिय चाक वगैरह है उसकी भी व्यवस्था नहीं और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के द्वारा जो प्राइमरी स्कूल चलाये जाते हैं, न तो उनके अध्यापकों को समय पर वेतन ही मिलता, है जिसको सरकार भी मानती है और उस तरफ के भी सदस्य बराबर इसकी शिकायत करते रहते हैं और कहते हैं कि प्राइमरी स्कूलों की हालत क्या है। हम देखते हैं कक्षा १ से लेकर कक्षा ५ तक कक्षायें हैं और यहां इस सरकार की तरफ से जी० ओ० निकाला गया है कि जिस प्राइमरी स्कूल में ३६ एवरेज बच्चे हों, वहां एक अध्यापक रहना चाहिये, हम मानते हैं कि ३६ बच्चे वहां होंगे, लेकिन कक्षायें उसमें ६ होंगी फिर उसके साथ साथ बेसिक का काम भी होगा, कृषि का भी काम होगा, तो एक अध्यापक किस तरह से ६ कक्षाओं को देखेगा और किस तरह से उनको पढ़ा सकेगा ? तो इस प्रकार से हम यह देख रहे हैं कि सरकार प्रारम्भिक शिक्षा की नीति को बल्कि हम तो इसे साक्षरता कहेंगे, साक्षरता की नीति को किस तरह से इकानामी से या कम से कम खर्च करके चला रही है। कम से कम जितना खर्च हो सके वह नीति इसके लिये यह सरकार बरत रही है। इसलिये हमने यह संशोधन रखा है, जिससे सरकार के लिये एक निश्चित समय दे दिया जाय, जिसके अन्दर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सारे प्रदेश में हो जाय। वरना वैसे मैं समझता हूं कि जिस तरह से आज बोर्डों के द्वारा यह कार्य चलाया जा रहा है उससे प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा का इन्तजाम न जाने कितने वर्षों में भी नहीं हो पायेगा। अभी माननीय शुक्ल जी ने कहा कि अफसोस की बात है कि हमारी पार्टी के लोगों ने ही ऐसा प्रस्ताव रखा है।

मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में अगर सच्ची बात को सच्चा कहा जाय तो उसमें ऐसी कौन सी बात है और माननीय शुक्ल जी ने स्वयं भी इस प्रस्ताव की जो असली चीज है उसका समर्थन किया है और कहा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के स्कूलों की हालत किस तरह से खराब है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि १ जुलाई, १९५७ तक समस्त प्रदेश में चाहे वह शहरी इलाका हो, चाहे देहाती इलाका हो, अनिवार्य और निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा कर दी जाय जिससे कि कम से कम उस प्लेज की जिसको हमने संविधान में लिया है, उसकी पूर्ति हो सके। इस प्रजातंत्र के युग में यह एक कलंक की बात है कि यहां का रहने वाला यह न समझ सके कि इसमें क्या लिखा हुआ है, यह मार्ग किधर को जाता है, यहां तक कि जब वह पोलिंग के लिये जाय तो वह यह भी नहीं समझ पाता कि यह किसका नाम है, यह किसका चिह्न है। इसलिये यह आवश्यक है कि इस सरकार को जो कि समाजवादी ढांचे का अपने को मानती है उसको चाहिये कि यहां के प्रत्येक रहने वाले को कम से कम साक्षर तो बनाये. जिससे उस के सामने जो अन्धकार है वह दूर हो सके और जिससे संविधान की जो मंशा है उस की पूर्ति हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने संशोधन को पश कर रहा हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---प्रस्तुत संकल्प को निम्न रुप में रख दिया जाय।

"इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश में सर्वत्र प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति संतोषजनक बनाने के लिये अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा को १ जुलाई, सन् ५६ से लागू किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तुत संकल्प है वह काफी अपूर्ण है और उसके अन्दर बड़ी-बड़ी खामियां और अनिश्चितता है। वह सरकार की नीति को जो निर्धारित की गयी है उस को भी स्पष्ट नहीं करता है और मैं यह बताना चाहता हूं कि संकल्प को कभी इस तरह अनिश्चित नहीं होना चाहिये। उसके अन्दर निश्चितता लाने के लिये मैंने जिन शब्दों को उचित समझा है उनको इस प्रस्तुत संकल्प में पेश कर दिया है। और मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस राष्ट्र के अन्दर या जिस प्रदेश के अन्दर जम्हूरियत प्रणाली की सरकार है, उसका यह

कर्ज हो जाता है कि उसके नागरिकों को ३ अधिकार स्वतः मिलने चाहिये। अगर वह ३ अधिकार हर एक नागरिक को, हर गरीब को जम्हूरियत में पहाड़ों पर, मैदानों में, चट्टानों पर, हर एक जगह अमीर-ग़रीब और फक़ीर तक नहीं पहुंचते हैं तो हम उस सरकार को डेमाक्रेटिक सरकार मानने के लिये तैयार नहीं हैं। वह तीन अधिकार यह हैं। एक तो उनको फ्री मेडिकल एड मिलनी चाहिये, दूसरा उसको प्राइमरी शिक्षा कम्पलसरी व फ्री होनी चाहिये और तीसरे उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका पूरा पूरा उपभोग करने के लिये उनको पूरी पूरी सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिये। जब तक यह तीन बातें जम्हूरियत किसी जनता तक उस के घर-घर तक नहीं पहुंचती, हम उस को डेमोक्रेटिक कहने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने शिक्षा प्रसार करने के लिये, इसमें कोई शक नहीं, अधिक प्रयास किया और यहां तक किया कि उन्होंने एडल्ट एजुकेशन को भी हमारे प्रान्त के अन्दर कई जगह उसका प्रसार किया, उसको फैलाने की कोशिश की। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि यह बड़ी नासमझी की बात है और इस प्रकार का क़दम जो सरकार ने उठाया है उसके पीछे कोई रैशनलिस्टिक व्यू आफ लाइफ नहीं है और न कोई व्यू आफ प्लानिंग हमें दिखाई देता है।

सब से पहली गलती जो हमारी सरकार ने की है वह यह है कि प्लानिंग जो कि हमारे देश के अन्दर चल रही है उसको सही दिशा में सही तरीके पर सही डायरेक्शन नहीं किया गया। हम समझते थे कि जिस रोज हमारा राष्ट्र आजाद होगा, हमारे भारतवर्ष के अन्दर निःशुल्क और कम्पलसरी शिक्षा लागू हो जायगी और वह चन्द दिनों के अन्दर उन्नति के शिखर पर दिखाई देगा। लेकिन हमने सही प्रायर्टी इसको न देकर दूसरे दूसरे क्षेत्रों में अपने प्रदेश के रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर दिया और इस कारण से जितनी उन्नति होनी चाहिये थी उतनी नहीं हो पायी। इसलिये मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं हाउस से और सरकार से कि हमारी प्लानिंग सब से पहले शिक्षा के क्षेत्र में होनी चाहिये थी और उस प्लानिंग का नक्शा अभी तक सरकार ने हमारे इस सदन में नहीं पेश किया, यह बड़े खेद की बात है। जब कि हमारे प्रान्त में बड़े पढ़े-लिखे विद्वान और साइंस और लिट्रेचर और दूसरी दूसरी बातों को जानने वाले हैं, यह अत्यन्त खेद की बात है कि अभी तक उस भविष्य का नकशा हमारे सामने, हमारे माननीय सदस्यों के सामने पेश नहीं किया गया। मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली और नीति सरकार की कहां तक उचित है कि जिसमें जो मरने वाले हैं, २० साल के अन्दर, १० साल के अन्दर, चन्द सालों के मेहमान हैं, जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार के अन्दर हैं, ४० वर्ष से लेकर ६० वर्ष और ६० से ८० वर्ष तक के एडल्ट एजूकेशन ले रहे हैं जो कतई कोई मानी नहीं रखता है। इस मुल्क में जिसके विकास के जरिये ऐसे हों, जैसा कि हमारा मुल्क है, वहां जो कब्रस्तान की ओर लोग जा रहे हैं उनको "अ" "ई" की किताबें पढ़ाई जा रही हैं और शिक्षा दी जा रही हैं जो चन्द घंटों के अन्दर कब्रस्तान जाकर उस शिक्षा को खाक में मिला देंगे मैं समझता हूं कि हमारे रिसोर्सेज को इस प्रकार वेस्ट करना किसी सरकार का अधिकार नहीं जब कि हमारे लाखों और करोड़ों बच्चे, ६ करोड की आबादी में हर साल पैदा होते हैं उनकी अनिवार्य और कम्पलसरी एजूकेशन न हो सकने के कारण गरीबों के बच्चे जाहिल, बड़ी तादाद में मल्टिप्लाई कर रहे हैं। अब आपकी शिक्षा की नीति क्या मानी रखती है? वह नीति नीति नहीं है वह तो अनीति है यह मैं स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं। इन्सान पैदा होता है, वह अपनी बुद्धि से काम लेता है। हम अगर इस देश को साक्षर बनाना चाहते हैं, और निरक्षरता को १० साल के अन्दर यहां से लिक्विडेट करना चाहते हैं तो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होना चाहिये और वह तभी हो सकता है जब कि हमारे बच्चे जो पैदा हों उनमें एक भी जाहिल न रहने पाये। मैं आप को बताना चाहता हूं कि आप का एडल्ट एजूकेशन का रुपया यार-दोस्तों में, रिश्तेदारों में बंट रहा है और छोटे छोटे सरकारी नौकर अपने भाइयों को पेंशन और खैरात के बतौर बांट देते हैं। जब मैंने यह देखा तो मैंने माननीय सम्पूर्णानन्द जी को एक पत्र लिखा चार साल पहले

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

और मैंने बताया कि आपकी सरकार यह क्या कर रही है। गरीब जनता के रुपये को क्यों खैरात में बांट रही है। वे बूढ़ पढ़ने लिखने से इन्कार करते हैं, वे टीचर्स केवल झूठे रजिस्टर्स भरते हैं और तनख्वाहों को हज्म करते हैं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की नीति से हमारे देश के अन्दर जो प्रगति होनी चाहिये थी शिक्षा के क्षेत्र में वह नहीं होने जा रही है। जितने भी माननीय सदस्य इस सदन में बैठे हैं वे हमारे राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं, वे हमारे भविष्य के निर्माता हैं और उन्हीं के कन्धों पर हमारे उत्तर प्रदेश के ६ करोड़ इन्सानों का उत्तरदायित्व है। हमें उनको सही रास्ते पर चलाना है। हम किसी को खुश करने के लिये आग के भाड़ में उनको झोंक नहीं सकते। गलत क़दमों को उठा कर हम अपने देश को जलती हुई आग में नहीं झोंक सकते। ऐसा हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, यह हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं २० साल में इस देश को पढ़े-लिखे नवयुवक और नवयुतियों का राष्ट्र बनाना तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप को पहली जुलाई, १९५६ से यह क़दम उठाना पड़ेगा और आपको उत्तर प्रदेश के उन गरीबों और भिखमंगों को जो रास्तों पर पड़े हुये हैं उठाना होगा। कोई भी बच्चा जो पैदा होता है चाहे वह अमीर का हो या गरीब का, राष्ट्र की सम्पत्ति होता है। कोई भी अधिकारी जो इन गरीबों और भिखमंगों के बच्चों को सड़क पर पड़े हुये देखता है अगर उसका दिल दहलता नहीं तो मैं समझता हूं कि वह अपने उत्तरदायित्व को निबाह नहीं रहा है, उन कर्तव्यों का उल्लंघन करता है जिनका उसे पालन करना चाहिये। किसी भी बच्चे को राष्ट्र की सम्पत्ति होते हुये यह पूरा-पूरा अधिकार है कि उत्तर प्रदेश की सम्पत्ति से जो विकास वह अपना कर सकता है, करे और हमारी सरकार को उसके लिये उन सारी सुविधाओं को मुहय्या कराना होगा। यह हमारा अधिकार है और यह कांस्टीट्यूशन में प्रदान किया गया है। वह अधिकार केवल कांस्टीट्यूशन तक महदूद रखने के लिये नहीं रखा गया है, वह उपभोग के लिये बनाया गया है वरना वह कांस्टीट्यूशन इनएफ़ेक्टिव है। आप एक आदर्शवादी कांस्टीट्यूशन बना कर के दुनियां के सामने ऊंचा बनना चाहते हैं। मुझे उस पर तरस आता है जो समझता है कि कांस्टीट्यूशन के अन्दर आदर्शवादी धारा को रखकर हिन्दुस्तान ने बड़ी तरक्की कर ली है और दुनियां के बड़े बड़े प्रगतिशील मुल्कों को डिफीट देकर देश आगे निकल गया है। इसलिये मैं बताना चाहता हूं और मेरा प्वाइन्ट स्पष्ट है कि माननीय सदस्य मुझको समझाने में गलती न करें कि सबसे पहले प्लानिंग शिक्षा के क्षेत्र में होना अनिवार्य है और उसकी सबसे पहली सीढ़ी हमारी शिक्षा की जो आधारशिला हमारी प्राइमरी पाठशालायें हैं जब तक उन पाठशालाओं को कंसोलिडट नहीं किया जाता तब तक किसी प्रकार की प्रगति असम्भव है।

मैं कहता हूं कि आज हम अपने स्वार्थ के आवेश में आकर बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को खोल रहे हैं और उन लाखों करोड़ों की तादाद में जनता को शिक्षा से महरूम रख कर हम चन्द व्यक्तियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं इस नीति को अपनाने के लिये क़तई तैयार नहीं हूं और न तो मैं आपकी सराहना ही कर सकता हूं। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे जितने राष्ट्र के नेता हैं, निर्माता हैं वे केवल ४ प्रतिशत लिटरेट जनता में से निकले हैं। मैं उस शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार करना चाहता हूं। हम १०० फीसदी में से उन चुने हुये दिमागों को, उन ईमानदारों को, उन इंटेलेक्चुअल्स को आगे लाकर, उनको पूरा पूरा मौक़ा देकर राष्ट्र के लिये उन नेताओं को पैदा करना चाहते हैं, जो आज हमारे देश को उपलब्ध नहीं है। मैं आप को बतलाना चाहता हूं जैसा कि कवि ने कहा है कि :—

"Many a flower is born to blush unseen.
And waste its sweetness in the desert air"

हमारे गरीबों के घरों में, गरीबों की झोपड़ियों में बड़े-बड़े दिमाग पैदा होते हैं, लेकिन हमें

खेद है कि उन दिमागों को मौक़ा नहीं दिया जाता है उनके विकास का और हम अपनी राष्ट्र सेवा के लिये उनसे बड़ा से बड़ा चमत्कार प्राप्त कर सकते ह परन्तु इस गलती के कारण हमारा देश महरूम रह जाता है। यदि उनका विकास हो सके तो हमारा देश प्रगति की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को मौका दिया जाय कि इस देश में उसकी उचित ढंग से शिक्षा-दीक्षा हो सके।

दूसरी बात मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि आज बड़े दुख की बात है कि हम लोग जो अपने देश की प्रगति के लिये प्लानिंग कर रहे हैं उसमें कभी दूसरों की राय नहीं ली जाती है और जो चन्द व्यक्ति हैं जो अपने को माहिर समझते हैं उन्होंने ही बुद्धि का ठेका ले रखा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनकी बुद्धि सो जाती है, उनकी बुद्धि ऊंघ जाती है और वह सच्चा रास्ता नहीं दिखा सकती है। इसलिये आज अगर आप प्रगति के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आप को सही तरीके पर चलना होगा, सही बात सोचनी होगी। यूनिवर्सिटी खोलने का आप को कोई अधिकार नहीं है। अगर आप ६ करोड़ गरीब जनता के बच्चों को छोड़ कर यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं तो आप का यह कार्य बेकार है। मैं जानना चाहता हूं कि अपने प्रान्त में जितनी यूनिवर्सिटी इस समय मौजूद हैं उनके लिये ठीक प्रबन्ध क्यों नहीं किया जाता है। लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस म जो रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटीज हैं उनका ऐक्सटेंशन क्यों नहीं किया जाता है? क्या जरूरत है डुप्लीकेसी की, आज जहां देखो वहीं डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी दिखाई देती है। संस्कृत की यूनिवर्सिटी आप खोलना चाहते हैं, इसके सम्बन्ध में आप से यह कहना चाहता हूं कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग को ही आप क्यों नहीं बढ़ाते हैं? व्यर्थ में नई यूनिवर्सिटी खोल कर आप प्रजा का रुपया जाया करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग तो अपने स्वार्थ में मुब्तिला हैं। आज हम हाई स्कूल को डिग्री कालेज करने के लिये हैं और बहुत से कर भी दिये हैं। लेकिन प्रायमरी स्कूल जो गरीबों के घर के पास हो वहां स्कूल नहीं खोलते हैं।

मैंने देखा है और माननीय सदस्यों को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। दारुल-शफा में आप लोग रहते हैं। वहां एक प्राइमरी स्कूल है, उस की हालत को आप लोग देखने का कष्ट करें। बिल्डिंग के नाम पर वह एक इमली के पेड़के नीचे स्कूल लगता है जहां पर रात को गदहे, खच्चर व लोग टट्टी किया करते हैं। वहां के हेड टीचर साहब ईंटों पर बैठा करते हैं और जो उनके सहायक हैं वह खड़े रहते हैं। क्या इसी हालत से आप प्रगति के राह पर आगे बढ़ेंगे? कभी नहीं।

मैं आप को यह बतलाना चाहता हूं कि आप आज बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं जिनके लिये सही आधार नहीं है, जिनके लिये सही तरीका नहीं है, उनकी बुद्धि सही रास्ते पर नहीं चलती है, सही रास्ता नहीं बतलाती है। अगर आप आज अपने प्रदेश के छः करोड लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि आप अपने अपने स्वार्थों को छोडिये। आज हालत यह है कि हर आदमी दौड़ रहा है कि मेरे जिले में डिग्री कालेज हो जाय तो मेरा नाम हो जायगा। मैं कहता हूं कि इस चीज को छोडिये। अगर आप अपने स्वार्थ के लिये छः करोड़ लोगों को अंधकार के गर्त में डालना चाहते ह तो वह ठीक नहीं हैं। मैं अपने स्वार्थ के लिये अगर छः करोड़ लोगों को छोड़ कर आगे दौड़ना चाहता हूं तो अगर चन्द्र सिंह का व उस के परिवार का नाम निशान मिट जाय, तो तब उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा, उन्नति करेगा और इसके बच्चे अधिक शिक्षित होंगे और इसके समाज को और नागरिकों को मौक़ा मिलेगा कि वह प्रगति की राह पर आगे बढ़ सकें।

मैं समझता हूं कि जब हमारा मुल्क आजाद नहीं हुआ था और हम उस समय जेलों में यह स्वप्न देखा करते थे कि जब हमारा देश आजाद होगा तो यह समझते थे कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, हमारे राष्ट्र के काम में आयेंगी। लेकिन हमें आज अत्यन्त दुख है कि आज भी हमारे यहां नाचघर वगैरह जारी हैं लेकिन हमारे प्राइमरी स्कूलों

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

के लिये और खास कर हमारे दारूलशफा के पीछे वाले प्राइमरी स्कूल के लिये बिल्डिंग नहीं है। जब दूसरी ऐक्टीविटीज के लिये हमारी सरकार के पास करोड़ों रुपया है तो दारुलशफा के पीछे जो प्राइमरी स्कूल है उस के लिये बिल्डिंग नहीं हो सकती? बच्चों को धूप और वर्षा से बचाने के लिये कोई इन्तजाम नहीं हो सकता है? यह तो शहर की म्युनिसिपैलिटी की शिक्षा की हालत है जो कि अभी कारपोरेशन बनने जा रही है। तो फिर देहात की क्या हालत होगी इसका आप अन्दाजा कर सकते हैं।

श्री मोहन लाल गौतम (जिला अलीगढ़)—मेरा यह प्वाइंट आफ आर्डर है कि आप के पास कुछ अमेंडमेंट आये हुये हैं उनका ही नाम बोला जाता है तो अगर आप कृपा कर यह बतला दें कि और कितने हैं तो उतनी देर तक और लोग खड़े नहीं होंगे।

श्री उपाध्यक्ष—एक तो यह पेश कर रहे हैं और दो और हैं।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—डिप्टी स्पीकर साहब, जो प्रस्ताव आज हमारे सामने पेश है.....

श्री वीरेन्द्रपति यादव—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संशोधन की लिखित रूप में सूचना देने की प्रथा समाप्त कर दी गई है? मेरे पास कोई संशोधन नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष—जो एडमिट किये गये हैं मैं उनके अनुसार ही चल रहा हूं। स्पीकर महोदय ने उनको लिया है मैं उस के अनुसार ही चल रहा हूं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—जितने संशोधन पेश हुये हैं उनकी लिखित सूचना मेरे पास नहीं आयी है।

श्री उपाध्यक्ष—मूल संकल्प ही संशोधित कर दिया इस कारण लोगों को अमेंडमेंट का नोटिस देने का मौका नहीं रहा।

***श्री सुल्तान आलम खां**—डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं आप की इजाजत से यह अमेंडमेंट पेश करना चाहता हूं कि संकल्प की पंक्ति १ में शब्द "प्रारम्भिक शिक्षा" के स्थान पर शब्द "बेसिक तथा टेक्नीकल शिक्षा" रख दिये जायं।

जनाबवाला, जो प्रस्ताव आज हमारे दोस्त मैनपुरी के मेम्बर साहब ने रखा है वह अहम प्रस्ताव है। मैं उनका मशकूर हूं कि उसके जरिये से उन्होंने इस सदन को इस बात का मौका दिया कि हम यहां बैठ कर इस बात पर गौर कर सकें कि हमारे सूबे की तालीम कैसी है और उस में किन किन तरमीमों की जरूरत है और इसको बेहतर बनाने के लिये हम क्या कर सकते हैं। इसमें शक नहीं है कि गुजिश्ता ४, ५ सालों में यानी सन् १९४६ से जब से कि मौजूदा गवर्नमेंट इस सूबे में आयी तालीम की तरक्की देने के लिये उन्होंने अपनी जगह पर काफी कोशिश की। हमने यह भी देखा कि जो बजट पिछले, २, ३ साल से हमारे सामने आये उन बजटों में तालीम पर रुपया बढ़ाने की कोशिश की गयी है खासतौर से अभी तक इस सूबे में जो बजट पेश हुआ करते थे उसमें ज्यादा रकम पुलिस के लिये रखी जाती थी। लेकिन पिछले दो साल से हम यह बात देख रहे हैं कि तालीम के महकमे के लिये जो रकम रखी गयी वह पुलिस के महकमे और दूसरे महकमों से ज्यादा है। इससे यह अन्दाजा होता है कि हकूमत का ध्यान इस तरफ है कि शिक्षा को आम बनायें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और आम लोगों की पहुंच के अन्दर इसको पहुंचाया जाय ताकि अच्छा प्रबन्ध अपने सूबे में हो सके। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जो कुछ तस्वीर है वह मुकम्मल है या उस में किसी और तरमीम की जरूरत है जिसमें और बेहतर बनाने के लिये जरूरत हो।

जनाबवाला, इसमें शक नहीं है कि इन ५ सालों के अन्दर तालीम आम हुई, और बहुत बड़ी तादाद में स्कूल हमारे यहां खुले लेकिन उसके लिये सवाल यह है कि उसको कहां तक हमारी जरूरतों के मुताबिक बनाने की कोशिश की गयी है। यह बड़ा अहम और जरूरी सवाल है जिसके ऊपर इस रेजोलूशन के जरिये से रोशनी डाली गयी है। आम-तौर पर यह भी कहा गया है कि हमारे मुल्क के अन्दर बेरोजगारी का सवाल बहुत बढ़ रहा है। फिर अगर इस बैकग्राउन्ड में इस बात को हम सोचें तो हम को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी तालीम इस किस्म की होनी चाहिये जिससे यह मसला हल हो सके। यह सही है कि हमारे यहां हाई स्कूल और इन्टरमिडियेट कालेजों से २॥, ३ लाख तालिबइल्म हर साल पास हो कर निकलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर तालीम को इतना आम बना दिया जाय कि जिससे आम लोग पढ़ कर निकल सकें तो फिर उनके लिये क्या बन्दोबस्त होगा? जाहिर है कि गवर्नमेंट इतनी बड़ी तादाद में लोगों को साल ब साल नौकरी नहीं दे सकती। हमारे पास इतना सरमाया भी नहीं है कि हम बैठ कर तिजारत कर सकें। इस मुल्क के अन्दर इतनी जमीन नहीं है कि लोग उस में जा कर काश्त कर सकें। तो फिर सवाल यह होता है कि आखिर हम अपने यहां लोगों को तालीम दें तो वह तालीम किस किस्म की होनी चाहिये और उस तालीम को हासिल करने के बाद उन लोगों को क्या करना चाहिये। बहरहाल इस मामले पर बहुत गौर हुआ और बहुत सी बातें सामने आयीं। हम सब यह जानते हैं कि बेसिक एजूकेशन जो इस मुल्क के अन्दर गांधी जी ने पहले बतलाया था और जिसका आइडिया दिया था क्या उस को गवर्नमेंट ने तसलीम कर लिया है? वह एक ऐसी तालीम है जो हमारी त्रुटियों को पूरा कर सकती है। वह हमारी तमाम जरूरतों को पूरा कर सकती है। दूसरी तरह की तालीम जो हमारे लिये जरूरी है वह टेक्निकल ऐजूकेशन है। इसकी इसलिये भी जरूरत है कि हम अपने मुल्क में प्लानिंग और डेवलपमेंट कर रहे हैं और हमने कम्युनिटी प्राजेक्ट्स खोले हैं और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम दुनिया में तरक्की के मैदान में अपनी कमियों को पूरा करें। अगर तालीम को आम करना है और लोगों को इस काबिल बनाना है कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें तो मैं समझता हूं कि प्राइमरी तालीम से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बेसिक और टेक्निकल एजूकेशन पर ध्यान देने की है। इस वक्त हमारे सूबे में ५ युनिवर्सिटीज काम कर रही हैं और इसके अलावा २, ३ और खुल गई हैं या खुलने वाली हैं। हमारे यहां सैकड़ों की तादाद में डिग्री और इन्टरमिडियेट कालेज हैं लेकिन सवाल यह है कि जो लोग यहां से तालीम हासिल करके निकलें वे मुल्क के लिये कहां तक कारआमद हो सकते हैं। पिछले ४, ५ साल में हमारे देश में काफी प्लानिंग हुआ और उसके जरिये से हम लोग आइन्दा के प्रोग्राम बना रहे हैं लेकिन इस प्लानिंग के अन्दर जो इसे प्रायरिटी मिलनी चाहिये मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि वह पूरी प्रायरिटी तालीम को नहीं मिल सकी। हमारे सामने नरेन्द्र देव कमेटी और पब्लिक मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट हैं। हमने उनमें से कुछ तो किया लेकिन इस बात की जरूरत है कि हम उनकी पूरी सिफारिशों को काम में लावें। रिजोल्यूशन का स्कोप तो महदूद है लेकिन तालीम के मसले में बहुत सी दूसरी चीजें भी आवेंगी, मसलन् बच्चों की ट्रेनिंग और डिसिप्लिन क्या हो, उनकी तन्दुरुस्ती कैसी हो और उनके लिये खेल का क्या बन्दोबस्त हो। एकैडेमिक कैरियर के साथ तन्दुरुस्ती भी अच्छी होनी चाहिये। इस सूबे के अन्दर एक काउन्सिल आफ़ फ़िजिकल कल्चर काफ़ी अर्से से कायम हुई जिसका स्कोप यह था कि यह तालिबिल्मों के अलावा और तमाम लोगों की तालीम और सेहत का भी इन्तजाम करेगी, लेकिन उसे तालीम के महकमे से तोड़ कर और किसी दूसरे महकमें में कर दिया गया है। काउन्सिल आफ फ़िजिकल कल्चर की तालीम बिलकुल सही तौर पर तालीम

[श्री सुल्तान आलम खां]

के महकमे से ही हो सकती है। इसलिये हमें इस बात की जरूरत होगी कि हम अपनी तालीम के उस हिस्से को जो दिमाग़ी और इस्प्रीचुअल और जिस्मानी से ताल्लुक रखता है उसकी प्लानिंग करें और उसे प्रायौरिटी दें ताकि हम अपनी क़ौम और मुल्क को सही रास्ते पर चलावें और हम दुनिया में सही क़िस्म के शहरी इन्सान बन सकें।

जब मैं इस कसौटी पर इस रिज़ोलूशन को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि यह कोई मामूली प्रस्ताव नहीं है बल्कि यह एक अहम प्रस्ताव है और इस पर हमें काफ़ी ध्यान देने की जरूरत है। हमारे कांस्टीट्यूशन के अनुच्छेद ४५ में भी कहीं पर यह जिक्र नहीं है कि इससे मुराद सिर्फ प्राइमरी तालीम ही हो सकती है। इसमें लिखा है, यह मैं आप की इजाज़त से पढ़ना चाहता हूं।

"The State shall endeavour to provide within a period of ten years from the commencement of this Constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

इन अल्फाज़ से यह मतलब नहीं है कि इसे महदूद कर दिया हो सिर्फ प्राइमरी एजूकेशन के लिये। बल्कि इसमें सिर्फ यही है कि बच्चों की इब्तदाई तालीम मुफ्त हो और जब्रिया हो और जब्रिया तालीम मुफ्त ही हो सकती है। किसी शख्स को मजबूर करना कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ और साथ में यह मजबूर करना कि अपने पास से उस की तालीम का ख़र्चा बरदाश्त करो, यह मुनासिब नहीं है। इसलिये यह प्रावीज़न रखा गया है कि वह तालीम १० साल में मुकम्मिल हो जाय और तमाम सूबे में ऐसी तालीम हो। जो प्रस्ताव हमारे सामने आया है मैं उस की दिल से ताईद करता हूं और गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस मसले पर गौर करे और सोचे कि तालीम के महकमे को कितनी प्रायौरिटी मिलनी चाहिये और उस का क्या प्लानिंग होना चाहिये और इस बदले हुये जमाने में उसका क्या बदला हुआ रुख होना चाहिये। इसलिये तालीम के सिस्टम में जो तब्दीलियां होंगी उस बारे में कोई दो राय नहीं हैं। हर शख्स इस बात को मानता है कि हमारी तालीम का ढांचा आज से १०० बरस पहले का है जो अंग्रेज ने बनाया था लेकिन इसके साथ साथ हमने इस बात पर तवज्जह नहीं की है कि इसके लिये क्या प्रायौरिटी होनी चाहिये। इससे पहले जो कमेटियां बैठीं उन्होंने भी इसकी तरफ हमारी तवज्जह दिलायी और हर शख्स इस बात को महसूस करता है कि अब वक्त आ गया है कि हम इसे तरजीह दें, प्लानिंग करें और बेसिक और टेक्निकल तालीम को फ्री और कम्पलसरी करें। इन अल्फाज़ के साथ मैं अपने संशोधन के साथ इस रिज़ोल्यूशन की ताईद करता हूं।

*श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि वीरेन्द्रपति यादव जी के संशोधित प्रस्ताव की दूसरी पंक्ति में "रही" शब्द निकाल कर उससे बाद वाले शब्द "है" के पश्चात् पूर्ण विराम कर दिया जाय और शब्द "और" से लेकर तीसरी लाइन में "है" तक निकाल दिया जाय। यह प्रस्ताव मैंने केवल इसलिये रखा है कि मैं चाहता हूं कि इस संशोधित प्रस्ताव के मंशा पर कोई आघात न लगे और सदन एकमत से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। इसलिये मैंने यह आवश्यक समझा है कि इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करूं जिससे किसी भी व्यक्ति को चोट न लगे और हमारे पूरे प्रान्त में जिस चीज की आवश्यकता है वह पूरी हो जाय। इसलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। श्रीमन्, जहां तक प्रारंभिक शिक्षा की बात है हम सभी जानते हैं कि सरकार का जो प्रयास रहा है वह बहुत ही नगण्य रहा है। अपने पूरे प्रदेश में शिक्षा पर १९ करोड़ ८० लाख रुपया के करीब व्यय होता है और उसमें से १० करोड़ रुपया के लगभग सरकार खर्च करती है और ९ करोड़ कुछ रुपया जनता द्वारा प्राप्त होता है। जो प्रारंभिक शिक्षा है उस पर हमारी राज्य सरकार के फंड से ३ करोड़ ३४ लाख, ऊंची शिक्षा पर ३ करोड़ के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगभग सरकार का राज्य के फंड से व्यय होता है और बकिया १० करोड़ जनता व्यय करती है। तो फिर सरकार से अगर यह कहा जाय कि इस सरकार ने अपने शासनकाल में शिक्षा पर और प्रारंभिक शिक्षा पर कोई प्रयास नहीं किया है तो वह कोई अतिशयोक्ति न होगी और न उसके लिये किसी प्रमाण की आवश्यकता होगी। संसार के बहुत से देशों में अनिवार्य शिक्षा है बल्कि दुनिया के अन्य देशों में तो यहां तक है कि प्रारंभिक शिक्षा के समय शिक्षार्थियों को पुस्तकें और कहीं-कहीं खाने पीने की भी सहायता दी जाती है।

अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में अर्ज करूंगा कि अनिवार्य शिक्षा चालू करने के साथ और भी कुछ खास बातों की तरफ उनको ध्यान देना होगा, उसके साथ ही हमारी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होनी चाहिये तभी हमें इसमें सफलता मिल सकेगी। आज हरिजन भाइयों को बड़ी सुविधा दी जाती है किताबें आदि उनको दी जाती हैं, फीस भी माफ की जाती है लेकिन क्या माननीय मंत्री जी दावा कर सकते हैं कि हरिजनों के बच्चे प्रारंभिक शिक्षा में १० प्रतिशत भी जाते हैं, तो इस का उत्तर शून्य ही होगा। यही कारण है कि हरिजन स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेज पाते, वह मजदूरी कर के जीवनोपार्जन के साधन कमाते हैं। उन बच्चों से जो भेड़,बकरियां, गाय, भैंसें चराने का काम लिया जाता है वह उनकी शिक्षा के रास्ते में रोड़ा बन कर रह जाता है और इस तरह से उनके सामने उन की शिक्षा की तरक्की के सामने उनकी आर्थिक कमजोरी खड़ी हो जाती है। इस तरह से उन लोगों के स्तर को बिना उठाये उनके लिये अनिवार्य शिक्षा बेकार है। हमें उनको अपने जीवन के स्तर को उठाने के साधन मौहैय्या करने चाहिये। हमारे प्रदेश की आबादी सवा ६ करोड़ के करीब है उसमें से ६.७ के करीब बच्चे प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ने जाते हैं और २६ लाख ९४ हजार ५४५ प्राइमरी एजूकेशन में पढ़ रहे हैं जिन में से ३ लाख से कुछ ज्यादा लड़कियां हैं। यह भी जरूरी है कि अनिवार्य शिक्षा में स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय। हमारे प्रदेश में शिक्षा का कुल प्रतिशत १३.६ है, वह भी प्रदेश में रहने वाले लोगों के स्तर के अनुसार बंटा है। तराई के इलाके में वह १०· कुछ है, पूर्वी इलाके में वह साढ़े १० के करीब है और बीच के और पश्चिमी इलाके में वह १६. कुछ है और पिछड़े हुए इलाके में स्त्री शिक्षा ३.६ के करीब है। इसलिये जरूरी है कि स्त्री शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाय और यदि वह अनिवार्य होगी तो स्त्री और लड़कों दोनों की शिक्षा की ओर सरकार का ध्यान जायगा, बच्चों में लड़के और लड़कियां दोनों ही होंगी। इन दो प्वाइंट्स की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा चालू करने के लिये हमें विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी ट्रेन्ड करना पड़ेगा। उनमें शिक्षा के प्रति सद्भावना प्रेरित करनी पड़ेगी। जब तक हमारे अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये भेजने को तयार नहीं होते तब तक जबरदस्ती अनिवाय शिक्षा का अर्थ मुकदमेबाजी का बढ़ाना होगा और बहुत से लोगों को इसमें हमें दन्ड भी देना पड़ेगा। तो हमें अनिवार्य शिक्षा के साथ-साथ देहातों में शिक्षा प्रेम भी बढ़ाना पड़ेगा। विद्यार्थियों की अभिरुचि को भी बढ़ाना पड़ेगा और अभिभावकों के शिक्षा प्रेम को भी। विद्यार्थियों के लिये भी कोई ऐसा माध्यम पैदा करना पड़ेगा जिससे वे अपना समय खेलकूद में अधिक न व्यतीत कर पढ़ने में रुचि लें। इसके साथ एक काम और भी करना होगा। आज अधिकतर प्रारंभिक शिक्षा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के हाथ में है। लेकिन यह बोर्डस उस ओर विशेष ध्यान नहीं दे रही हैं। सरकार समय समय पर इतना धन उनको दे रही है लेकिन मेरा दावा है कि ३० प्रतिशत कम से कम ऐसे स्कूल हमारे जिले में हैं जहां कोई छत नहीं है जहां के बच्चे पानी में बैठकर या तो शिक्षा प्राप्त करते हैं या स्कूल बन्द कर दिये जाते हैं और अध्यापक लोग जाकर अपने खेतों पर काम करते हैं। वह भी मजबूर हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लिखते हैं, सरकार को लिखते हैं लेकिन वहां कहीं से कोई उत्तर नहीं आता है और उनके पास फिर कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वह अपने बच्चों को छुट्टी दे दें और नामिनल पढ़ाई करें। तो करना यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्डस प्रारंभिक शिक्षा का काम अच्छी तरह से नहीं करती हैं और जिन्होंने

[श्री रामेश्वर लाल]

जनता के साथ खिलवाड़ किया है उनके हाथ से इसको छीन लेना चाहिये और उनको एड देना बन्द कर देना चाहिये। अगर प्रारंभिक शिक्षा को चलाना है तो यह सब करना पड़ेगा। अनिवार्य शिक्षा देहात में देना है तो जो पीड़ित है, शोषित हैं और त्याज्य हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान जायगा। और यह हमारे हक में अच्छा है कि कुछ थोड़े से लोग जो सभ्यता के नाम पर शहरों में अपना जीवन बिताते हैं उनसे ध्यान हट कर दरिद्रनारायण की तरफ जायगा जो गांवों में बैठे हुये शिक्षा के अभाव में अपनी जिन्दगी व्यतीत करते हैं और जहां की शिक्षा की तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम है। हमें वहां के बच्चों के अभिभावकों के लिये भोजन की व्यवस्था करनी होगी और यही नहीं इस अनिवार्य शिक्षा के साथ-साथ हमें उनकी पुस्तकों का भी प्रबन्ध करना होगा। उनको पुस्तकें देना भी हमारे लिये लाजिमी हो जाता है। यदि हम वहां के रहने वालों के लिये समुचित आजीविका की व्यवस्था करें तो फिर हम वहां अभिभावकों के लिये यह नहीं कहते कि आप उनके बच्चों को पटरी, प्लेट वगैरह दें लेकिन यदि सरकार इसको नहीं मानती है और वहां के लोग आर्थिकव्यवस्था के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते तो मैं इस हालत में निवेदन करूंगा कि सरकार को प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य करने के साथ-साथ उन गरीब विद्यार्थियों के लिये जो पेंसिल, कागज, और दावात अभाव में शिक्षा चालू नहीं कर सकते उनके लिय भी कोई व्यवस्था अवश्य करें।

श्रीमन्, इसके बाद मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य करने के लिये सब से बड़ा काम जो इस सरकार को करना पड़ेगा वह यह है कि स्कूलों में जो लोकल टीचर्स हैं उनको वहां न रहने दिया जाय। श्रीमन्, लोकल टीचर्स जो अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाते हैं वे उन विद्यार्थियों से समय-समय पर अपने घर का तो काम लेते ही हैं साथ ही साथ चूंकि खेती बाड़ी के काम में उनकी दिलचस्पी होती है वे स्कूलों से अमूमन गैर हाजिर भी रहते हैं। मेरा यह कहना नहीं है कि सारे के सारे प्रान्त के अध्यापक ऐसा ही करते हैं लेकिन मैं यह कहता हूं कि लोकल टीचर्स अपने घर के कामों में व्यस्त रहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि शिक्षा को जल्दी से जल्दी अनिवार्य करके लोगों को शिक्षित बनाया जाय तो जहां हमें विद्यार्थियों में एक तरफ रुचि पैदा करनी होगी वहां अध्यापकों में भी रुचि बढ़ानी होगी। अध्यापक अपना कर्त्तव्य समझें और एक निश्चित अवधि के भीतर बच्चों को शिक्षा दे देना है ऐसा वे समझें। अध्यापकों में रुचि बढ़े इसके साथ उन्हें खाने लायक तनख्वाह और भोजन के लिये पर्याप्त साधन और सम्पत्ति मिले ताकि वे आनन्द और सुख की जिन्दगी अपने परिवार के साथ व्यतीत कर सकें। यह बात तभी हो सकती है जब कि टीचर्स में रुचि बढ़े पढ़ाने की ओर और उनको लोकल एरियाज से हटा कर दूसरे एरियाज में भेज दिया जाय। वहां फिर उनका एक ही काम रह जायगा पढ़ाने का। सदन का हर एक सदस्य यह मानेगा कि लोकल टीचर्स जो अपने एरियाज में रहते हैं वे निश्चय ही अपने घरेलू कारोबार में फंसे रह जाते हैं। अगर हमको शिक्षा को ठीक प्रगति देना है तो सबसे जरूरी यह है कि हमको अध्यापकों का स्तर ऊंचा करना होगा, मासिक वेतन अधिक बढ़ाना होगा।

माननीय सीताराम शुक्ल जी ने अपने भाषण में यह सुझाव दिया था कि प्रारंभिक शिक्षा देने के लिये स्त्रियों का स्थान हो। मैं समझता हूं कि होना चाहिये लेकिन स्त्रियों के शिक्षा के अनुपात को देखते हुये हम लाजिमी तौर पर हर अपर प्राइमरी पाठशाला में स्त्रियों को स्थान देने में असमर्थ हो जायेंगे। लेकिन यह निवेदन करूंगा कि यदि यह संभव हो सके और जितनी भी स्त्रियां हमें अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा देने के लिये प्राप्त हो सकें वहां उन्हें हमें भेजना चाहिये। उनमें एक मातृत्व शक्ति होती है, एक प्यार की भावना होती है, बच्चों के प्रति एक ममता होती है और उससे प्रारंभिक पाठशालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बहुत कुछ लाभ हो सकेगा। सचमुच मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो पड़ेगा ही। इसलिये मैं सीताराम जी के सुझाव का समर्थन करता हूं और अपना यह संशोधन प्रस्तुत करते हुये यह उम्मीद करता हूं कि श्री वीरेन्द्रपति और यह सरकार दोनों इसे स्वीकार करेंगे।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वीरेन्द्रपति यादव जी के संशोधन में निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

संकल्प की पंक्ति ५ के शब्द "क्षेत्रों में" और शब्द "तीव्र" के बीच में शब्द "प्रत्येक जिले के एक-एक परगने में" रख दिये जायं।

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अब तक के भाषण मैंने सुने हैं उन सब से यह प्रतीत होता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में यदि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आरम्भ कर दी जाय तो यह सब व्यय पूरा करना कठिन हो जायगा। मैं यह समझता हूं कि प्रत्येक सज्जन इस बात को मानता है कि शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिये। परन्तु यह किस प्रकार से की जाय। जैसा कि हमारे संविधान में लिखा है कि १० वर्ष में अनिवार्य शिक्षा करके ऐसा कर दिया जाय कि कोई भी अनपढ़ बचा न रह जाय। यह प्रायः १४ वर्ष की आयु तक माना है, मैं समझता हूं कि १४ वर्ष की आयु तक कक्षा पांच तक की शिक्षा हो सकती है और इसके साथ यह देखना पड़ेगा कि यह खर्चा कहां से आये ? इस खर्चे को पूरा करने के लिये टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। परन्तु यह समय नहीं कि ऐसी दशा में टैक्सों की भरमार हो। मैं यह बेहतर समझता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में ५१ जिलों में से हर एक जिले में यदि एक-एक परगना में अनिवार्य शिक्षा आरम्भ कर दी जाय निःशुल्क, तो यह कार्य चल सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यदि एक ही जिले में आरम्भ की जाय तो दूसरे जिले अनभिज्ञ रहेंगे। यदि एक-एक जिले में एक-एक परगना ले लिया जाय तो उस परगने का प्रभाव समस्त जिले में होगा और साथ ही साथ यह भी ज्ञात होता रहेगा कि किस प्रकार शिक्षा की उन्नति हो रही है ? यह अत्यन्त आवश्यक है, सबसे बड़ी चीज है कि प्रत्येक देश में पढ़े लिखे व्यक्तियों का होना बड़ा जरूरी है। कोई भी काम किया जाय यदि कोई मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं है तो भली प्रकार कोई काम नहीं कर सकता है। इसके साथ दो बातें और मैं चाहता हूं कि जो बातें प्रारम्भ में बच्चों को सिखानी हों, सिखाना आवश्यक है। पहला कार्य यह है कि जिस प्रकार से बच्चों के बड़े अर्थात् माता पिता जो व्यवसाय कर रहे हों ऐसा न हो कि पढ़ कर वह उस व्यवसाय को भूल जायं। मान लीजिये एक किसान का लड़का है, उसके लिये यह परमावश्यक है कि पढ़ते समय उस को खेती करने का अभ्यास कराया जाय। और इसके लिये मैं अपने मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जगह-जगह पर स्कूलों में जो यह शिक्षा का कार्य था, शिक्षालयों में इसके लिये अध्यापक रखे हैं जो कृषि का काम सिखाते हैं यह उस समय तक ठीक है जब तक बच्चे इस कार्य में अभ्यस्त हों, यदि केवल किताबों से ही यह बात होगी और किताब ही देखकर इसकी जानकारी करेंगे तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। जहां अनिवार्य शिक्षा आरम्भ की जाती है साथ में यह भी होना चाहिये कि गांव के रहने वाले बच्चों को, गांवों में ७५ प्रतिशत किसान हैं, उन बच्चों को यह कार्य सिखाना और उनका अभ्यास कायम रखना यह बड़ा जरूरी है।

इसके साथ ही एक और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि हमारे छोटे-छोटे विद्यालयों में यूनिवर्सिटियों और कालेजों में भी जगह-जगह पर यह कोई भी विचार नहीं कि उन बच्चों का कर्त्तव्य क्या है, आगे चल कर वह अपने देश के लिये कैसे साबित होंगे ? इसका मुख्य कारण यह मैं समझता हूं कि उनके कर्त्तव्यों की शिक्षा नहीं है, न उनके धर्म-कर्म की शिक्षा है, न उनको यह सिखाया जाता है कि कौन गुरू और कौन माता पिता हैं। वह अपने रास्ते से स्वयं चलते हैं। प्रायः बातें सुनने में आती हैं। यूनिवर्सिटी और कालेज के लड़के तो एक सीमा से पार हो जाते हैं। वह बिलकुल अपने आपको यह नहीं समझते कि आगे चल कर अपने देश में हमें क्या करना है, माता-पिता के लिये हमारा क्या कर्त्तव्य है, हमारे नेताओं के लिये क्या कर्त्तव्य है ? इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि जैसे कि सेकुलर स्टेट के एलान होने से पहले प्रत्येक कालेज और स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जाया करती थी, वह तो हानिकर है ऐसा मैं समझता हूं क्योंकि जाति-पांति की बात पैदा हो जाती है। परन्तु दूसरे रूप में उनके आचरण सम्बन्धी सदाचारी, आज्ञाकारी किस प्रकार से वह बन सकते हैं, किस प्रकार से अपने देश के लिये वह एक देश भक्त साबित हो सकते हैं, यह दूसरी चीज है। इसमें भी हमको पढ़ने के साथ-साथ एक खास कदम उठाना

[श्री श्रीचन्द्र]

पड़ेगा। इसके बगैर में समझता हूं कि चाहे वह अनिवार्य शिक्षा हो, चाहे कालेज की शिक्षा हो, चाहे कोई भी शिक्षा हो, बेकार होगी। इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रारम्भ में बच्चों के लिये ऐसा एक कोर्स अनिवार्य किया जाय, साथ-साथ में वह कक्षावार हो कि इन तीन बातों पर-सदाचार, आचरण और आज्ञाकारी बनने पर—अच्छा प्रभाव पड़े। इसके लिये अगली दो कक्षाओं के लिये किताबें बनायी जायं और यह विषय अनिवार्य कर दिया जाय। प्रत्येक स्कूल और यूनिवर्सिटी में यह विषय अनिवार्य हो और इसमें पास होना वैसा ही हो जैसा कि दूसरे विषयों में होता है। मैं, अभी तीसरा दिन है, एक यूनिवर्सिटी के लड़के से मिला। उस लड़के के पिता को यह शिकायत थी कि वह कहना नहीं मानता और अपने मनमाने रास्ते पर वह चल रहा था। मैंने उसको समझाया तो उसने मुझे जवाब दिया कि यूनिवर्सिटी के लड़कों को यह बात सिखाने की जरूरत नहीं। तो जब हमारे प्रदेश में यह बात कही जाती है। एक यूनिवर्सिटी का लड़का इस तरह की बात कहता है तो आगे चल कर और भी कुप्रभाव उस पर पड़ेगा और वह हमारे देश के लिये और उसके अपने लिये घातक सिद्ध होगा। इसलिये प्रथम ही यह आवश्यक है कि जब मर्ज पैदा हो उसका इलाज उसी समय किया जाय। तो यह एक अत्यन्त आवश्यक बात है। यदि हम इसमें ढील करते हैं तो यह हमारी अनिवार्य शिक्षा भी बेकार साबित होगी।

अब आपके सामने यह प्रश्न है कि खर्च कहां से आये। मैं यह समझता हूं कि ५ वर्ष हमारे और शेष हैं। इसके लिये यदि प्रथम वर्ष के प्रत्येक जिले के एक परगने में यह शिक्षा १ जुलाई, १९५६ से अनिवार्य कर दी जाय और उसके बाद दो-दो परगनों में कर दी जाय और तीसरे वर्ष ४,४ परगनों में कर दी जाय, तो इस प्रकार से पांच साल में यह शिक्षा समस्त प्रदेश में पूरी निःशुल्क और अनिवार्य हो सकती है, और जो अध्यापक उसमें कार्य कर रहे हैं, उनके पास यदि अधिक संख्या लड़कों की आ जाती है तो यह आवश्यक नहीं है कि उन लड़कों के लिये और नये अध्यापक रखे जायं। उसके लिये एक साधारण नियम यह भी हो सकता है कि जो लड़के बुद्धिमान हैं ऊंचे क्लास के वह नीचे के क्लासों को पढ़ाने के लिये काम में लाये जा सकते हैं और इस प्रकार एक-एक अध्यापक काफी लड़कों को पढ़ाने का काम कर सकता है। हमारे इस प्रदेश में जो कमी है और जगह जगह पर जो त्रुटियां हैं, उनका कारण यह है कि हमारे जितने भी प्रदेश भारतवर्ष में हैं, उनमें हमारे प्रदेश में शिक्षितों की संख्या सब से कम है और सब से कम संख्य होने से हमको बड़ी हानि पहुंच रही है। जब कि हमारा राज्य एक जमहूरियत का राज्य है प्रजातंत्र का राज्य है तो उसमें मनुष्यों को समझने की कुछ शक्ति होनी चाहिये और यह सबसे आवश्यक और पहली बात है कि वे अपने कर्त्तव्य को समझें। यदि अपने कर्त्तव्य को वह नहीं समझते हैं और यह नहीं जानते हैं कि हमें इस जनतंत्र राज्य में क्या करना है, जनता के लिये हमें क्या करना है, अपने लिये हमें क्या करना है और राज्य के लिये हमको किस प्रकार से सहायता देनी है तो मैं समझता हूं कि यह सब बातें व्यर्थ होंगी। दूसरे और बहुत से विभाग हैं और मैं तो अपनी सरकार को यह राय दूंगा कि दूसरे और जो बेकार विभाग हैं अगर उनको समाप्त कर दिया जाय तो उनसे हमारे देश को कोई हानि न होगी और यह देखने में आ रहा है।

हमारे सामने ८ रिपोर्टें एस्टीमेट्स कमेटी की आयीं। मैं माननीय सदस्यों से आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उन रिपोर्टों को उन्होंने पढ़ा होगा तो उस रुपये को, जो हमारे माननीय सदस्य एस्टीमेट्स कमेटी के मेम्बरों ने सुझाव दिये हैं, काफी रुपया हमारा बच सकता है। मैंने उनको सब को पढ़ा है और देखा है कि वह व्यर्थ रुपया जा रहा है। इस बात पर अगर ध्यान दें कि प्रत्येक विभाग को ले लें और जो बेकार के ऐसे पद हैं, ऐसे सरकारी नौकर हैं, जो कुछ नहीं करते हैं उनको तोड़ दिया जाय और प्रत्येक विभाग को धीरे-धीरे लिया जाय, एक-एक विभाग की ओवरहालिंग की जाय तो इतना हमारा रुपया बच सकता है कि सर्वप्रथम इस अनिवार्य शिक्षा में उसको व्यय करने से, यदि ठीक तरह से काम में लाया जाय तो यह सब जिलों में हमारी योजना बड़ी आसानी से चल सकती है।

अब आपके सामने जो समस्या इस समय है, जगह-जगह पर देखने में आ रहा है और जो कोर्स आज पढ़ाया जा रहा है, वह भी बहुत विचित्र सा है। हम देखते हैं कि बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा में जायं उनकी किताबें ऐसी हैं कि पहले ही ऐसी बातें रख दी गई कि उनकी समझ से वह बिल्कुल बाहर की चीज है और उन बातों को बिलकुल नहीं समझ सकते हैं। कहां प्रारम्भिक शिक्षा और कहां वर्ल्ड का मैप, बड़ी-बड़ी बातें अमरीका वगैरह की सिखायी जाती हैं तो उनकी समझ में नहीं आ सकतीं। हम सामने जो चीज देखते हैं, घरों में हमारे बच्चे जो चीज देखते हैं, पहले ही से अगर उन्हें वहीं से पढ़ाना शुरू करेंगे तो उनकी जल्दी समझ में आ जायगा। बच्चे तो पास-पड़ोस में एक-एक चीज देखते हैं, वहीं से हमें पढ़ाना चाहिये न कि अपने घरों की बातों को छोड़ कर हम एक दम इंगलैन्ड और अमरीका पहुंच जायं, यह तो असम्भव बात है, इसका फल क्या होगा और हमारे बच्चे पढ़ लिख कर उसी भावना के होंगे, वे अपने घर को भूल जायेंगे और विदेशी बातों पर चलेंगे।

एक अत्यन्त आवश्यक बात मुझे इस सम्बन्ध में यह भी कहनी है कि इस समय हमारी आय कम है और बहुत से हमारे छोटे-छोटे वेतन पाने वाले अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उनके लिये दूभर हो गया इसका कारण यह है कि जो बड़े-बड़े आदमी जो हजारों रुपया तनख्वाह पाते हैं या बड़े-बड़े व्यापारी हैं और बड़े-बड़े रुपये वाले हैं, उनके बच्चे किस ठाट से यूनिवर्सिटी में या स्कूल में रहते हैं। हमारे चपरासी या छोटे क्लर्क के बच्चे, उनको शर्म आती है उनके पास बैठने में। तो इसलिये आवश्यक है कि प्रारम्भिक कक्षा से लेकर उच्च कक्षा तक एक ड्रेस कर दी जाय कपड़े की, जिससे कि चाहे अमीर लड़का हो चाहे गरीब का, झिझक पैदा न हो दोनों एक दूसरे की सहायता करते रहेंगे, इसके साथ उनकी आत्मा पर बड़ा भारी असर पड़ेगा, उनके दिमाग की शक्ति बढ़ेगी, उनके अन्दर यह बात पैदा नहीं होगी कि यह अमीर है और मैं ग़रीब हूं। आप देखें कि जब यह प्रभाव किसी मनुष्य के चित्त पर पड़ जाता है कि मैं छोटा हूं और यह बड़ा है तो इससे हमारे देश को बड़ी भारी क्षति पहुंचती है। जैसे कि उच्च विचार का सज्जन या बड़ा मनुष्य देश के काम आने लायक उस को होना चाहिये, वह नहीं हो पाता है और उस के जो विचार हैं, वह कुचल जाते हैं। तो यह परमावश्यक है कि उनकी ड्रेस प्रारम्भिक कक्षा से लेकर उच्च कक्षा तक एक सी होनी चाहिये।

*श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस समय सदन के सामने पेश हुआ वह बहुत महत्व का है हालांकि प्रस्ताव दफा ४५ कांस्टीट्यूशन के मुताबिक नहीं है फिर भी जितना है वह काफी महत्व का है।

दफा ४५ इस प्रकार है :—

"45. The State shall endeavour to provide, within the period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

जहां तक १४ वर्ष का ताल्लुक है इसमें आमतौर से सिर्फ प्रारम्भिक शिक्षा ही नहीं बल्कि ८वें क्लास तक कम से कम बच्चा पहुंच ही जाना चाहिये। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं, जो १४ साल की उम्र में मैट्रिक भी पास कर लेते हैं लेकिन इस वक्त जो बन्धन लगाया गया है, उसको देखते हुये अगर यह माना जाय कि कांस्टीट्यूशन की मांग यह है कि कम से कम आठवीं जमाअत तक फ्री कम्पलसरी एजूकेशन बच्चों के लिये हो, इसका प्रबन्ध दस साल के अन्दर हो जाना चाहिये। वह दस साल पूरा होता है कांस्टीट्यूशन के शुरू होने के हिसाब से सन् ६१ में क्योंकि जहां तक मुझे याद है सन् ५१ में यह कांस्टीट्यूशन शुरू हुआ था, सन् ५१ नहीं बल्कि सन् ५० में और इस तरह दस साल सन् ६० में पूरा हो जाता है। तो सवाल यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

होता है कि यह जो धारा है, इसके जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनमें क्या हो रहा है और इसका क्या अर्थ है, यह सोचने की बात है। जहां तक स्टेट का ताल्लुक है, जो लफ्ज़ इसमें आये हैं कि दी स्टेट शैल ईन्डेवर, उस की परिभाषा इसमें जो दी गयी है वह यह है, कि स्टेट की परिभाषा वही है, जो चेप्टर तीन में हैं, इस चौथे चेप्टर में जो कि तीसरे चेप्टर में और तीसरे चेप्टर में स्टेट की यह परिभाषा दी हुई है--

"In this part unless the context otherewise requires, 'the State' includes the Government and Parliament of India and the Government and the legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India".

यानी इसकी जिम्मेदारी कि स्टेट अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध करेगी जो दफा ४५ में मांग है, उसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार, पार्लियामेंट, हमारे स्टेट की सरकार, इस लेजिस्लेचर और जितनी लोकल बाडीज़ हैं उन पर है और उसके अलावा और क्या अथारिटीज़ हैं, वह सवाल इस वक्त मैं नहीं छेड़ना चाहता। अब सवाल यह पैदा होता है कि इन तीनों ने इस शिक्षा के सम्बन्ध में क्या किया है। इस कांस्टीट्यूशन के डाइरेक्टिव प्रिंसिपल को पूरा करने के लिये क्या हो रहा है, यह जरा विचार करने की बात है और यह सदन चाहेगा कि गवर्नमेंट यह बतलाये कि अब तक इस सम्बन्ध में क्या-क्या हुआ और क्या होगा ताकि यह डाइरेक्टिव प्रिंसिपल के अन्दर जो मांग की गई है, वह अपने समय के अन्दर पूरी हो सके। गवर्नमेंट आफ इंडिया इसमें कितनी मदद करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, लोकल बाडीज़ को इसमें क्या सहायता करनी है, यह सारी बातें जब तक इनकी एक स्कीम सामने न हो तब तक हम यह नहीं समझ सकते कि यह डाइरेक्टिव प्रिंसिपल पूरा हो सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे प्रदेश का ताल्लुक है हम सब से कम पढ़े लिखे इलाके के हैं। सेन्सस कमीशन ने सारे भारत को छः हिस्सों में बांटा है और जबकि सम्पूर्ण भारत की लिटरेसी का परसेंटेज १६·६ है हमारे यू० पी० का जो यह छः रीजंस में से १ रीजन है, उसमें हम सब से कम पढ़े लिखे हैं। इसका ब्योरा इस प्रकार है--

वेस्टर्न इंडिया में ..	.. २३·८ परसेंट लिटरेसी हैं
साउथ इंडिया में ..	.. २२·८ ,, ,,
ईस्टर्न इंडिया में ..	.. १६·८ ,, ,,
नार्थ वेस्ट इंडिया में ..	.. १३·३ परसेंट जिसमें राजस्थान वगैरह सब शामिल हैं
सेंट्रल इंडिया में ..	.. १०·९ और

नार्थ इंडिया जिसमें यू० पी० ही है उसमें १०·८ परसेंट लिटरेसी है।

यानी सारे भारत को सेंसस कमीशन ने जब ६ हिस्सों में बांटा तो उसके सामने लिटरेसी की स्थिति इस प्रकार आयी कि यू० पी० सब से पिछड़ा हुआ है और बाक़ी सब सारा भारत जिसको ५ हिस्सों में उन्होंने बांटा वहां हमसे ज्यादा लिटरेट हैं। स्त्रियों की भी संख्या पढ़ी लिखी स्त्रियों की हमारे यहां सब से पीछे है। साउथ इंडिया में १३.५ परसेंट उनकी संख्या है जब कि हमारे यहां ३.६ है पढ़ी लिखी स्त्रियों की संख्या। यह जब हमारी हालत है तो अब हमें सोचना है कि करना क्या है। अगर इसको रीजनवाइज़ न देखा जाय और अगर इसको स्टेटवाइज़ देखा जाय तो २८ स्टेट्स हैं--अंडमान, निकोबार को मिला कर, हमारा, अध्यक्ष महोदय, नम्बर बीसवां आता है, यानी १९ राज्य हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम बीसवें हैं। बहुत अपने आपको पढ़ा लिखा समझते हैं। यूनिवर्सिटी भी हमारी बहुत ज्यादा है, मनुष्य भी संख्या में बहुत ज्यादा हैं, हमारा कार्य भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जब फ़ैक्ट्स पर जायं तो हम यह देखते हैं कि हमारा राज्य बहुत ही पिछड़ा हुआ है और १९ राज्य इस

देश में हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनमें लिट्रेसी ज्यादा है। यह "हिन्दुस्तान ईयर बुक, १९५५" है, इसके पेज ४३४ पर यह दिया हुआ है और यह सब न कह कर यह बतलाऊंगा कि सब से बड़ी संख्या पढ़े लिखों की तो ट्रावनकोर कोचीन में है और हम लोग बीसवें नम्बर पर लिखे हुये हैं स्टेटवाइज। रीजन-वाइज तो सब से पीछे हैं और स्टेटवाइज बीसवें नम्बर पर हैं। अब हमें देखना है कि कांस्टीट्यूशन का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपिल है, उस को हम कैसे पूरा कर रहे हैं।

यदि हम यू० पी० के आंकड़ों को देखें, यह किताब है "यू० पी० ट्रफिगर्स, १९५२-५३" इसमें देख कर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है क्योंकि इसमें पेज १६ पर यह लिखा हुआ है, टेबिल १६, कि १९५१-५२ में बेसिक प्राइमरी स्कूल्स में विद्यार्थियों की संख्या २८,४०,२८३ थी। १९५२-५३ में २७,४२,७६० हो गयी। यानी एक लाख कम हो हो गयी और १९५३-५४ में २६,९४,५४५ हो गयी, यानी नीचे को चले जा रहे हैं। अब बच्चों की संख्या तो बढ़ रही है। विद्वानों का कहना यह है कि हम १९८१ में पौने नौ करोड़ के हो जायंगे, तो इस तेजी से बच्चों की तादाद बढ़ रही है, हम बीसवें नम्बर पर हैं, बैकवर्ड रीजन हैं और उस पर भी हमारे प्राइमरी स्कूल्स में विद्यार्थियों की संख्या लिट्रेसी में कम हो रही है क्योंकि प्राइमरी के विद्यार्थी लिट्रेट कहलायेंगे, जो उच्च शिक्षा प्राप्त है वह कोई अल्ट्रा लिट्रेट तो होंगे नहीं। तो प्राइमरी स्कूलों में संख्या घट रही है। २८ लाख थी ५१-५२ में, २७ लाख रह गयी ५२-५३ में और २६ लाख ५३-५४ में रह गयी। यह हमारी संख्या है, जो कि गवर्नमेंट की फीगर्स हैं उनके मुताबिक। अब देखना यह है कि जब कि हमारी संख्या घट रही है, इसी के साथ-साथ टीचर्स की संख्या देखने की है। सन् १९५१-५२ में टीचर्स की संख्या ८०,६३३ थी, सन् ५२-५३ में ७८,९४७ थी और १९५३-५४ में ७६,५५३ हो गयी। इस तरह से बेसिक प्राइमरी स्कूल्स में टीचर्स की संख्या घट गयी। विद्यार्थियों की घट गयी, टीचर्स की घट गयी, बैकवर्ड पहले ही हम हैं, बच्चों की संख्या बढ़ रही है और डाइरेक्टिव प्रिंसिपल यह है कि १० साल में इसको पूरा करो। १९५० से १९५५ आ गया, आधा समय बीत गया और आधा ही बाक़ी है, पांच साल। समस्या यह है कि हम इस डाइरेक्टिव प्रिंसिपल को कैसे पूरा करेंगे। मैं समझता हूं कि यह सदन जानना चाहेगा कि सरकार की क्या स्कीम है कि कितना तो केन्द्रीय सरकार देगी, कितना यह सरकार देगी और कितना लोकल बाडीज देंगे ताकि यह डाइरेक्टिव प्रिंसिपल पूरा हो सके।

अब यह तो रही हालत जो अब तक है प्राइमरी एजूकेशन की, विद्यार्थियों की। अगर जरा उधर देखा जाय कि जो इस वक्त प्राइमरी स्कूल्स की हालत है, वह क्या है? वह यह है कि गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि ३५ रुपया तनख्वाह और १२ रुपया मंहगाई भत्ता प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स की तनख्वाह होनी चाहिये। बहुत अफसोस इस बात का है कि उन प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स को ४७ रुपया नहीं मिलता। मैंने एक दो दफ़ा कहा केन्द्र के मंत्रियों और प्लानिंग कमीशन के सदस्यों से दिल्ली जा कर कि अगर मुझसे टीचर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कहे कि मैंने बड़ी गलती की कि शिक्षा पाई, उससे भी ज्यादा गलती की कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की नौकरी की। मुझ से तो रेल का प्वाइंट्समैन या वाटर मैन अच्छा है कि जो ४३ रुपया तनख्वाह और ४५ रुपया मंहगाई भत्ता पाता है, मैं क्या जवाब दूं उस को, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने यह बात कई बार कही। तो ४७ रुपये देने के लिये बहुत से डिस्ट्रिक्ट बोर्डस, कुछ दिनों पहले के आंकड़े मुझे मालूम हैं, आज के नहीं मालूम हैं वह मंत्री महोदय साफ करेंगे। कुछ में २ रुपये मंहगाई भत्ता था, कुछ में ८ रुपये था और डिपार्टमेंट की फ़ीगर्स यह थी कि अगर ४७ रुपये पूरी तनख्वाह देनी हो तो दो करोड़ रुपये सालाना जरूरत होगी। फिर हमने अभी जो एजूकेशनल कान्फ्रेन्स हुई दिल्ली में वहां हमारे हेड्स आफ दि डिपार्टमेन्ट्स और सेक्रेटरीज ने मिल कर यह तय किया कि प्राइमरी टीचर्स की बेसिक सेलेरी ५० रुपये होगी अगर मैंने उस को सही समझा है।

[श्री मोहनलाल गौतम]

मंहगाई भत्ता बेसिक सेलरी में शायद शामिल नहीं होता। और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मंहगाई भत्ता २० रुपये तो है ही। अगर ऐसा है तो ५० रुपये बेसिक सेलरी और २० रुपये मंहगाई भत्ता, यानी ७० रुपये उसकी सेलरी हो जायगी। उस हालत में २३ रुपये और बढ़ जायगी जो ४७ रुपये आज है उससे। तो इसके लिये मेरा यह ख़याल है कि २३ रुपये के हिसाब से अगर पूरे ८० हजार टीचर्स जो मौजूद हैं उनको देने के लिये करीब २ करोड़ रुपये की और जरूरत है। तो दो करोड़ पहले ४७ रुपये पूरा करने के लिये और दो करोड़ अब, यानी चार करोड़ रुपये हर साल और जरूरत होगी जितने मौजूदा टीचर्स हैं उनके लिये, अभी मैंने तमाम की बात नहीं कही है। इसके बाद हमने यह कहा कि जो बिल्डिंग बनायेगा उसको एक हजार रुपया देंगे। उसमें भी करीब १ करोड़ रुपये के अभी और जरूरत होगी। अब अगर तमाम को एजूकेशन देना है तो मेरे ख्याल में २०-२२ हजार स्कूल और चाहिये। और २०-२२ हजार स्कूलों के लिये अगर ७० रुपये फी टीचर के हिसाब से देंगे तो साढ़े तीन करोड़ रुपया और रेकरिंग खर्चा चाहिये। इस तरीके से अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की फीगर्स जोड़ी जायं तो आपको करीब ५० करोड़ रुपये की जरूरत होगी, प्राइमरी एजूकेशन को कम्पलसरी करने के लिये। और उस पर जो फ़ीस आती है, वह कितनी कम हो जायगी यह हिसाब और है। इसी तरह से ये तमाम चीजें हैं जो हमें देखनी हैं। फिर उसके बाद जूनियर हाई स्कूल्स की क्या संख्या है, कितनी जरूरत होगी और कितना उस में खर्च होगा यह बात और देखने की है। और मैंने सुना यह है कि शायद एजूकेशन मिनिस्टर साहब को कुल २३ करोड़ रुपया द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये मिला है। (एक आवाज--वह तो यूनिवर्सिटी एजूकेशन में ही खत्म हो जायगा।) एक मेम्बर साहब कह रहे हैं कि वह तो सिर्फ यूनिवर्सिटी एजूकेशन में ही खत्म हो जायगा। तो अब प्राइमरी एजूकेशन के लिये ५० करोड़ की यह जरूरत है, जूनियर हाई स्कूल्स के लिये और जरूरत है। ये तमाम प्राब्लम्स जो सामने हैं, इनको गवर्नमेंट कैसे हल करने की सोच रही है, केन्द्र क्या मदद करेगा और केन्द्र से हमने क्या कहा है और जो कांस्टीट्यूशन में डायरेक्टिव दिया है उसे हम कैसे पूरा करेंगे, कम से कम ये सब बातें मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे। तो मैंने यह समस्या इसलिये सामने रखी कि इतना आसान मामला नहीं है। एक तरफ तो कांस्टीट्यूशन यह कहता है कि इसको पूरा करना चाहिये और दूसरी तरफ ये दिक्कतें हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इस तमाम को पूरा करने के लिये क्या योजना उन्होंने बनाई है, यह माननीय मंत्री हमें बतायें।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

*श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वीरेन्द्रपति यादव जी के प्रस्ताव पर उन्हें बधाई देना चाहता था लेकिन जिस प्रकार का प्रस्ताव आज उन्होंने दुबारा पेश किया और उस पर माननीय गंगाधर मैठाणी जी को संशोधन पेश करना पड़ा तो ऐसी हालत में मैं माननीय गंगाधर मैठाणी जी के संशोधन का ही समर्थन करना चाहता हूं और चाहता हूं कि वीरेन्द्रपति जी यादव गंगाधर मैठाणी जी के संशोधन को स्वीकार करें और हमसे बधाई भी स्वीकार करें।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं और मैं समझता हूं कि सदन इसमें एक राय का है कि हमारे प्रदेश में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जारी हो जाय। अब प्रश्न यह है कि इसके लिये कितना समय लिया जाय। माननीय वीरेन्द्रपति जी का जो प्रस्ताव है वह शुभ कामना रखता है, इच्छा रखता है कि इस मुल्क में, इस देश में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा जारी की जाय। जो विधान का उद्देश्य है, जो विधान की मंशा है, उसे पूरा किया जाय लेकिन कितना समय लगे, इसके लिये कोई बंधन नहीं चाहता हूं। जहां तक इसके प्रिंसिपल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का ताल्लुक है, इसमें भी कोई बंधन नहीं है, इसमें स्पष्ट है कि दस वर्ष के भीतर हो जाना चाहिये। अगर स्टेट गवर्नमेंट न करे तो कोई ऐसी बात नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को मजबूर किया जाय इस काम को पूरा करने के लिये। इसलिये मैं समझता हूं कि जो वीरेन्द्रपति जी का प्रस्ताव था, वह स्टेट गवर्नमेंट को मजबूर करता था कि दस वर्ष में ऐसा बंदोबस्त करें, जिससे अनिवार्य निःशुल्क प्रायमरी शिक्षा दी जा सके। इसलिये मैं माननीय मैठाणी जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं और आप माननीय वीरेन्द्रपति जी को इस बात के लिये राजी करें और वह राजी हो जायं और माननीय गंगाधर जी का संशोधन करके पुराने प्रस्ताव में सरकार को यह काम करने के लिये एक डायरेक्टिव, एक निदेश विधान सभा दे कि इसके अनुसार सरकार कार्य करे।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रायमरी शिक्षा में और प्रदेशों से पीछे है। माननीय गौतम जी ने कुछ आंकड़े दिये हैं। मैं भी थोड़े से आंकड़ों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। १९५०–५१ का एक पब्लीकेशन गवर्नमेंट आफ इंडिया का "ऐजूकेशन इन इंडिया" है उससे हम पाते हैं कि १९५०–५१ में बम्बई में २९,२३,७६६, मदरास में ३८,७६,००० और उत्तर प्रदेश में २८,१८,५३२ बच्चे स्कूल में जाते हैं। इन तीनों प्रांतों की जन संख्या ध्यान में रखते हुए हम सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश की जन संख्या बहुत ज्यादा है और ६ करोड़ ३२ लाख की संख्या को देखते हुये बहुत कम बच्चों का परसेंटेज हम स्कूल में भेजने का बन्दोबस्त कर पाते हैं और इसका बड़ा भारी बोझ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अन्य संस्थाओं पर है। छोटी-छोटी रियासतें काफी इस बोझ को अपने सिर पर उठाती हैं। हैदराबाद में ९७.७, मध्य भारत में ९७.१, मैसूर में ८५.५, पैपसू में ९८, सौराष्ट्र में ९५.४ तथा भूपाल में ९७.१ प्रतिशत स्कूल सरकार द्वारा चलाये जाते हैं। इससे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत कम इस बोझ को अपने ऊपर डालती है और सारा बोझा जो है वह डिस्ट्रिक्टबोर्ड पर है।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—यह आंकड़े आपने कहां से दिये हैं?

श्री गेंदासिंह—यह एक किताब है "ऐजूकेशन इन इंडिया" उसमें दिया है जो सन् १९५०–५१ की है। उसका पेज मैं अभी आपको बतला दूंगा।

तो इस प्रकार से हम सोचते हैं कि सरकार के ऊपर जो बोझ है, वह क्या है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो हमारे हैं उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की सरकार जो इमदाद करती है, वह इमदाद इतनी कम है कि उससे वह प्राइमरी एजूकेशन भी जारी नहीं कर सकती है। प्राइमरी एजूकेशन देने के लिये अगर सारे प्रदेश में स्कूल खोलने की तैयारी की जाय जैसा कि गौतम जी ने बतलाया कि बहुत बड़े पैमाने पर स्कूल खोलने पड़ेंगे, उनके लिये इमारत बनानी पड़ेगी, जितने स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको स्कूल जाने को तैयार करने के लिये सामान मुहैया करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों के मुहैया करने में सरकार को विशेषरूप से आयोजन करना पड़ेगा और अगर सरकार इस तरह से विशेष आयोजन नहीं करती है तो इस कार्यक्रम को पूरा किसी तरह से नहीं कर सकती है। हम समझते हैं कि डायरेक्टिव प्रिन्सिपल जो विधान का है वह बन्धन नहीं देता है, इस स्टेट गवर्नमेंट को कम से कम उस तरफ जाने के लिये जैसा कि डायरेक्टिव प्रिन्सिपल हैं उस तरफ जाने के लिये वह आग्रह करता ही है। मैं यह भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार आखिर दूसरे प्रदेश की सरकार से अगर वह आगे न भी रहे पीछे रहने का दावा तो नहीं करेगी। वह तो आगे रहने का दावा करती है तो कम से कम बराबर तो रहे। मद्रास ने अपने यहां निःशुल्क शिक्षा की। बम्बई ने अपने यहां राज्य में निःशुल्क शिक्षा की। मद्रास और बम्बई की सरकार से हमारे यहां की आर्थिक अवस्था खराब है, यह हम मानने के लिय तैयार नहीं हैं। हम जब अपने बजट को देखते हैं तो उस बजट को देखते हुये हमारी समझ में यह बात आती है कि हम उनसे पीछे रहने वाले नहीं हैं, तो फिर जो ऐसी जरूरी चीज हो, जैसा कि एजुकेशन जिसके बिना डेमोक्रेसी का चलना हमेशा मुश्किल होता है, तो फिर

[श्री गेंदा सिंह]

उस एजुकेशन को बढ़ाने में हम पीछे क्यों रहें ? सारजेन्ट स्कीम की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह अंग्रेजों की बनायी हुई स्कीम है लेकिन वह अच्छी स्कीम थी। अगर सरकार उसके मुताबिक काम कर पाती तो हमारे यहां स्कूल ज्यादा खुले होते और स्कूलों की ज्यादा अच्छी अवस्था होती और हमारे बच्चे पढ़ने में ज्यादा अच्छे बच्चे हुये होते, लेकिन उस सारजेन्ट स्कीम के मुताबिक चलने की सरकार कोशिश नहीं कर सकी है। हम सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहते हैं कि आखिर स्कूलों की अवस्था क्या है।

वीरेन्द्रपति जी ने अपने संकल्प में कहा है कि सन्तोषजनक प्रगति नहीं हो रही है। प्रगति कैसे हो ? हमारे बच्चे हमारी दौलत हैं और हमारा भविष्य हैं। लेकिन वह बच्चे किन स्कूलों में जा कर पढ़ते हैं ? वह जाकर पढ़ते हैं दरिद्रनारायण स्कूल में। उन स्कूलों का नाम अगर दरिद्रनारायण रखा जाय तो अच्छा है। आखिर इन बच्चों पर हमारा भविष्य है और इन बच्चों को मुल्क में अगले जमाने के लिये तैयार करना है। हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ज्यादातर स्कूल ऐसे हैं, जिनमें बरसात में क्लास नहीं लग सकते हैं। पेड़ों के नीचे वह स्कल लगते हैं। जिस वक्त पानी आता है वह बन्द हो जाते हैं। बच्चों के बैठने के लिये कोई जगह नहीं रहती है। बैठने का प्रबन्ध नहीं है। उनके लिये तख्तास्याह नहीं है। अध्यापक जो इस वक्त हैं वह भी उसी तरह के हैं। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में उसके लिये स्पष्ट कहा गया है; उसको मैं माननीय मंत्री जी के सामने और उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने रखना चाहता हूं। उसमें यह कहा गया है कि इतना कम वेतन पाने वाले जो अध्यापक हैं, वह हमारे बच्चों को आगे भविष्य के लिये ऐसा नागरिक तैयार नहीं कर सकते हैं, जैसा कि सरकार चाहती है कि हमारे मुल्क में तैयार हों। मैं चाहता हूं कि आपका प्लानिंग विभाग का जो विलेज लेविल वर्कर है, जो वहां जा कर सुपरवाइजर का काम करता है या खेती-बाड़ी का काम करता है, उसके वेतन से जब हम अपने अध्यापक के वेतन का मुकाबला करते हैं तो उसमें बड़ा अन्तर पाते हैं जब कि काम दोनों का करीब-करीब बराबर है। थोड़ी ट्रेनिंग की जरुरत है तो इन अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाय लेकिन उनका वतन किसी हालत में भी एक विलेज लेविल वर्कर से कम न होना चाहिये। अगर हम उस स्टेंडर्ड से कम वेतन उसको देते हैं तो हम उसको एन्करेज करते हैं कि वह स्कूल से गैरहाजिर रहे और एन्करेज करते हैं कि वह अपने घर गृहस्थी और खेती-बाड़ी के काम को देखता रहे और वह स्कूलों में ठीक समय पर न पहुंचे। मैं इस बात को मानता हूं कि दूसरे कर्मचारियों की तरह प्राइमरी स्कूल के मास्टर भी अपने घर से दूर कर दिये जायं लेकिन उनकी जो कठिनाई है वह भी सरकार के ध्यान में आनी चाहिये तभी हमारे बच्चों की पढ़ाई ठीक हो सकती है।

छै वर्ष की एज प्राइमरी स्कूल की एज कही जा सकती है। उसी में बच्चा खाना पीना, बोलना या पढ़ना सीखता है और उसी एज में खास तवज्जह की जरुरत है। एजूकेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि वह दूसरी बातों से बिलकुल आइसोलेटेड हो। हम एक तरफ देखते रहें और एक योजना से शिक्षा की प्रगति हो जाय यह बात नहीं है, एक तरफ शिक्षा की प्रगति हो और साथ ही हर दिशा में तमाम तरह के और राष्ट्रीय प्रयत्न उत्थान के चलें तब सबके साथ-साथ शिक्षा भी पनप सकती है। आज स्कूलों में बच्चे जाते हैं, उनके पेट में भोजन नहीं। इस तरह से कम्पलसरी एजूकेशन करके हम उनके भूखे बच्चों को स्कूल में नहीं बैठा सकते, जब तक हम उन भूखे बच्चों की पेट पूजा का बन्दोबस्त नहीं करते तब तक हमारे लिये कठिन होगा कि हम उनको किसी प्रकार की भी शिक्षा दे सकें, और मैं जानता हूं कि आज भी हमारे यहां ऐसे बच्चों की तादाद काफी है। ऐसी हालत में कहां तक हम ऐसे बच्चों के मां बाप पर दबाव डाल सकते हैं कि अपने लड़कों को वह स्कूल में भेजें और अगर वह न भेजेंगे तो उन पर मुकदमा चलाया जायगा ? मेरे कहने का मतलब यह है कि यह ६ साल की जो एज है वह उनके सीखने की एज है और अगर उनको इस तरह के अध्यापक मिलेंगे, जैसे आज हमारे गांवों में अध्यापक हैं तो उनसे काम नहीं चल सकता। गांव में अधिकतर मां ही ऐसे बच्चों की

पहली घर की अध्यापक होती है और वह भी जैसी हैं उनका हाल यह है कि बच्चे जब खाना मांगते हैं तो वे उनसे कहती हैं और डराती हैं कि चुप रहो सिपाही आता है और वे डर से घर में भाग जाते हैं। छपहरा आता है जो चेचक का टीका लगाने वाला होता है उसका डर वे उनको दिखाती हैं। हालत यह है कि जिस वक्त अपनी मां को बच्चे परेशान करते हैं और उससे खाना मांगते हैं तो उनको छपहरा का डर दिखा कर चुप किया जाता है और वे डर से घर में छुप जाते हैं। जब कोई आता है तो माता बच्चों को सिखा देती है कि वह पूछें कि क्या खाया है तो वह कह देते हैं कि बहुत अच्छा खाना हमने खाया है और जब उनके यहां कोई रिश्तेदार आ जाता है तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि उनके कारण हमको भी भर पेट भोजन मिलेगा। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि वह कोई भी एजूकेशन स्कीम बनावे, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी प्राइमरी एजूकेशन इन हालात में चले तो कैसे चले, क्योंकि फीस इतनी ज्यादा है कि जब स्कूल में फीस मांगी जाती है तो लड़के फीस देने के डर से गैरहाजिर हो जाते हैं और घर जब वह जा कर फीस मांगते हैं तो उनको मां मारती है और स्कूल में अध्यापक कनऐंठी देते हैं। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि भविष्य में यह बच्चे डरपोक और झूठ बोलने वाले बनते जाते हैं। मैं नहीं सोच सकता कि उनकी भविष्य में क्या मारेलिटी बनेगी और क्या उनका भविष्य बन सकेगा। इन सब चीजों की तरफ मैं ध्यान दिलाने के बाद कहूंगा कि हम भी चाहते हैं कि शिक्षा यहां अनिवार्य हो लेकिन स्कूल ऐसे होने चाहिये, जहां बच्चे पढ़ सकें, अध्यापक ध्यान से पढ़ा सकें, बच्चों का पेट भरा हो और वह वहां बैठने की ताकत रखते हों और वह ऐसे न हों कि १४ वर्ष से कम उम्र में ही अपने पेट पूजा की फिक्र में रहें तभी हम शिक्षा की कोई योजना बना सकते हैं। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का माननीय मैठाणी जी के संशोधन के साथ समर्थन करता हूं और अन्त में मैं माननीय वीरेन्द्रपति यादव और सरकार से कहना चाहता हूं कि वे इस संशोधन को मान कर अपने प्रस्ताव की खूबसूरती और कार्य क्षमता को बढ़ावें।

माल उप मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव आज सदन के सामने है निस्संदेह वह बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सदन के सभी दलों के सदस्यों ने इसपर बुद्धिमत्तापूर्ण और ऊंचे पैमाने से विचार किया है। यह शिक्षा की समस्या हमारे प्रदेश की ऐसी है, जिस पर हमें पूरी तरह से गौर करना चाहिये जो दृष्टिकोण अभी सदन के सामने रखे गये हैं वे अधूरे हैं। कुछ और बातें इसमें हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां शिक्षा का मामला है वहां पैसे रुपये का सवाल सबसे बड़ा सवाल है लेकिन उसी के साथ-साथ इसके और भी पहलू यह हैं कि यह मामला अकेले रुपये पैसे में हल नहीं होता, इसके सामाजिक और ऐतिहासिक पहलू भी हैं। चाहे जो गवर्नमेंट हो और चाहे जितनी कोशिश की जाय लेकिन हम अपनी हिस्ट्री को, अपनी सोसाइटी को नहीं भूल सकते। जो आंकड़े माननीय गौतम जी ने दिये हैं उन्हीं में आगे चल कर हम देखें तो मालूम होगा कि जो हालत अपने प्रदेश की है वह सब मिल कर तो वैसी है, जैसा उन्होंने कहा लेकिन अगर हम उसकी विवेचना करें तो मालूम होगा कि जो आंकड़े उन्होंने दिये हैं उसमें ८ और १० साल की जो स्कूल गोइंग एज होती है उसमें कितने पढ़े लिखे लोग हैं। उसमें अरबन (शहरी) और रूरल (देहाती) एरिया के आंकड़े हैं। मेल्स और फीमेल्स के आंकड़े अलग-अलग अरबन और रूरल एरियाज के दिये हुये हैं। उनको देखें तो मालूम होगा कि इसका सामाजिक और ऐतिहासिक पहलू भी है। वे आंकड़े इस प्रकार हैं :—

यह सही है कि १०.८ प्रतिशत हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। १० साल के ऊपर के जो हमारे यहां पढ़े लिखे लोग हैं यदि उनको एनैलाइज करें तो पायेंगे कि उत्तर भारत शहरी क्षेत्र में मेल्स ५४.६ प्रतिशत और फीमेल्स २७ प्रतिशत पढ़ी लिखी हैं। अब जो सबसे अधिक (हाइयेस्ट) है मैं उन्हीं को पढ़ दूंगा। बेस्ट इंडिया में अरबन मेल्स ६२.३ और फीमेल्स ३१.७ और साउथ इंडिया जिसमें दूसरा ज्यादा नम्बर है उसमें अरबन मेल्स ५९.१ और फीमेल्स

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

३०.८। तो इस तरह से जहां तक अरबन एरिया का ताल्लुक है उत्तर प्रदेश का ५४.६ करीब करीब सब स्टेट्स में तीसरा नम्बर है। जहां तक अरबन एरिया के मेल्स का ताल्लुक है उत्तर प्रदेश तीसरा नम्बर रखता है। अरबन एरिया में फीमेल्स का २७ फीसदी है। वह भी इतना गिरा हुआ नहीं है। अब रूरल (देहाती) एरिया को देखिये उस रूरल एरिया में मेल्स की एजूकेशन उतनी कम नहीं है जितनी कि फीमेल्स की है। नार्थ इंडिया में रूरल एरिया के मेल्स की एजूकेशन (शिक्षा) २४ फीसदी है लेकिन फीमेल्स (स्त्रियों) की एजूकेशन (शिक्षा) बदकिस्मती से ६ प्रतिशत है। उन स्टेट्स में जहां ज्यादा है साउथ इंडिया में ३४.८ परसेन्ट मेल्स और १२.७ परसेन्ट फीमेल्स। वेस्ट इंडिया में ३३.२ मेल्स और ८.१ परसेंट फीमेल्स। तो इन आंकड़ों से श्रीमन् समझ सकते हैं कि आर्थिक पहलू महत्व का होते हुये भी और भी दृष्टिकोण इसमें सम्मिलित हैं और वे हैं ऐतिहासिक और सामाजिक पहलू। क्या कारण है कि देहातों में मेल्स में एजूकेशन ज्यादा है और फीमेल्स में ६ परसेंट है जब कि और स्टेटस में १२ से फीमेल्स में शिक्षा ३०–३३% तक है? इसका कारण यह है कि हमारे यहां देहातों में लोग लड़कियों को पढ़ाने नहीं भेजते। अभी तक सामाजिक स्थिति ऐसी है कि स्कूल खुलते हैं, अध्यापक आते हैं लेकिन लड़कियां नहीं जाती हैं। स्कूल टूटते हैं। रुपया बरबाद होता है लेकिन एजूकेशन लेने लड़कियां नहीं आतीं। इस कारण हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है कि हम तैयार करें समाज को और जो यह पुरानी बातें हैं कि लोग लड़कियों को पढ़ाना पसन्द नहीं करते, इस तरह का जो सामाजिक प्रश्न है, इसे हमें सामाजिक ढंग से हल करना है। आखिर वहीं लड़कियां हैं जो शहरों में पढ़ती हैं लेकिन देहातों में नहीं पढ़तीं। अगर आज देहातों में लड़कियों के स्कूल एक दम से खोल दिये जायं, रुपया भी फर्ज कीजिये मिल जाय तो मैं आप से अर्ज करता हूं कि रुपया मिलने पर भी स्कूल नहीं खुल सकते क्योंकि अध्यापिकायें नहीं मिलेंगी। अध्यापिकायें आपको बाहर से मंगानी होती हैं। बाहर से गई हुई अध्यापिकायें उतना काम नहीं करेंगी, शहरों में वापस भागने की कोशिश करेंगी। तो सबसे पहले इस बात पर विचार करना है।

दूसरी चीज हमारी स्टेट की यह है कि हमारे यहां एग्रिकल्चरल पापूलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है और इंडस्ट्रियल पापूलेशन बहुत कम है क्योंकि रोजगार नहीं है। ६७.८ से भी ज्यादा लोग एग्रिकल्चर पर गुजर बसर करते हैं। किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है। चूंकि एग्रीकल्चर पापूलेशन हमारे स्टेट में सबसे ज्यादा है तो उसका एजूकेशन पर असर पड़ता है। एग्रिकल्चरल क्लासेज का परसेंटेज एजूकेशन का है १२.१ और नान एग्रीकल्चरल क्लासेज का २९ परसेंट। तो आप देखें कि दूने से भी ज्यादा ढाई गुना परसेंटेज है नान एग्रीकल्चरिस्ट क्लासेज का एजूकेशन के सम्बन्ध में एग्रीकल्चरिस्ट क्लासेज के मुकाबले में। मैंने सदन के सामने अर्ज किया, यह सवाल आर्थिक सवाल अवश्य है लेकिन साथ ही साथ यह एक सामाजिक और ऐतिहासिक सवाल भी है। इत्तिफाक से साउथ इंडिया में आप देखें जहां फेमेल्स की एजूकेशन ज्यादा है वहां परदा नहीं है। परदा प्रथा नार्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इसका असर पड़ता है एजूकेशन पर। एक मेरे मित्र ने जैसा कहा वह बात भी बहुत हद तक ठीक है। यहां जो सही मानों में एग्रीकल्चर में लोग लगे हुए हैं, वे अपने बच्चों को मवेशियों को चराने के लिये, खेत में काम करने के लिये भेजना पसन्द करते हैं, शिक्षा के लिये भेजना पसन्द नहीं करते। लिहाजा इस मेंटेलिटी को भी शिक्षा कम होने के कारण मद्देनजर रखना होगा। उत्तर प्रदेश का स्थान शिक्षा के मामले में जहां आखिरी नम्बर है वहां उसे हम पहले नम्बर देखना चाहते हैं लेकिन यह होगा तब जब हम इस सवाल का साइंटिफिक (वैज्ञानिक) तरीके से, सही तरीके से विश्लेषण करें। रुपये की कमी जहां तक है उस संबंध में तो शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि किस तरह से वे उसे पूरा करेंगे लेकिन जो खामियां हैं, उनको हमें देखना है और हल करना है। सारे पहलुओं

को देखकर हमारे सामने जो प्रश्न है उसे हल करना है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं। गांव की मुझे हालत अच्छी तरह से मालूम है। जो अपने लड़कों को पढ़ा सकते हैं, वह भी अपने लड़कों को शिक्षा नहीं देते, खेत में भेजते हैं, स्कूल में नहीं भेजते। मवेशी चराने के लिये भेजते हैं और जो गरीब लोग है, जिन्हें शिक्षा से प्रेम है वे किसी न किसी तरह से अपने लड़कों को स्कूल में भेज देते हैं और यह सौभाग्य की बात है कि हम देखें कि हमारे शिक्षा के उपमंत्री जी एक ऐसे क्लास से आते हैं, जिसको हम नहीं कह सकते कि अमीर क्लास है। उन्होंने पढ़ करके एक मिसाल पैदा की कि उनको देख कर उनके क्लास के लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं अर्ज करता हूं कि हम शिक्षा का शौक पैदा करें। हम सरकार से कहें, हमारे बजट का कुछ पैसा शिक्षा में खर्च हो, सेंट्रल से ज्यादा पैसा मिले। लोकल सेल्फ संस्थाओं से हमें ज्यादा पैसा मिले ताकि शिक्षा की उन्नति हो। माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि हमारी स्टेट किसी तरह से कम मालदार नहीं है दूसरी स्टेटों के मुकाबिले में। मैं समझता हूं कि उन्होंने शायद दूसरे राज्य के अंक (फीगर्स) नहीं देखे। बम्बई स्टेट का बजट आपसे ज्यादा है। वहां की पापुलेशन और अपनी पापुलेशन मिलाइये तो पर कैपिटा जो बम्बई स्टेट खर्च करती है उतना हम खर्च नहीं कर सकते। हमारी पापुलेशन बम्बई स्टेट से बहुत ज्यादा है और आमदनी उससे थोड़ी बहुत कम है ज्यादा नहीं। तो उस हिसाब से अगर आप पापुलेशन का हिसाब लगायें तो बम्बई के मुकाबले में मद्रास के मुकाबले में जो उनका बजट बनता है, उस बजट से पर कैपिटा हमारा बजट कम पड़ता है इतना बढ़ा देने पर भी। जब से प्रजा की सरकार बनी उसने अपने बजट को काफी बढ़ाया है, जिसके लिये हमें खुश होना चाहिये। माननीय गेंदा सिंह जी ने एक तरह से इंडाइरेक्टली गवर्नमेंट की तारीफ की कि उसने अपने बजट को बड़े से बड़ा जो किसी दूसरी स्टेट के बजट का था उसके करीब करीब बराबर अपना बजट कर लिया। लेकिन हमारा फिर भी पर कैपिटा बजट उतना नहीं है जितना कि और राज्यों का। इस लिये शायद हम उतना खर्च नहीं कर सकें जितना और स्टेट करती हैं। दूसरी बात यह है कि और स्टेट्स में डाइरेक्टली सीधे प्राइमरी एजूकेशन को डील करती रही हैं। लेकिन हमारे यहां एक दूसरी परम्परा रही है चाहे वह अच्छी हो या बुरी। यहां पर प्राइमरी एजूकेशन का कंट्रोल कम से कम रूरल एरियाज देहाती क्षेत्रों में डि० बोर्डस् के हाथ में छोड़ दिया गया। उनके रिसोर्सेज बहुत कम थे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा नहीं था। आप देखते हैं कि पिछली साल में शिक्षा की फीगर्स कम हुई। जैसा माननीय गौतम जी ने बतलाया और उसका कारण यह था कि उनके कार्य काल में एक भारी हड़ताल हुई अध्यापकों की। जहां तक उनकी तनख्वाह का बेसिक सवाल है कि उनकी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए; माननीय गौतम जी न तो उससे इनकार कर सकते थे और न आज कर सकते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां थीं, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चलते थे, और जिस तरह से माननीय गौतम जी लाचार थे, वह उनकी एक मांग को सही मानते हुए भी पूरा नहीं कर सके, वह परिस्थितियां उनको मजबूर करती रहीं। वह परिस्थितियां गौतम जी के सामने थीं। यह एक ऐतिहासिक पहलू है। हमारी प्राइमरी एजूकेशन लोकल बोर्ड के हाथ में रही। वही परम्परा आज भी है। बहुत थोड़ी सी स्टेट की तरफ से चलती है। अब बोर्डों के रिसोर्सेज को हमको देखना है कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट के एक चपरासी के बराबर भी तनख्वाह अपने अध्यापक को दे सकते हैं या नहीं। एक छोटा आदमी एक बड़े आदमी के चपरासी के बराबर अपने भाई को खिला सकता है या नहीं, यह देखने की बात है। सारी परिस्थितियों को देखने की बात है। मैंने जैसा अभी अर्ज किया सदन के सामने, इस सवाल में सारा सवाल गुथा हुआ है। हमको सारी चीजों को देख कर इस बात पर गौर करना है। मुझे विश्वास है कि इस सदन ने जैसी दिलचस्पी दिखायी है अगर ऐसी दिलचस्पी रही तो सारे सवालों को समझ कर, आर्थिक सवाल, सामाजिक सवाल, ऐतिहासिक सवाल, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की जो हालत खराब है, उनके पास जो बजट कम है, उन सारे सवालों को हम सही तरीके से हल करेंगे और हमें विश्वास है कि अगर हमने इस समस्या को सही तरीके से टैकिल किया और लिया तो हम

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

इसको हल करके रहेंगे और अभी ५ साल बाकी है। हो सकता है कि जितना तेज हमें चलना चाहिये था, वह किन्हीं कारणों से हम न चल पायें हों लेकिन आइन्दा हम चलने की कोशिश करेंगे और अगर हमारी कोशिश रही तो मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे शिक्षा मंत्री जी इस बात को पूरा करने में कोई बात उठा न रखेंगे।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)--मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में सुबह से एक बहुत ही आवश्यक प्रश्न पर विचार हो रहा है और यह प्रश्न माननीय वीरेन्द्रपति यादव जी ने इस सदन के सामने रखा है। मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उन्होंने इस सरकार का ध्यान इस प्रदेश की प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने की ओर आकर्षित किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि इस प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा की दशा आज अच्छी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार की इस ओर गति से जो आज तक इस प्रदेश में देखने को मिली है निकट भविष्य में भी यह संभावना नहीं है कि प्राइमरी एजूकेशन का स्तर इस प्रदेश का भारतीय संविधान के उस आशय की पूर्ति कर सके जो हमारे देश के लिये बनाया गया है। बहुत से आंकड़े माननीय गौतम जी ने और अनेक सदस्यों ने आज इस सदन के सामने उपस्थित किये हैं। उन आंकड़ों को देखते हुए कोई भी सदस्य यह कहने के लिये तैयार न होगा कि जिस गति के साथ प्राइमरी एजूकेशन इस प्रदेश में बढ़ना चाहिये थी वह बढ़ सकी है, बल्कि उल्टे वह और कम हुई है। अभी जो हमारे माल विभाग के उपमंत्री जी अपना भाषण कर रहे थे उन्होंने स्पष्ट कोई रूप-रेखा यह नहीं बताई कि हम अनिवार्य शिक्षा के लिये इस प्रदेश में क्या क्या साधन अब तक जुटा सके हैं, क्या आगे के लिये हमारा प्लान है जिससे कि हमें सान्त्वना हो सकती है कि हमारी सरकार संविधान का आशय किसी प्रकार पूरा करना चाहती है। आखिर जब प्राइमरी एजूकेशन हमारी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी उन्नतियों के लिये आवश्यक है, यदि उस की ओर सरकार विशेष ध्यान नहीं देती तो वास्तव में यह बड़े ही दुख की बात है और हम यह नहीं समझ पाते कि जब यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है तो इसकी ओर इस तरह से संतोष कर लेना कहां तक उचित है जैसा कि अभी माननीय उपमंत्री जी कह रहे थे कि गांव के लोग लड़के और लड़कियों के पढ़ाने के लिये तैयार नहीं हैं, सरकार की बिल्डिंग बनी खड़ी है, सरकार के अध्यापक चले जाते हैं और सरकार हर तरह से निर्दोष है। तो मैं भी माननीय उपमंत्री जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं। सैकड़ों स्कूलों के भवन सरकार के इस आश्वासन पर बनवाये गये कि १ हजार रुपया इमारत के लिये हम देंगे। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद, लिखित तथा मौखिक वायदे के बाद भी वह सहायता नहीं दी जा सकी और फिर इसके बाद यह कहना कि गांव के लोग पढ़ने को उत्सुक नहीं हैं, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। मैं हजारों दरख्वास्तें अपने जिले की और निकटवर्ती जिलों की जानता हूं इस १००० रुपये के लिये। हो सकता है कि बुन्देलखंड क्षेत्र में लोग अपने लड़के और लड़कियों को पढ़ाने के लिये उत्सुक न हों, हालांकि मुझे इसमें भी विश्वास नहीं है इसलिये कि मैं भी बुन्देलखंड के इलाके में घूमा हूं।

वहां भी मुझे कहीं ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि आज के इस जनजागरण के युग में शिक्षा के लिये कहीं से मांग उपस्थित न हुई हो। अभी माननीय शिक्षा उपमंत्री मेरे जिले में गये थे, उन्होंने देखा होगा कि किस कदर जूनियर हायर सेकेंड्री स्कूल व हायर सेकेंड्री स्कूलों की मांगें उनके सामने उपस्थित हुईं। तो यह कहना कतई उस सचाई को छुपाना होगा कि आज के युग में ग्रामीण जनता एजुकेशन के लिये तैयार है और सरकार एजूकेशन बढ़ाने के लिये तैयार है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह तो एक ऐसा उदाहरण हो गया कि हम तो मद्रास बम्बई के बहुत पीछे हैं मगर क्योंकि हमारे साधन कम हैं, हम उनके आगे आयें, इस उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के लिये शोभनीय नहीं है और एक उदाहरण मैं देता हूं। एक कहावत है, कोई गीदड़ या वह दुखी होकर बेचारा कुयें में गिर गया और बड़ा खुश हो करके फिर कुयें में कह रहा है कि अब तो बहुत दिन हमें इस कुयें में रहना है। यह कोई अच्छी उक्ति नहीं। जहां हम दावा करते हैं कि हमारा प्रदेश बहुत ऊंचा है, हम सब बातों में बहुत बड़े हैं, हम इस देश को लीड करते हैं लेकिन शिक्षा में पीछे हैं। यह इस प्रदेश की जनता के लिये दुख का विषय है। मैं तो यह कहता हूं कि गांव वालों ने जिस उत्साह से कार्य किया सरकार अगर अपने वादे को पूरा करती तो गांवों का एक एक आदमी लड़के, लड़कियों की पाठशाला खोलने के लिये तैयार है। बल्कि सरकार ने उस वादे के खिलाफ जो १ हजार रुपया न दे सकी, गांव वालों का सरकार के प्रति उत्साह नहीं रहा और वह उत्साह से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो सरकार अगर ग्रामीण क्षेत्रों में फिर अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की तरफ ध्यान दे तो कौन ऐसा होगा, जो यह कह सके कि हम शिक्षा लेने के लिये तैयार नहीं हैं?

जहां तक इस अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का सवाल है हम जानते हैं कि इसके लिये अपार धन की जरूरत होगी मगर आखिर वह अपार धन हम किन साधनों से जुटायें, यह एक विस्तृत योजना सरकार के सामने होनी चाहिये। जहां प्रथम, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई, सड़कें, अस्पताल की आये दिन नवीन योजनायें होती हैं, वहां इस शिक्षा के महत्वपूर्ण सवाल को जो बुनियादी है और जिसको पहले हल होना चाहिये, मैं समझता हूं उसकी आवश्यकता को देखते हुये सरकार का ध्यान नहीं गया। मैं यादव जी का अनुगृहीत हूं कि उन्होंने इस सरकार का ध्यान इस बुनियादी सवाल की तरफ आकर्षित किया, जो इस प्रदेश की जनता के लिये एक बहुत ही आवश्यक सवाल है, जहां तक बात इस शिक्षा के संबंध में है जूनियर हायर स्कूल होते हैं और हायर सेकेंड्री स्कूलों में और इस शिक्षा की दशा को देखें तो मैं कहता हूं कि जो सुविधायें उन्हें मान्यतायें प्राप्त करने की थीं वे बजाय सुलभ करने के और बढ़ा दी गई हैं। तो क्या यह शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने की योजना हो सकती है कि इतने बीघा जमीन हो और जो शर्तें पहले थीं उनको भी अधिक बढ़ा दिया गया? तो जो बढ़ती हुई शिक्षा की गति थी वह मैं समझता हूं इससे काफी मन्द पड़ गई और मैं तो कहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनता जो आर्थिक कठिनाई में है आप अगर शिक्षा की इन मान्यताओं के प्राप्त करने की शरतों को हल्का कर सकें तो इस प्रदेश में शिक्षा और भी आगे बढ़ सकेगी।

अनेक सवाल इस प्रदेश के सामने इस बेकारी और बहुत बातों के बढ़ने के लिये हैं। हमारी शिक्षा में एग्रीकल्चर को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और काफी इस पर हमारे शिक्षा मंत्री को गर्व है तथा सदन को भी। मगर मैं अपने छोटे विचारों के मुताबिक कहता हूं मैंने खुद मालूमात की कि जो खेतिहर प्रधान देश हैं, जो खेती पर निर्भर करते हैं कोई देश हो, जिला हो, किसान हो, वह कभी मालदार नहीं होता, वह हमेशा गरीब होता है और दुनिया के देशों के मुकाबिले अपने देश को आप देखें अकेले खेती पर निर्भर करने वाला देश गरीब होता है जब तक और उद्योगधंधे या और शिक्षाओं को प्रोत्साहन न दिया जाय। तो जब यह खेतिहर प्रदेश है, इसमें ८० फीसदी लोग खेती करते हैं तो और औद्योगिक धंधे, कारखाने तथा और तरह की शिक्षा देने के बजाय आज सरकार का ध्यान केवल खेती की शिक्षा की तरफ आता है। मैं समझता हूं कि यह इतना आवश्यक नहीं था जितना कि सरकार को और टेक्निकल शिक्षाओं की तरफ ध्यान देना चाहिये था और इसमें जो रुपया खर्च होता है मैं देखता हूं आये दिन सवालों में मंत्री जी बताते हैं कि इतना रुपया

[श्री रामचन्द्र विकल]

खर्च हो रहा है, केवल इससे योजना आर्थिक दृष्टि से सफल नहीं हो सकती। यह कहने मात्र से संतोष नहीं हो सकता कि हम बहुत बड़े खेती के विज्ञान की शिक्षा में बहुत सा रुपया व्यय कर रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि मैंने ऐसे ऐसे अध्यापक देखे जिनको कि एक साधारण किसान के बराबर भी खेती का ज्ञान नहीं और वह जा कर उन्हीं किसानों के बच्चों को कृषि का ज्ञान सिखाते हैं, जो कि उन अध्यापकों से कहीं ज्यादा ज्ञान उसका रखते हैं। एक जूनियर स्कूल को मैंने देखा। केवल सवा तीन रुपये की सरसों बेची गई और वह भी चारे के लिये। कारण क्या था कि उस स्कूल को जो जमीन खेती के लिये मिली वह कल्लर जमीन थी। शर्त यह थी कि मान्यता तब मिलेगी जब स्कूल के साथ में १० एकड़ जमीन हो और वह शर्त पूरी करने के लिये १० एकड़ कल्लर जमीन उसमें लगा दी गई थी। उस पर एक अध्यापक रखा हुआ है और सवा तीन रुपये की सरसों वहां बेची गई। तो यह एक अजीब समस्या है कि इस शिक्षा से किसी को भी संतोष नहीं है। न अध्यापक को संतोष है कि वह सही शिक्षा दे रहा है, न बच्चों को संतोष है, न उनके घर वालों को संतोष है, तो फिर यह समझ में नहीं आता कि इतने बड़े पैमाने पर जो इतना रुपया खर्च हो रहा है, उससे क्या लाभ हो रहा है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा हो वहां शिक्षा उपयोगी भी हो, यह एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है क्योंकि बेकारी अभी भी बराबर बढ़ रही है।

इसके अवाला यूनिवर्सिटियों की जो इतनी खरचीली शिक्षा हो गई है, उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। आखिर यह क्या बात है कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा अपने बस्ते को खुद उठाकर नहीं ले जा सकता, क्या उसका सिलेबस बनाया गया है? इतनी किताबें उसके लिये रखी हुई हैं जिनको वह उठाकर ले नहीं जा सकता। क्या उससे वह ज्ञान हासिल करेगा और क्या उससे प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम होगा? जो हम किसी समय कल्पना करते थे कि अधिक से अधिक योग्य अध्यापक को हम प्राइमरी शिक्षा के लिये रखेंगे, हमारा वह स्वप्न, स्वप्न ही रहा। हमारा वह भी स्वप्न सार्थक नहीं हुआ कि प्राइमरी शिक्षा को सरकार अपने हाथ में ले रही है, अब उसमें सुधार होगा। हमने देखा कि जो स्कूल सरकार द्वारा खोले गये वह भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हवाले कर दिये गये और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की अथवा उनके स्कूलों की क्या हालत है, वह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस प्राइमरी एजुकेशन के लिये योग्य से योग्य अध्यापक होने चाहिये थे और जैसा रावत जी ने कहा, मुझे उसमें भी कोई हर्ज नहीं दिखाई पड़ता कि प्राइमरी शिक्षा के लिये स्त्रियों को ही रखा जाना चाहिये, क्योंकि उनमें एक प्रेम की भावना होती है और छोटे बच्चों को प्रेम के साथ जो शिक्षा दी जायगी, वह उससे अधिक लाभ उठा सकेंगे, लेकिन वह प्लान हमारा आज है कहां? आज तो मामूली मिडिल पास किया एक साल की छोटी सी ट्रेनिंग देकर अध्यापक बना दिया जाता है। तो एक प्लान तो यह था कि प्राइमरी शिक्षा जो थी वह ऊंचे गुरुओं के द्वारा दी जायगी, प्राइमरी स्कूल ही वह खजाने हैं, जहां से हमें देश के लिये वह रत्न पैदा करने हैं जो आगे चलकर देश की सभी समस्याओं को समझ सकें, लेकिन आज की प्राइमरी शिक्षा की इस प्रकार की दशा देखकर अफसोस होता है। हम सरकार से यह अनुरोध करेंगे कि सरकार अधिक से अधिक योग्य अध्यापकों को प्राइमरी शिक्षा देने के लिये भेजे और इसके लिये अधिक से अधिक धन सरकार जो और अनावश्यक योजनायें हैं, उनको रोककर खर्च करे। इन बच्चों को बनाने के लिये हमें उन अनावश्यक योजनाओं को रोक देने में कोई हिचक न होगी और उनके स्थान पर प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करके, एक अच्छी और उत्तम शिक्षा जो बच्चों के अनुकूल हो सके वह शिक्षा उनको देने का प्रबन्ध वह करे तो यह ज्यादा अच्छा होगा। मैं यह कहता हूं कि इतना जो हड़तालों पर खर्च होता है, उसकी व्यवस्था करने पर खर्च होता है वह सब रुपया बच सकता है अगर इन बच्चों को अच्छी और उपयोगी शिक्षा देने की व्यवस्था कर दी जाय। यह सारी समस्यायें हल हो सकती हैं अगर उनको अच्छी शिक्षा दी जाय, उनके लिये अच्छे अध्यापक रखे जायं और उनको अच्छा वेतन दिया जाय।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वीरेंद्रपति यादव जी के संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय यादव जी को इस संकल्प के लिये इस प्रदेश की ग्रामीण जनता की ओर से बधाई का पात्र समझता हूं और वह इसलिये कि कम से कम उन्होंने अपने इस संकल्प के द्वारा सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की प्रगति की ओर दिलाया है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार हमारे समाज में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में असमानता पायी जाती है उसी प्रकार हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी जो प्रगति अथवा कार्य हमारी सरकार की ओर से हो रहा है उसमें भी असमानता की झलक प्रकट होती है। स्वतंत्रता के बाद हमारी इस प्रांतीय सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया है वह अधिकतर हमारे हायर सेकेंड्री, माध्यमिक और विश्वविद्यालय के क्षेत्र में ही ज्यादातर हुआ है और यही नहीं बल्कि हमारा बजट यह बताता है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से ऊंची शिक्षा की ओर है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह मौजूद है कि दूसरे प्रदेशों के शिक्षा के बजट का एक बहुत बड़ा अंश प्राइमरी शिक्षा पर खर्च होता है, अथवा हाई स्कूल शिक्षा पर खर्च होता है और हमारे इस राज्य की शिक्षा का बजट ज्यादातर ऊंची शिक्षा पर खर्च होता है। उदाहरण के तौर पर हम बम्बई प्रांत को लें। वहां की शिक्षा का बजट करीब-करीब ६६ प्रतिशत प्रारम्भिक शिक्षा पर होता है। इसके अतिरिक्त मद्रास को लीजिये और दूसरे प्राविन्सेज को लीजिये, यही नहीं बल्कि संसार में जो देश आज उन्नतिशील कहे जाते हैं उनमें भी देखा जाय तो ज्यादातर उनका व्यय प्रारम्भिक शिक्षा पर होता है लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारी इस सरकार का जो शिक्षा का बजट है उसका केवल ३३ प्रतिशत प्रारम्भिक शिक्षा पर होता है, जबकि इस प्रारम्भिक शिक्षा का संबंध सीधा हमारी ग्रामीण जनता से है, जिसकी समस्यायें ही हमारे देश की समस्याएं हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज सरकार के प्रति जो बहुत से असंतोष के प्रश्न हमारे सामने आते हैं उसका एक मुख्य कारण यह है कि हमारी ग्रामीण जनता अशिक्षित है। आज पुलिस विभाग को लीजिये वहां रिपोर्ट लिखाने की शिकायतें दूसरी और बहुत सी शिकायतें जो हमारे सामने आती हैं उनका भी एक मुख्य कारण यह है कि हमारी ग्रामीण जनता पढ़ी-लिखी नहीं है; एक अनपढ़ किसान पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखाने जाता है। कहता कुछ है और मुंशी लिखता कुछ है। यदि हमारी इस प्रदेश की सरकार प्राइमरी एजूकेशन की तरफ पूरे तरीके से लगी होती तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बहुत सी समस्याएं हल हो गई होतीं। इसी प्रकार हम पंचायत राज्य को लें। यों कहने के लिये हम भी इस बात को कहते हैं कि पंचायत राज की स्थापना के बाद ग्रामीण लोगों में कुछ जागृति आई। कुछ उनको अधिकार मिले, लेकिन हमारे सभापति, उप-सभापति और दूसरे हमारे यहां के उत्तरदायित्व रखने वाले लोग अशिक्षित होने के कारण उसका पूरा लाभ हमारे ग्रामों को नहीं पहुंचा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—अब अगले दिन आप अपना भाषण जारी रक्खें।

अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१६ सितम्बर, १९५५।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९३ पर)

तालिका

१—तारीख १८-२-५४ को समाप्त होने वाली स्ट्राइक पीरियड का पैसा दिया जाय।

२—कोर्ट आफ इन्क्वायरी द्वारा पास किया रिटेनिंग एलाउन्स बटवा दिया जाय।

३—डेजिगनेशन काम करने के अनुसार रजिस्टर में ठीक करवा दिया जाय।

४—ड्यू लीव पिछले वर्षों में हर महीने का हर महीने में दिया जाता था, परन्तु १९५४ से मैनेजमेंट ने एक साल का ड्यू लीव दूसरे साल में देने की नई प्रथा निकाली है, अतः हमारी पुरानी सहूलियत को खत्म न करके इस प्रकार से कटा हुआ पैसा वापिस दिलाया जाय।

५—मैनेजमेंट २६ दिन का महीना मानकर तनख्वाह लगाने की प्रथा चालू करना चाहती है इस प्रकार की प्रथा को लागू न किया जाय जबकि पास-पड़ोस की किसी भी मिल में ऐसा नहीं होता है।

६—कर्मचारियों के मरने अथवा चले जाने से खाली हुई जगहों पर जो आदमी गलत तरीके से रख लिये गये हैं उन्हें हटाकर समझौते के अनुसार आदमी रक्खे जायें।

७—जिन पुराने आदमियों को उनकी जगह से हटाकर उनके स्थान पर नये आदमी रक्खे गये हैं उन्हें हटाकर पुराने आदमियों को उनकी पुरानी जगहों पर वापिस किया जाय।

८—मैनफैक्चरिंग डिपार्ट में सबस्टीट्यूट हैंड बढ़ाये जायें क्योंकि किसी को छुट्टी लेने पर एक आदमी को दो जगह काम करना पड़ता है अथवा एक मेट को एक कुली का काम करना पड़ता है।

९—स्किल्ड तथा सेमी-स्किल्ड कर्मचारियों की तनख्वाहें जो कि अनस्किल्ड ग्रेड के बराबर हैं बढ़ाई जायें।

१०—क्लर्कों को उनकी पोजीशन तथा पोस्ट के अनुसार क्वार्टर दिये जायें।

११—रेस्टरूम में पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है। चार पानी के नल लगवाये जायें।

१२—डोगा कुलियों को वर्दी दी जाये।

१३—लकड़ी ग्रेड के अनुसार दिया जाय।

१४—सीजनल कर्मचारियों को मिट्टी का तेल काम पर आने के एक महीने के बाद दिया जाता है ऐसा न करके काम पर आते ही तुरन्त देने की व्यवस्था की जाये।

१५—बेल्ट मैनों को हेल्पर दिया जावे।

१६—अस्पताल में एक क्वालीफाइड कम्पाउंडर और रक्खा जाय।

१७—जो कर्मचारी लगातर ३ सालों से परमानेंट सीजनल की जगहों पर काम करते आ रहे हैं उन्हें परमानेंट सीजनल की सारी सुविधायें दी जायें।

१८—सीजन चलते समय हर शिफ्ट में एक मेहतर की तादाद बढ़ाई जाये।

१९—फिटरों को परमानेंट हेल्पर दिया जाय।

२०—डबल स्टोरी (गेट पर) वाले क्वार्टरों में पानी का नल लगवाया जाये।

२१—मिट्टी के तेल की बचत के नाते किसी दो क्वार्टरों में ४ या ५ आदमी रख दिये गये हैं जबकि क्वार्टर खाली पड़े हुये हैं। उन्हें खुलवाकर उचित कर्मचारियों को दिये जायं।

२२—सीजनल कर्मचारियों का भी प्रावीडेंट फंड काटना चालू किया जाय।

२३—मिल के अन्दर सलफर टैंक कवर किया जाय।

२४—मिल जमादार तथा माली फार्म पी से हटाकर अलग कर दिये गये हैं अतः उन्हें फार्म पी ही पर रक्खा जाये।

२५—पर्चा ब्वायों से क्लर्कों का काम लिया जाता है पहले क्लर्कों की जगहें खाली होने पर उन्हें क्लर्क का चांस दिया जाता था परन्तु इस साल खाली जगह होने पर भी उन्हें चांस न देकर नये आदमी रक्खे गये। अतः इन लोगों को क्लर्क का चांस दिया जाय।

२६—सेंट्रीफ्यूगल कर्मचारियों को एक रुपया अतिरिक्त तरक्की न देकर उनकी जगहें चेंज कर दी गईं इसका तुरन्त सुधार किया जाये।

२७—अगर किसी कर्मचारी को प्रावीडेंट फंड से कर्ज लेना हो तो नियमानुसार उन्हें अवश्य दिया जाय।

२८—सभी केन क्लर्कों को ड्यू लीव समान दिया जाय जबकि जमानत, लाइसेंस की तथा अथारटी लेटर एक समान है।

२९—खाड़ा सुपरवाइजर टाइम आफिस तथा स्टोर की जो फिक्सड ड्यूटी चलती है वह गलत है और जगहों की तरह शिफ्टवाइज होनी चाहिये।

३०—सीजनल कर्मचारियों को जिन्हें रिटेनर मिलता है, जिसे टाइम पर दे देने के विषय में एक समझौता भी हो चुका है जबकि उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद ही दे देना चाहिये, तुरन्त दिया जाय और आगे के लिये आश्वासन दिया जाय कि ड्यूटी ज्वाइन करने के एक सप्ताह अन्दर दे दिया जाय।

(ह०) फौजदार सिंह
२७—२—५५

लखीमपुर खीरी

नत्थी ख

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९६ पर)

हरिजन सहायक बोर्ड के सदस्यों की सूची

१—मंत्री, शिक्षा तथा हरिजन ..	सभापति	..
२—श्री गिरधारी लाल, मंत्री, मद्य निषेध तथा रजिस्ट्रेशन ..	उपसभापति	परिगणित
३—डाक्टर सीताराम, उप मंत्री ..	सदस्य	,,
४—प्लानिंग सेक्रेटरी ..	,,	,,
५—शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश ..	,,	,,
६—श्री बलदेव सिंह आर्य, सभा सचिव ..	,,	,,
७—श्री जयपाल सिंह ..	,,	,,
८—श्री नारायण दास ..	,,	,,
९—श्री राम लखन ..	,,	,,
१०—श्री वीर सेन ..	,,	,,
११—श्री श्याम लाल ..	,,	,,
१२—श्री देवराम ..	,,	,,
१३—श्री राम प्रसाद टमटा ..	,,	,,
१४—श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि (बुलन्दशहर)	,,	,,
१५—श्री मसुरियादीन ..	,,	,,
१६—श्री लालता प्रसाद सोनकर ..	,,	खटिक
१७—श्री दयानन्द व्यास ..	,,	परिगणित
१८—श्री हीरा लाल आर्य ..	,,	,,
१९—श्री शंकर शरण ..	,,	कायस्थ
२०—श्री निजामुद्दीन ..	,,	पिछड़ी हुई जाति
२१—श्री चन्द्रभान विद्यार्थी ..	,,	ब्राह्मण
२२—श्री रामशंकर लाल ..	,,	कायस्थ
२३—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (हरदोई)	,,	परिगणित
२४—संचालक, हरिजन कल्याण, उत्तर प्रदेश	सेक्रेटरी	

पी० एस० ब० पी० ए० पी० ८५ एल० ए०—१९५५—७९६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा